Wednesday, 08 September, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

सत्यमेव जयते

...vation Unit
1-6-92
...ated 20-12-83
...ment Library

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17—बुधवार 8 सितम्बर, 1965/17 भाद्र, 1887(शक)

No. 16—*Wednesday, September* 8, 1965/*Bhadra* 17, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
479	ईरान के तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज	Exploration of Oil in Off-Shore Areas of Iran	1745-47
480	ग्रीष्मकालीन संस्थायें	Summer Institutes	1747-49
481	राज्य विश्वविद्यालयों में अनियमितताये	Irregularities in State Universities	1749-52
482	प्रादेशिक भाषाओं का विकास	Development of Regional Langauages	1752-56
483	कोयाली तेल शोधन कारखाना	Koyali Refinery	1756-58
484	भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन	Anti-Corruption Drive	1758-64

अल्प सूचना प्रश्न संख्या/SHORT NOTICE QUESTION

4	काजू के कारखानों में श्रमिकों की हड़ताल	Strike by Workers in Cashew Factories	1764

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
485	बालकॉट का प्रत्यर्पण	Extradition of Walcott	1765
486	पोर्ट कैनिंग क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का पाया जाना	Natural Gas Found in Port Canning Area	1765
487	गुजरात में पाया गया सबसे बड़ा तेल क्षेत्र	Biggest Oilfield Found in Gujarat	1765-66
488	केन्द्रीय पुलिस दल	Central Police Forces	1766
489	न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना	Separation of Judiciary from Executive	1766-67

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बातका द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
490	राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	State Chief Ministers' Conference .	1767
491	स्नेहक पदार्थों का उत्पादन	Production of Lubricants	1767
492	कच्चे तेल की ढुलाई	Transport of Crude Oil . .	1767-68
493	पैट्रो-रसायन उद्योग	Petro-Chemical Industries	1768
494	अन्तर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिये व्यवस्था	Machinery to settle Inter-State Disputes	1768
495	हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन	Halda—Barauni—Kanpur Pipeline	1768
496	स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों को पुरस्कार	Awards to Freedom Fighters .	1769
497	बामपक्षी साम्यवादियों का फिर से पकड़ा जाना	Re-arrest of Left Communists	1769
498	बामपक्षी साम्यवादी दल के नेता के घर से बरामद हुए कागजात	Papers Found in Left C.P.I. Leader House	1769
499	अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Teachers .	1770
500	भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि	Pay Increase for I.A.S. Officers .	1770-71
501	पांडिचेरी में अरविन्द आश्रम को क्षति	Damage to Aurobindo Ashram, Pondicherry	1771
502	विद्यार्थियों के लिये दोपहर का खाना	Mid-day Meals to Students . .	1771-72
503	कोचीन तेल शोधक कारखाना	Cochin Refinery .	1772
504	आर्थिक "पूल"	Economic Pool	1772
505	दिल्ली में महिलाओं के लिये नया कालिज	New College for Women in Delhi .	1773
506	नई दिल्ली जेल में अपराध	Crimes in New Delhi Jail . .	1773
507	विशेष क्षेत्रों का समेकित विकास	Integrated Development of Special Areas	1773-74
508	सीमा-क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा	Peace and Security in Border Areas	1774

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1691	एक्टीवेटेड कार्बन का निर्माण	Manufacture of Activated Carbon .	1774
1692	बडगरा (केरल) में छोटा (जूनियर) तकनीकी स्कूल	Junior Technical School at Badagara (Kerala)	1775

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1693	केरल में बिजली के गिरने से मृत्यु	Deaths by Thunderbolt in Kerala .	1775
1694	केरल में पर्यटन विकास निगम	Tourist Development Corporation for Kerala	1775
1695	केरल में पेट्रो-केमिकल कारखाना	Petro-chemical Factory in Kerala .	1775-76
1697	केरल के स्कूलों के लिये सुविधायें	Amenities for Schools in Kerala	1776
1698	राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	National Academy of Administration, Mussorie	1776
1699	महाराष्ट्र की पुनर्वास योजनायें	Maharashtra Rehabilitation Schemes	1776-77
1700	महाराष्ट्र को माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुदान	Grant to Maharashtra for Secondary Education	1777
1701	लक्कादीव के लिये मालवाहक एवं यात्री-जहाज	Cargo-cum-Passenger vessel for Laccadive	1777-78
1703	माहे में भूमि सुधार	Land Reforms in Mahe	1778
1704	मैसूर उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें	Writ Petitions filed in Mysore High Court	1778
1705	संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य	Members of U.P.S.C. . .	1778-79
1706	वैज्ञानिकों की अकादमी	Academy of Scientists . .	1779
1707	भारत सरकार के मंत्रालय में शिकायत विभाग	Complaint Cells in the Ministries of Government of India . . .	1779
1708	व्यावसायिक भौतिक-चिकित्सा में उच्च शिक्षा के लिये छात्र-वृत्तियां	Scholarship for Higher Education in Occupational Physiotherapy .	1779-80
1709	दिल्ली में मकानों का गिरना	House Collapses in Delhi	1780
1710	खाना बनाने के लिये प्राकृतिक गैस की सप्लाई	Supply of Natural Gas for Cooking Purposes	1780
1711	दिल्ली में रेलवे प्रांगण (प्रमिज़ेज) में समाज-विरोधी व्यक्तियों की अवध कार्यवाही	Clandestine Activities of Unsocial Elements in Delhi . . .	1781
1712	शिक्षा सम्बन्धी विचार गोष्ठी	Seminar on Education .	1781
1713	दिल्ली में शहरी क्षेत्रों की घोषणा	Declaration of Urban Areas in Delhi	1781
1714	जब्त किये गये सामान की बिक्री	Sale of Confiscated Goods	1782
1715	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर, नई दिल्ली	Central Govt. Employees Consumer Cooperative Store, New Delhi .	1782

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1716	गृह-कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली	Grih Kalyan Kendra (Family Welfare Institute), New Delhi . .	1782
1717	दिल्ली में विस्फोट	Explosions in Delhi	1783
1718	प्रशासनिक सुधार	Administrarive Reforms .	1783
1719	पर्यटन महानिदेशक	Director General, Tourism	1783
1720	उत्तर प्रदेश में लड़कियों तथा स्त्रियों की शिक्षा	Education of Girls and Women in U.P.	1784
1721	उत्तर प्रदेश के प्रकाशकों को सहायता	Aid to Publishers of Uttar Pradesh	1784
1722	भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के पास चीनी कारतूसों का पाया जाना	Discovery of Chinese Cartridges near Indian Military Academy, Dehra Dun	1785
1723	अंकलेश्वर में तेल	Oil in Ankleshwar	1785
1724	राज्य सिब्बंदी बोर्ड, पंजाब	State Establishment Board, Punjab	1785
1725	गृह-कार्य मंत्री की न्यायालय में उपस्थिति	Home Minister's Appearance in Court	1786
1726	पाठ्यक्रमों का विविधकरण	Diversification of Courses	1786
1727	गुडगांव में विस्फोट	Explosion in Gurgaon	1787
1728	भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती	Recruitment to I.A.S. .	1787
1729	विधवाओं को पेंशन	Pension to Widows .	1787-88
1730	केरल में राज भवन में शिकायत की पेटी	Complaints Box in Raj Bhavan, Kerala	1788
1731	दिल्ली नगर निगम को दिये गये ऋण	Loans to Delhi Municipal Corporation	1788
1732	शेख अब्दुल्ला पर व्यय	Expenditure on Sheikh Abdullah .	1788-89
1733	नई दिल्ली अदालतों की इमारतें	New Delhi Courts Buildings .	1789
1734	पंजाब में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई-कार्य	Archaeological Excavation Works in Punjab	1789
1735	बामपक्षी साम्यवादी नजरबन्द लोगों द्वारा लेख याचिकायें	Writ Petitions by Left Communist Detenues	1889-90
1736	'ज्ञान सरोवर' विश्वकोष का प्रकाशन	Publication of Encyclopaedia 'Gyan Sarovar'	1790-91

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1737	'विज्ञान प्रगति' पत्रिका का नेहरू स्मृति अंक	Nehru Commemoration 'Vigyan Pragati'	1791
1738	दिल्ली में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिये पाठ्य पुस्तकें	Primary and Middle School Text Books in Delhi . . .	1791
1739	भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का हटाया जाना	Withdrawal of D.I.R. Act	1792
1740	दिल्ली और कलकत्ता में नागरिक चलती-फिरती आपात सेना	Citizens' Mobile Emergency Force in Delhi and Calcutta . . .	1792
1741	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का निष्कासन	Eviction of Pakistani Nationals .	1792
1742	पश्चिमी बंगाल में छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य	Drilling Operations in West Bengal	1792-93
1743	सांता क्रुज पर अमरीकी विमान	American Plane at Santa Cruz	1793
1744	समुद्र में पानी का खारापन दूर करना	Desalinization of Sea Waters .	1793
1745	विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोज	Discoveries by Indian Scientists Abroad	1794
1747	दण्डकारण्य में लघु उद्योग	Small-Scale Industries in Dandakaranya	1794
1748	पेट्रो-रसायनिक उद्योग	Petro-Chemical Industries	1795
1749	काश्मीर में पाई गई पाषाण मूर्ति	Sculpture found in Kashmir .	1795
1750	जेल में महाराष्ट्र के एक राजनीतिक नजरबन्द की मृत्यु	Death of a Political Detenue of Maharashtra in Jail . . .	1795
1751	आसाम में तेल के कुओं की खुदाई	Digging of Oil Wells in Assam	1796
1752	एर्नाकुलम का अन्तर्जल	Ernakulam Backwaters .	1796
1753	इंजीनियरी तथा चिकित्सा कालिजों के लिये आवेदन-पत्र फार्म	Application Forms for Engineering and Medical Colleges . .	1796
1754	विश्व सुन्दरी	Miss Universe .	1796-97
1755	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अदालतों की कपटपूर्ण डिक्रियां	Fraudulent Court Decrees in Delhi against Government Servants .	1797
1756	केरल जल परिवहन का समापन	Liquidation of Kerala Water Transport Corporation . . .	1797
1757	कलकत्ता क्षेत्र में पाकिस्तानी एजेंट	Pakistani Agents in Calcutta Belt .	1797-98
1758	कलकत्ता में इन्डियन आयल कम्पनी के वितरण कर्त्ताओं की नियुक्ति	Appointment of Distributors at Calcutta	1798

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1759	पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण	Distribution of Petroleum Products	1798
1760	चोरबाज़ारी करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान	Drive against Blackmarketeers	1799
1761	खुदाई करने वाले मिस्त्री	Drilling Technicians	1799
1762	राजपत्रित अधिकारियों की अन्तर्राज्यिक वरिष्ठता	Inter-State Seniority of Gazetted Officers	1799
1763	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के लिए निर्धारित राशि में कटौती	Cut in Allocations for C.S.I.R.	1800
1764	सोडा एश और गन्धक के तेजाब के मूल्य	Price of Soda Ash and Sulphuric Acid	1800
1765	वैज्ञानिक कर्मचारी समिति	Scientific Personnel Committee	1801
1766	विद्रोही नागाओं का खतरा	Threat of Hostile Nagas	1801
1767	विजयनगर साम्राज्य का संग्रहालय	Museum of Vijayanagar Empire .	1801
1768	जेलों में साम्यवादी नजरबन्दों की मृत्यु	Death of Communist Detenues in Jails	1801-02
1769	नई दिल्ली में वायु सेना की कैन्टीन में एक दुकान पर छापा	Raid on Shop in A.I.R. Force Canteen, New Delhi . .	1802
1770	एवरेस्ट अभियान	Everest Expedition	1802
1771	हिन्दी असिस्टेंट	Hindi Assistants . .	1802-03
1772	तकनीकी संस्थाओं के लिये साज-सामान	Equipment for Technical Institutes	1803
1773	नागालैंड स्वतन्त्रता दिवस	Nagaland Independence Day .	1803
1774	सरकारी उपक्रमों में व्हिटले परिषद्	Whitley Councils in Public Undertakings	1803-04
1775	अध्यापकों का दर्जा	Status of Teachers	1804
1776	महामहोपाध्याय की उपाधि	Title of Mahamahopadhyaya .	1805
1777	प्रादेशिक भाषाओं में एटलस	Atlas in Regional Languages .	1805
1778	प्रादेशिक भाषा के रूप में मैथिली	Maithili as a Regional Language	1805
1781	गंगा घाटी में तेल की खोज	Oil Exploration in Ganga Valley	1805

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1782	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की फाइलें	O. & N.G.C. Files	1806
1783	उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता	Recognition of Urdu as Second Official Language	1806
1784	केन्द्रीय सरकार के आदेशों पर टिप्पणियां	Notes on Orders of Central Government	1806
	सभा का समय	Timings of the House . .	1807-08
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	1808
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	सत्तरवां प्रतिवेदन	Seventieth Report	1808
	अधिलाभांश की अदायगी विधेयक	Payment of Bonus Bill—	
	खण्ड 20 से 40	Clauses 20 to 40 .	1808-31
	सैनिक कार्यवाही के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Defence Operations—	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan .	1831-32

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 8 सितम्बर, 1965/17 भाद्र, 1887 (शक)
Wednesday, September 8, 1965/Bhadra 17, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ईरान के तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज

*479. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री राम हरख यादव :**
श्री हेडा : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायक कम्पनी हाइड्रो कार्बन्स इंडिया लिमिटेड ने ईरान के तटदूर क्षेत्रों में तेल सम्बन्धी खोज तथा खुदाई के कार्य में क्या प्रगति की है ; और

(ख) क्या उन्हें कोई सफलता मिली है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ख) : तटदूर क्षत्रों में व्यधन कार्य को हाथ में लिया गया है और पहले तट-दूर कुएं का व्यधन-कार्य जारी है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि खोज सम्बंधी खदाई कब तक जारी रहेगी और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ।

श्री हुमायून कबीर : विशषकर इस पहले कुए पर लगभग 70 लाख रुपय व्यय होंगे । यह कहना कठिन है कि यह कब तक चलता रहेगा । परन्तु हम जल्दी ही परिणाम पाने की आशा रखते हैं । कुल परिव्यय इस बातपर निर्भर होगा कि हमें खोज के लिये कितने कुए खोदन पड़ते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : जब यह कार्य पूरा हो जायेगा तो इस में हमारा अर्थात जहां तक तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है रुपये के हिसाब से क्या अंश होगा ।

श्री हुमायून कबीर : इस को रुपये में बताना कठिन है। म यह बता सकता हूं कि कच्च तेल में हमारा कितना अंश होगा । इस अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी का ढांचा इस प्रकार है : 50 प्रतिशत भाग इरानियन आयल कम्पनी के होंगे और शेष 50 प्रतिशत अंश फिलिपस पैट्रोलियम कम्पनी आफ अमरीका, अजीव मिनिरिया आफ इटली और तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग के बराबर होंगे ।

Shri Yashpal Singh : It has been noticed from the Dehra Dun exploration that our experts are inefficient. We have spent 4 crores of rupees there which has gone waste. May I know what actions are being taken to prevent such waste and with whose collaboration the work is going on there?

श्री हुमायून कबीर : मैं अपने माननीय मित्र की पहली धारणा से कि हमारे विशेषज्ञ कार्य-कुशल नहीं है से इन्कार करता हूं। वास्तविक में हमारे विशेषज्ञों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और तेल की खोज में हमें जिस हद तक सफलता मिली है वह अभतपूर्व है। जहां तक चार करोड़ की बात है यदि हम तेल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ऐसे कई चार करोड़ व्यय करना होंगे। सारे संसार में बहुत बड़ी बड़ी राशियां इस काम पर खर्च की जाती हैं और कोई भी तब तक विश्वास से कुछ नहीं कह सकता जब तक वास्तविक में खुदाई न हो जाय और तेल न मिल जाये। यदि हम माननीय सदस्य के परामर्श पर चलते हैं तो हमें तेल की खोज ही नहीं करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : आस्ट्रेलिया में इस काम पर एक बहुत बड़ी राशि दी गई परन्तु वहां बिल्कुल ही तेल नहीं मिला है।

श्री कपूर सिंह : लाहौर से कांस्टिन्टेनोपुल तक के देशों के बीच जो भूनीतिक झुकाव उच्च राजनीतिक समझ के अनुकूल होता जा रहा है क्या हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने इरान में किनारे पर किये जाने वाले आर्थिक कार्य पर पुनः विचार किया है।

श्री हुमायून कबीर : मेरे माननीय मित्र भूनीति के बड़े विशेषज्ञ है परन्तु उस विचार से भी भारत को इस उद्यम का स्वागत करना चाहिये।

श्री कपूर सिंह : मुझे जानकारी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि हमें उस विचार से भी इस उद्यम का स्वागत करना है।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व यह पता चला था कि बंगाल की खाडी के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल मिला है।

अध्यक्ष महोदय : यह ईरान के बारे में हैं। बंगाल की खाडी यहा नहीं है।

डा० रानेन सेन : महोदय, मुझे पहले अपना प्रश्न समाप्त कर लेने दें। क्या मैं जान सकता हूं कि इस क्षेत्र की खोज करने की अपेक्षा हमारी सरकार ईरान के तटवर्ती क्षेत्रों में क्यों खोज करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में बंगाल की खाडी नहीं है। श्री यादव।

Shri Ram Harkh Yadav : May I know whether the delay was due to the fact that Iran Government put obstructions in that work in the beginning?

श्री हुमायून कबीर : नहीं महोदय, हमें तेल मिलता है या नहीं यह किसी सरकार की कार्य-वाही पर निर्भर नहीं है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : यह जान कर कितनी खुशी होती है कि हमारे विशेषज्ञ खुदाई की वैज्ञानिक जानकारी में किसी से कम नहीं हैं। क्या मैं जान सकता हू कि हमारे विशेषज्ञ ईरान में तेल की खोज और खुदाई में तकनीकी जानकारी में किस हद तक दूसरे विशेषज्ञों का साथ दे रहें हैं ?

श्री हुमायून कबीर : जब मैं ने अपने विशेषज्ञों क उल्लेख किया था तो उस के साथ वे अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी थे जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से सम्बन्धित हैं। उस दल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी प्रकार जो दल ईरान में काम कर रहा है वह अन्तर्राष्ट्रीय है और उसकी क्षमता उच्चतम है।

ग्रीष्मकालीन संस्थायें

*480. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजसी द्वारा इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में आयोजित की गई ग्रीष्मकालीन संस्थाएँ सफल सिद्ध हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रतिवर्ष ऐसी संस्थाओं का आयोजन करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के कालेजों और स्कूलों के अध्यापकों को अपने विषयों में होने वाली आधुनिक प्रगतियों की बराबर जानकारी रखने की सहायता के लिये ग्रीष्मकालीन संस्थान कार्यक्रम संगठित किया गया है। भाग लेने वाले अध्यापकों को राष्ट्रीय विज्ञान संस्थापन (नेशनल साइंस फाउंडेशन) के तत्वावधान में, संयुक्त राज्य अमरीका के मुख्य अध्ययन वर्गों द्वारा तयार की गई प्रयोगशाला सामग्री तथा नवीनतम पाठ्य-चर्या पुस्तकों से परिचय कराया जाता है।

(ग) साल दर साल, प्रत्येक संस्थान में नामांकन के बढ़ने के साथ संस्थानों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि 7–8 वर्ष में एक बार प्रत्येक अध्यापक को ग्रीष्मकालीन संस्थान में सम्मिलित होने का अवसर मिल सके।

Shri Yashpal Singh : May I know how many trainees were given training there and out of them how many were given diplomas ?

Shri Hajarnavis : 1850 teachers had come from Schools and 1150 from Colleges.

Mr. Speaker : Were they given diplomas ?

Shri Hajarnavis : I do not have the details whether diplomas were given to them but they completed the course which was of 40 days.

Shri Yashpal Singh : The teachers who were called for them were either from colleges or universities or some extra teachers were called. May I know the total amount spent on their pay, T. A. and D. A. ?

Shri Hajarnavis : At present I do not have the details of expenditure. This work was done by the University Grants Commission.

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to know the amounts spent by the American Agency and the Government of India in the total expenditure of these summer Institutes.

Shri Hajarnavis : The entire expenditure has been incurred by the University Grants Commission. I cannot state at present the amount spent by Americans and A.I.D. If the Hon. Member writes, the information may be given to him.

श्री दी० चं० शर्मा : संशिक्षा के विज्ञान का विकास केवल अमरीका तक ही सीमित नहीं है संसार के दूसरे बहुतसे और देश भी इस विज्ञान में प्रगति कर रहे है--उदाहरणतः सोवियत संघ और दूसरे बहुत से देश। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस के लिये अमरीका की ओर ही क्यों गई है? क्या यह सब रुपये के कारण है या किन्हीं अन्य कारणों से है?

श्री हजरनवीस : महोदय हमारी नीति यह है कि सहायता किसी भी ओर से आये हम उससे खुश और कृतज्ञ होंगे। जिस समय भी सहायता मिलगी हम इस का स्वागत करेंगे। मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि ब्रिटिश परिषद इस वर्ष चार संस्थाओं का इंग्लिश पढ़ाने के लिये संचालन किया है। केवल यही नहीं हमारे अपने प्रिंसिपल आफ टैक्नीकल इंस्टिट्यूट के संगठनों ने 16 संस्थाओं का संचालन किया है जिस में 8 इन्जीनियरिंग कालेज और 8 पालीटेकनिक हैं।

Shri Ram Harkh Yadav : May I know whether science and mathematics are only taught in these institutes or people are being trained in some other subjects also ?

Shri Hajarnavis : The question refers only to classical subjects and as I have said, British Council opened these institutes only for teaching English.

Shri D. N. Tiwary : May I know whether the persons trained in these institutes have been given some increments as an incentive?

श्री हजरनवीस : जी नहीं, यह कार्यक्रम का भाग नहीं है। परन्तु निश्चित रूप से यदि वे अपनी क्षमता बढ़ाते हैं तो इसके पात्र बन जाते हैं। स्वतः वे इस के पात्र नहीं हैं।

श्री वारियर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में पाठ्यक्रम या शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करते समय हमारे कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों से भी परामर्श किया गया और क्या इन के विषय हमारी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर निर्धारित हैं या केवल अमूर्त विज्ञान पर?

श्री हजरनवीस : इन संस्थाओं का संचालन एक निदेशक करता है जिसकी नियुक्ति उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा की जाती है जिस के अधिक इनकी पाठ्यचर्या का प्रबन्ध किया जाता है। निदेशक इसी देश के किसी विश्वविद्यालय के कालेज का अध्यापक होता है। स्वाभाविक रूप से वह हर प्रकार के प्राधिकारी से परामर्श करता है और आवश्यकरूप से सुनिश्चित करता है कि यह पाठ्यचर्या ऐसी हो जो अध्यापकों के लिये लाभदायक हो।

डा० सरोजिनी महिषी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या इन ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में राज्यों की शिक्षासंस्थाओं तथा दूसरी प्रयोगशालाओं में की गई गवेषणा के परिणामों को भी कार्यान्वित किया जाता है और क्या इन विभिन्न संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय का प्रयत्न किया जाता है ?

श्री हजरनवीस : अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु दो पाठ्यक्रम है—एक मैसूर में तथा दूसरा अजमेर में। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अध्यापक अजमेर जाते हैं तथा मैसूर में देश के सब भागों से अध्यापक जाते है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गवेषणा के परिणाम उन्हें उपलब्ध किये जाते हैं।

+ Irregularities In State Universities

***481. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cases of gross irregularities in the Universities of certain States have come to the notice of the University Grants Commission; and

(b) if so, the steps taken for the eradication of corruption and malpractices in the Universities ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) and (b). The University Grants Commission has been receiving complaints against universities and colleges from time to time covering a variety of topics. The Commission has constituted a Committee to consider various steps necessary for eradication of corruption and malpractices in universities.

Shri Prakash Vir Shastri : The Central Government gives grants worth crores of rupees to the State Universities through the University Grants Commission. May I know whether certain decisions are going to be taken by Government to have a direct or indirect control over these Universities so that the entry of politics into Universities as is indicated by the Education Minister in regard to the appointments of Vice-Chancellors, may be prevented ?

Shri Hajarnavis : The University Grants Commission has no right under the Act to give direct orders and to have the compliance thereof. The University Grants Commission gives grants on a clear understanding that these grants would be available only if certain conditions put forward at the time of giving grants are complied with. There is no other right conferred upon the University Grants Commission apart from that. However, there had been no occasion so far when a University would have rejected the grant. So far my information is concerned every directive issued by the Commission is complied with.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that cases of gross irregulaties have been noted in some of the Universities in Bihar and the Chancellor or the Governor has to interfere keeping in view the seriousness of these irregularities and if so, whether the University Grants Commission or the Education Ministry would take steps to prevent such irregularities in future ?

Shri Hajarnavis : In reply to the Hon. Member's question I have stated that a Committee has been constituted consisting of Dr. Patkay, Member, Karnatak University, Shri Shiv Rao, Member, University Grants Commission, Shri Santhanam and Shri Ratnam to consider various steps necessary for eradication of Corruption and mal practices in Universities? Necessary steps will be taken in this connection after the submission of a report by the Committee and its careful consideration by Government.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether any complaint to the effect that the grants given by the University Grants Commission are being misappropriated *i.e.* a certain sum granted for the construction of a building is being utilised for some other work in the colleges affiliated to the Punjab University, has been received ?

Shri Hajarnavis : If there would have been any complaint to that effect, it might have been received by the University Grants Commission. I have no such information But if any complaint is received necessary investigation will be made and suitable steps will be taken after a careful consideration.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं विश्वविद्यालयों को ऐसी भूलें करने में इन विश्वविद्यालयों के कुलपति समर्थ सिद्ध हुए हैं ?

श्री हजरनवीस : यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि कुलपति विधि द्वारा निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ।

Shri Kashi Ram Gupta : By what time the report of the Committee, which is formed, is expected and the powers of the Commission may be enhanced to prevent the recurrence of such malpractices ? _

Shri Hajarnavis : They have prepared a questionnaire and it has been sent. On receipt of its reply the committee will submit its report after considering all the aspects and then if it is felt necessary.....

Shri Kashi Ram Gupta : By what time the report will come ?

Shri Hajarnavis : No time-limit has been fixed for it.

Shri Sinhasan Singh : A commission was set up by the Uttar Pradesh Government about these Universities and in connection with their investigation. That Commission investigated into the working of Luknow, Allahabad and Gorakhpur Universities and submitted its report afterwards. May I know what action has been taken by the Government on the irregularities pointed out in that report ?

Mr. Speaker : How information can be given about each and every University?

Shri Sinhasan Singh : I want to know about the Universities in Uttar Pradesh.

श्री हजरनवीस : रिपोर्ट सम्भवत: उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई थी । यह समिति उत्तर प्रदेश सरकार ने ही बनाई थी और सम्भवत: उत्तर प्रदश सरकार ही इस से सम्बन्धित सरकार है ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ कर शेष सब विश्वविद्यालय प्रदेश कानून के फलस्वरूप ही स्थापित हुये हैं । इन विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने प्रदेश के गवर्नर हैं और कि अनियमितताओं को कम करने के लिये उन के पास अपने साधन हैं और इस लिये केन्द्रीय सरकार को उन में हस्ताक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हजरनवीस : निश्चित रूप से कानूनी स्थिति यही है ।

श्री रंगा : तब आप इस में कहां से आ गये ।

श्री हजरनवीस : अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ स्टैंडर्ड बनाये रखने के अधिकार हैं ।

श्री रंगा : आप उन को रुपया देने से इन्कार कर सकते है, यह एक अलग प्रश्न है, परन्तु आप उन के काम में हस्ताक्षेप नहीं कर सकते ।

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know the terms of reference of the Committee which has been formed by the Government May I know why no time-limit has been fixed for this Committee to give its report?

श्री हजरनवीस : मैं उस का परिशुद्ध कार्यक्षेत्र तो नहीं बता सकता परन्तु आमतौर पर अनियमितताओं, परीक्षाओं में हस्ताक्षेप, दल राजनीति और सेवाशर्तों जैसे प्रश्नों पर जिन के बारे में शिकायतें मिलती हैं जांच करते हैं।

श्री रंगा : उन सब को यहां आने के स्थान पर उन के विधान सभाओं में जाना चाहिए।

श्री हजरनवीस : यह कुछ विषय हैं जिन पर समिति ध्यान दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपने आप को प्रतिबद्ध नहीं पायेंगे और लाभदायक सुझाव देंगे।

Shri Bhagwat Jha Azad : In states where powerful Committees were formed against the gross irregularities by the Chancellors and reports of these Committees were also published but no action was taken thereon by the Government although University Grants Commission has been empowered under the Act to stop the aid to such universities. May I know whether Government once again thinking of forming a new Committee to cover their helplessness or actually they want to do some work ?

Shri Hajarnavis : Government definitely wants to do some work. But before stopping the aid to any University they are to follow certain procedures provided in the Act.....

Shri Bhagwat Jha Azad : I know about all the things. My question is that...

Mr. Speaker : The Hon. Member may listen to the full answer.

Shri Hajarnavis : I do not have the necessary information about the university referred to by the hon. Member but if there is any University in the mind of the Hon. member he should give in writing and I will draw the attention of the University Grants Commission about it.

डॉ० चन्द्रभान सिंह : माननीय मन्त्री ने अभी कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्टैंडर्ड बनाये रखने के प्रश्न से सम्बन्धित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उत्तर ठीक है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री बताने की कृपा करें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या कार्यक्षेत्र है।

श्री हजरनवीस : यदि माननीय सदस्य धारा 12 को पढ़ने से यह अनुभव करें कि मैं गलत हूं तो मैं क्षमा याचना करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhvaiya : There have been complaints of irregularities about number of universities particularly the university about which the Governor of Bihar, Shri Anathasayanan Iyyanger, lodged a report. May I know whether these complaints were about appointments, examinations o economic conditions ? What were those complaints ?

Shri Hajarnavis : The complaints are received and they are generally looked into. Now a committee has been formed to suggest actions on such complaints.

Shri Bade : The Governor of Bihar, Shri Iyyanger, has complained about it.

Shri Hukam Chand Kachhvaiya : Mr. Speaker, I have not received an answer of my question.

Mr. Speaker : How the Hon. Minister can give information about each and every university?

श्री बड़े : वहां असंतोष है। राज्यपाल ने सूचना दी है।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि हमारे कुछ नये स्थापित विश्वविद्यालयों में उच्च शैक्षिक पदवियां जैसा कि डाक्टर नियमित धन राशि देने से मिलती हैं। यदि हां, तो क्या इस के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरूआ।

श्री कपूर सिंह : मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन से क्या उत्तर देने को कहूं ? माननीय सदस्य को इस का स्वयं उत्तर देना चाहिए।

श्री कपूर सिंह : यदि कोई पूर्व अनुमति नहीं दी जाती है तो मैं स्वयं एक डिग्री लेना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि तथ्य सच हैं तो कोई सूचना लेने की आवश्यकता नहीं।

श्री हेम बरूआ : इस के अतिरिक्त कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कर सकता है क्या यह सच नहीं है कि हमारे संविधान में भी शिक्षा मन्त्रालय, केन्द्रीय सरकार को भी विश्वविद्यालयों में कुछ स्टैंडर्ड बनाये रखने के अधिकार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने संविधान की इस धारा का प्रयोग किया है ?

श्री हजरनवीस : कौन सा संविधान ?

अध्यक्ष महोदय : विश्वविद्यालयों का संविधान।

श्री हजरनवीस : मैं नहीं समझता कि मैं एक क्षण की सूचना में कानून सम्बन्धी व्याख्या के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, परन्तु यदि माननीय सदस्य के दिल में ऐसा कोई विचार हो तो अवश्य ही इस ओर वह मेरा ध्यान आकर्षित करायेंगे।

Shri Shiv Narain : May I know if the 95 per cent of the grant given by the Government is audited or not ? If not, then why not?

Mr. Speaker : It is a State subject.

Development of Regional Languages

+

*482.	**Shri Bibhuti Mishra :**	**Shri Rameshwar Tantia :**
	Shri K. N. Tiwary :	**Shri Subodh Hansda :**
	Shri Daljit Singh :	**Shri S. C. Samanta :**
	Shri Mahadeva Prasad :	**Srimati Laxmi Bai :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been chalked out by Government for the propagation and development of the modern Indian languages during the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the amount to be spent on each of these languages ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House [**Placed in the Library. See No. LT-4781/65.**]

(c) No language-wise allocation of funds is possible. It is, however, proposed to spend about 6 crores on all languages, subject to availability of funds and concurrence of Planning Commission.

Shri Bibhuti Mishra : Whether it is a fact that prominent politicians, lawyers, professors and businessmen speak English in their homes instead of their own Indian languages and for this reason Indian languages are not being propagated ?

Mr. Speaker : Whether Government should impose some restrictions that people should not speak in their homes instead of Indian languages ?

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, it is a matter of development of the regional languages. Today prominent Politicians talk in English in their homes instead of regional languages. That is why the regional languages are not being developed.

Mr. Speaker : The hon. member should help Government by propagating hese regional languages. What Government can do in this matter ?

Shri Bibhuti Mishra : Our ministers should talk in regional languages.

Mr. Speaker : The hon. member may now ask a question.

Shri Bibhuti Mishra : My question is this whether the minister and other prominent politicians use English in their talks instead of their own languages ?

Shri Hajarnavis : I can talk about my home only where, I speak Marathi.

Mr. Speaker : The hon. member says that there is no such thing in his home as is suspected by the hon. member.

Shri Bibhuti Mishra : I am not asking about the hon. minister alone. The question is related to whole Government.

Mr. Speaker : I can neither answer this question myself nor I can get an answer from the hon. minister ? The hon. member may ask the question about the action being taken by the Government to propagate the regional languages.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that howsoever learned a person might be in regional languages, he gets lesser salary as compared to an English knowing person ?

श्री हजरनवीस : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Mr. Speaker : Some answer should be given to the question of hon. member.

श्री हजरनवीस : तन्ख्वाह विभिन्न संवर्गोंपर निर्भर करती है जिनमें वे काम करते हैं। मेरा विचार नहीं है कि हिन्दी या इंग्लिश बोलने वाले अधिकारियों में कोई भेद भाव बर्ता जाता है।

अध्यक्ष महोदय : उन का अर्थ यह है कि समान योग्यता वाले व्यक्तियों में जो देशी भाषायें पढ़ाते हैं उन को कम वेतन मिलता है और जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उन को अधिक वेतन मिलता है—Shri Tiwary.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker. Whatever you have said you get an answer to it from the hon. minister.

Mr. Speaker : At present he has got no answer to it.

Shri K. N. Tiwary : It has been stated in item 14 of this statement "Scheme for financial assistance to Scholars and writers of modern Indian languages in indigent circumstances". May I know how many such scholars and writers have applied for assistance in 1963, 1964 & 1965 and the extent of assistance given to them and whether there is separate fund from which this assistance is being given?

Shri Hajarnavis : Yes Sir, the scheme which has been given in the statement is meant for the fourth Five Year Plan. But at present also assistance is given for which conditions are as such : assistance is given upto Rs. 150 per month; and that the recommendation for this should come through State Government. State Government pays one-third of it and 2/3rd is paid by the Central Government. Many persons have been assisted in this manner. I assure the hon. member that any recommendation which is received from the State Government is not withheld even for 24 hours.

Shri Sarjoo Pandey : There is one item in the statement is this "Compilation of encyclopaedia of modern Indian languages". I would like to know what is meant by "modern Indian languages". Whether regional languages are also included in it or which these modern Indian languages are ?

Shri Hajarnavis : All the languages mentioned in the schedule are included in it. There is a another special department for Hindi & Sanskrit. Sindhi language is also included in it.

श्री कन्डप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं की सहायता करती है या करने का विचार रखती है जो देशी भाषाओं में वैज्ञानिक जानकारी का प्रचार करने के लिये प्रकाशित होते हैं।

श्री हजरनवीस : जी, हां, यह भी उन में से एक उद्देश्य होगा। क्या मैं माननीय सदस्य को इस बारे में सूचना दूं कि मद्रास को कितना दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं पूछा गया है।

Shri Prakash Vir Shastri : The decision of the Government to spend 6 crores of rupees for the development of regional languages in the Fourth Five Year Plan is a good one. Whether any programme has been chalked out under the Plan to maintain mutual contact between the Indian languages and regional languages as also the contact between all the National languages and Sanskrit which is the mother of all these languages ?

Shri Hajarnavis : As the hon. member has stated Sanskrit has great importance. Therefore there is separate scheme for this and separate allocation will be made. It will not be included in this Scheme.

श्री वारियर : क्या सरकार को भारतीय भाषायें पढ़ाने वाले अध्यापकों की ओर से इस प्रकार का कोई अभ्यवेदन प्राप्त हुआ है कि त्रावनकोर विश्वविद्यालय द्वारा उन के विरुद्ध भेद-भाव बर्ता जा रहा है और इसे समाप्त किया जाना चाहिये ?

श्री हजरनवीस : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री अ० प्र० शर्मा : मुख्य प्रश्न के भाग (ग) में इन भाषाओं पर व्यय किये जाने वाली राशि के सम्बन्ध में पूछा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक भाषा के लिये धन निर्धारित करने में सरकार को क्या विशेष कठिनाई हो रही है।

श्री हजरनवीस : मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्य ने इस विषय पर व्याख्या करने का मुझे अवसर दिया है। पहली बात तो यह है कि यदि भाषा वार धन निर्धारित करने की आवश्यकता को मान लिया जाये तो जब तक अन्तिम राशि स्वीकृत न हो जाये ऐसा करना कठिन होगा। दूसरी बात यह है कि इस योजना का कार्य मुख्यत: स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जायेगा और यह संगठन आम तौर पर एक से अधिक भाषाओं में ही काम हाथ में लेते हैं।

उदाहरणार्थ, हमने हाल में ही विवेकानन्द शताब्दि समारोह के लिये कुछ अनुदान दिया। उन्होंने न केवल बंगला बल्कि बहुतसी अन्य भाषाओं में भी पुस्तकें निकाली हैं। कुछ दिन पहले हम स्वयंसेवी संस्थाओं के उस भाषा के कार्य के बारे में जो भाषा उन प्रदेशों में नहीं बोली जाती चर्चा कर रहे थे। इस कारण हमारे लिए पृथक पृथक धन राशि निर्धारित करना कठिन है।

श्री कपूर सिंह : क्या इस संदेह में कोई सार है कि पंजाबी के विकास के लिये न्यूनतम धनराशि निर्धारित की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : उन का यह कहना है कि प्रत्येक भाषा के लिये धनराशि की व्यवस्था नहीं कर सकते।

श्री कपूर सिंह : वह इतना तो बता सकते है कि क्या पंजाबी के लिये निर्धारित धन राशि सब से कम है ?

श्री हजरनवीस : पंजाबी के लिये कोई धन राशि निर्धारित नहीं की गई है।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि यदि उपलब्ध हुआ तो चतुर्थ योजना के अन्तर्गत भाषाओं के विकास के लिये छ: करोड़ रुपये रखे जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि तृतीय योजना में प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर कितने रुपये खर्च किये गये हैं ?

श्री हजरनवीस : 55 लाख रुपये निर्धारित किये गये थे परन्तु आशा यह है कि हम लगभग 39 लाख रुपये खर्च करेंगे।

डा० रानेन सेन : 55 लाख रुपये दिये जाने की उदारता का कारण ?

श्री दी० जी० नायक : क्या चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरी तथा विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का प्रादेशिक भाषा में अनुवाद करने के लिये विश्वविद्यालयों और राज्यों को सहायता दी जायेगी ?

श्री हजरनवीस : निश्चय ही इस बात पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति, हर तरफ इतनी बातें हो रही हैं कि मैं कार्यवाही को समझ नहीं पा रहा हूं।

माननीय सदस्य : सब हवाई हमले के बारे में बातें हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : जैसे ही भोंपू (साईरन) बजेगा, कार्यवाही अवश्य ही स्थगित कर दी जायेगी। परन्तु अब हमें सामान्य रूप से कार्यवाही जारी रखनी चाहिए। यदि कुछ हुआ तो देखा जायेगा।

कोयाली तेल शोधन कारखाना

483. **श्री बागड़ी :** **श्री राम सेवक यादव :**

श्री प्र० चं० बरूआ : **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**

श्री मधु लिमये :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयाली तेल शोधन कारखाने के निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रथम चरण पूरा होने पर इसकी शोधन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इस कारखाने में काम करने के लिये भारतीय तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) अक्तूबर 1965 तक शोधनशाला के चालू होने की सम्भावना है।

(ख) प्रति वर्ष एक मिलियन मीटरीटन।

(ग) शोधन शाला की कार्यन्विति और देखभाल के लिए अनुभवी स्टाफ के, जिनकी निर्माण-कार्य में नियुक्ति की गई थी, अधिकांश व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। दस इन्जीनियरों ने 6 महीनों की अवधि के लिए रूस में प्रशिक्षण पाया है। कई आप्रेटरों/रसायनिकों को गौहाटी और बरौनी शोधनशालाओं तथा राष्ट्रीय तकनीकी संस्थाओं में ही उन्हीं स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

Shri Bagri : May I know the expenditure involved on this oil refinery and the name of the country which offered assistance?

श्री हुमायून कबीर : कुल खर्च लगभग 30.5 करोड़ रुपये होगा, जिसमें से 8.78 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे जिसे रूस ने देने का वचन दिया है।

Shri Bagri : May I know whether the assistance offered by the Soviet Union would be in the form of loan or in some other form ?

श्री हुमायून कबीर : उनकी सहायता हमेशा दीर्घकालीन ऋण में होती है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या कोयाली तेल शोधक कारखाने के अधिकारियों ने समाचार पत्रों में घोषित किया था कि यह कारखाना 15 अगस्त, 1965 को कार्य करना आरम्भ कर देगा ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री हुमायून कबीर : यह सच है कि इसकी 15 अगस्त, 1965 को परीक्षण के लिये चालू होने की आशा थी। बहुत अधिक वर्षा के कारण नरबदा नदी के पार पाईप बिछानी बहुत कठिन हो गई और इसी कारण लगभग एक महीने की देरी हो गई।

श्री जसवन्त मेहता : हाल में ही गुजरात में बहुत बड़ी मात्रा में तेल पाया गया है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार ने कोयाली तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिए अथवा उसके आसपास कोई दूसरा कारखाना बनाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री हुमायून कबीर : प्रश्न नहीं उठता।

श्री दे० जी० नायक : यह कहा गया है कि कोयाली तेल शोधक कारखाना अब 1965 के अन्त तक चालू हो जायेगा। यह कारखाना पूर्ण क्षमता से कब तक कार्य करने लगेगा?

श्री हुमायून कबीर : जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले दस लाख मीटरीटनों के लिये कार्य अगले लगभग 20 दिनों में अर्थात अक्तूबर, 1965 अन्त तक शुरू हो जायेगा।

अगले साल के मध्य तक दूसरे दस लाख मीटरीटनों के लिए कार्य शुरू हो जायेगा और 1966 के अंत तक या 1967 के आरम्भ में तीसरे 10 लाख मीटरीटनों के लिये कार्य आरम्भ होने की आशा है।

Shri N. N. Patel : May I know whether it is a fact that when a pipe line was being laid over a railway bridge in order to be bring oil from Ankleshwar to Koadli. The Railways objected to it which resulted in delay in the progress?

श्री हुमायून कबीर : यह रेलवे के साथ प्रतियोगिता का प्रश्न नहीं था, परन्तु हमें कुछ उपाय सोचने होते है, और इस सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ती है। अब पाइपलाईन डाल दी गई है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Recently we discovered a big oil Structure within the vicinity of 30 miles of the Koyali Refinery. May I know effects of this find on the capacity of the Koyali Refinery ?

श्री हुमायून कबीर : जिस ढांचे का मेरे माननीय मित्र ज़िक्र कर रहे हैं वह कोयाली तेल शोधक कारखाने से 30 मील के अन्दर नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने कहा कि वह उस स्थान से लगभग 30 मील दूर है। मैं सीधासा-प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इससे लगभग 30 मील की दूरी पर जो बड़ा ढांचा पाया गया है क्या कोयाली तेलशोधक कारखाने की क्षमता पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उत्तर दिया जा चुका है। शायद माननीय मंत्री का यह अर्थ था कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह उस क्षेत्र में नहीं है। क्या वह यही कहना चाहते थे?

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने कहा कि यह 30 मील के अन्दर नहीं था। मैंने कहा कि यह उस स्थान से लगभग 30 मील की दूरी पर था।

श्री हुमायून कबीर : यह इतना दूर नहीं है। यह तो बहुत अधिक दूरी पर है और इस पर अलग से जांच की जायेगी।

श्री भागवत झा आजाद : मैं ने केवल यह कहा है कि लगभग 30 मील की दूरी पर है। माननीय मंत्री को इस आधार पर इस प्रश्न के उत्तर देने से नहीं टलना चाहिये।

श्री हुमायून कबीर : मैं उत्तर दे रहा हूं। यदि मेरे माननीय मित्र उत्तर को न सुनें तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री भागवत झा आजाद : मैं ने और सारी सभा ने उत्तर सुन लिया है। माननीय मंत्री को सभा को संतुष्ट करना चाहिये न कि केवल ज़रा-सी बात कह कर रह जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री भागवत झा आजाद : वह उत्तर देने से टल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री भागवत झा आजाद : वह चुनौती देना चाहते हैं और मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं । वह अपनी अनभिज्ञता दिखा रहे और वह मुझे बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता...

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मुझे खेद है; कि माननीय सदस्य के अनुसार अधिकांश मंत्री अनभिज्ञ हैं परन्तु मैं ऐसे मामले में क्या कर सकता हूं ? मैं तो माननीय मंत्री को केवल उत्तर देने के लिये ही कह सकता हूं ।

श्री हुमायून कबीर : मेरा उत्तर यह है कि बड़े ढांचे के प्रश्न पर अलग से जांच की जायेगी कि क्या हमें कहां तेल मिल सकता है ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री को यह बात पहले ही कह देनी चाहिये थी । फिर हम संतुष्ट हो जाते ।

श्री काशी राम गुप्त : मैं देखता हूं कि रूस द्वारा दी गई ऋण सहायता दीर्घकाल के लिये है । यह ऋण कितनी अवधि में चुकाया जायेगा इसपर कितना ब्याज दिया जायेगा और क्या यह ऋण मशीनों के रूप में होगा अथवा किसी अन्य वस्तु के रूप में ?

श्री हुमायून कबीर : इस ऋण में इस तेलशोधक कारखाने की विदेशी मुद्रा संबंधी सभी आवश्यकताएं होंगी । जहां तक शर्तों, अवधि, ब्याज आदि का संबंध है मैं इनके संबंध में सभा-पटल पर जानकारी रख दूंगा ।

Anti-Corruption Drive

+
***484. Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Bagri :
Shrimati Tarkeshwari Sinha :
Shri Krishnapal Singh :
Shri M. L. Jadhav :
Shri Jedhe :
Shri Kajrolkar :
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the extent of success achieved by Government in their anti-corruption drive according to a scheme announced by him some time back;

(b) whether the measures already taken have proved adequate for the purpose; and

(c) if not, the measures taken and the machinery set up for the purpose and the new dead-line fixed therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) the measures for putting down corruption in public administration have already made substantial progress.

(b) and (c): A statement is laid on the table of the House. **[Placed in Library.** *See* **No. LT 4782/65].**

Shri M. L. Dwivedi : Sometime back our Home Minister Shri Nanda announced that he would eradicate corruption within two years. In the question it is asked :

"यदि नहीं, तो काम के लिये क्या उपाय तथा व्यवस्था की गई है और उसकी कौन-सी नई अन्तिम तारीख निश्चित की गई है ?"

This has not been answered. I want to know whether the corruption will be eradicated within the time of two years fixed for this purpose.

Shri Hathi : He did not say that corruption will be completely eradicated. He had said :

भ्रष्टाचार-उन्मूलन आन्दोलन पर काफी प्रभाव पड़ेगा । उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि इसे दो वर्षोंमें पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मैं कुछ और कार्य में व्यस्त था । जब मैंने अपना नाम सुना तो मैं सभा-सदन में लपक कर आया ।

श्री हरि विष्णु कामत : स्वगतम् ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर पहले दे दिया गया है तो उनके लिये उत्तर देना आवश्यक नहीं है । वह दूसरा प्रश्न सुनें ।

श्री हरि विष्णु कामत : उनके वक्तव्य का उल्लेख किया गया था ।

Shri M. L. Dwivedi : I had asked that Shri Gulzari Lal Nanda.....

Mr. Speaker : Shri Hathi has told that he did not say that corruption will be completely eradicated from here, but that there will be sufficient impact on anti-corruption drive and that has been.

Shri M. L. Dwivedi : I only wanted to know whether there has been an impact or not.

श्री नन्दा : मैंने जो जिम्मेदारी ली थी उसे मैं जितना जानता और महसूस करता हूं, कोई और उतना नहीं जानता और महसूस करता । प्रतिदिन मैं उसे याद करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : 1963 याद है ।

श्री नन्दा : मैं नहीं जानता ; अपने काम के बारे में कोई भी स्वयं निर्णय नहीं दे सकता । मेरे साथीने बताया कि इसका प्रभाव पड़ा है । मैं स्वयं कोई दावा नहीं करुंगा । मैं समझता हूं कि कुछ समय में कार्य का सर्वेक्षण किया जायेगा जो कि संसद के सामने रखा जायेगा क्यों कि मैं ने जो कुछ कहा था वह इस सभा में कहा था । मैंने पहले से ही एक निश्चित दिन को पदत्याग करने की अपनी पेशकश प्रधान मंत्री को दे दी थी । परन्तु इसका पता सभा-पटल पर रखे जाने वाले अभिलेख से लगेगा । जहां तक मेरा संबंध है मेरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : हम यह नहीं चाहते थे ।

Shri M. L. Dwivedi : In the statement placed on the Table of the House it is mentioned that in 1961, 1091 cases of corruption were detected.....

अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री को आश्वासन देता हूं कि यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह चाहता हो कि आप पदत्याग कर दें । वे केवल आपने जो वायदा किया था उसकी ओर आपका ध्यान दिला रहे थे ।

श्री रंगा : उन्हें उस समय ऐसा वक्तव्य देने की जरुरत नहीं थी और उसको उन्हें दोहराना नहीं चाहिये था । यह सच है कि, यह इस सरकार की बड़ी बीमारी है । उन्होंने स्वयं कहा है कि इसकी गहरी जड़े हैं । ऐसी बड़ी बात कहने के पश्चात उनको सारी ज़िम्मेदारी अपने पर लेने की आवश्यकता नहीं है । सारी

सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिये यदि किसी एक व्यक्ति को जाना है तो सारी सरकार को जाना चाहिये । हमने पहले ही बता दिया है कि.....[कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए]

Shri M. L. Dwivedi : In the statement it is given that in 1961, 1091 cases of corruption were detected, but in 1964 this number rose to 1875, that is there was an increase of 80 per cent. What are the reasons for this increase even after the launching of anti-corruption drive ?

श्री हाथी : कारण स्पष्ट है । ऐसा इसलिये है कि भ्रष्टाचार के अधिक मामले पकड़े गये हैं ।

Shri Bagri : Shri Nanda made an announcement that he will eradicate corruption but despite his efforts corruption has not eradicated. Has Shri Nanda thought out its reasons, if so, whether the persons in high places are mainly responsible for this and there they cannot lay hands ? Has any method been devised for this ?

Shri Hathi : Numerous reasons have been given in the statement placed on the Table. The steps taken have also been mentioned in the statement.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि यह प्रश्न कि क्या भ्रष्टाचार कम किया गया है, अथवा कम हो गया है इसका पता इसके प्रभाव से चलेगा । प्रभाव को देखने की क्या कसौटी है ? यदि भ्रष्टाचार के अधिक मामले पकड़े जाते हैं तो क्या इसका यह अर्थ है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है और यदि कम मामले पकड़े गये हैं तो क्या इसका यह अर्थ निकलता है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है ?

श्री हाथी : प्रभाव का यह अर्थ नहीं है कि भ्रष्टाचार के अधिक मामले पकड़े जायें, न यह कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, परन्तु इसका यह अर्थ अवश्य है कि प्रशासन में एक विशेष आन्दोलन चल रहा है और यह भी कि लोक सरकार है, यह कि अधिकारियों और लोगों में अधिक जागृति है कि इस प्रयोजन के लिये कोई व्यवस्था चालू कर दी गई है । प्रभाव का अर्थ यह है ।

श्री नन्दा : जहां तक किये गये उपायों के प्रभाव का संबंध है उनका अवश्य ही कुछ परिणाम निकलना चाहिये और इसलिये पहली बात तो यह कि जब व्यवस्था को कडा किया जाता है और विभिन्न दिशाओं से कदम उठाये जाते हैं तो इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के अधिक मामले पकड़े जाने चाहिये और फिर बाद में दूसरी बातें आती हैं । फिर किसी अवस्था पर यह भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या घटनी चाहिये । सांख्यिकी विदों की सहायता से हमने नमूना सर्वेक्षण आदि का एक तरीका चालू किया है और कुछ विभागों में एक उक्त सांख्यिकी नमूने के आधार पर—कि उसमें कितनी अनियमितताएं पकड़ी जाती हैं, सारी बातों को ले कर—यह देखा गया है कि कुछ सुधार हुआ है । उदाहरणार्थ, सीमा शुल्क विभाग में । बिना जानकारी के मैं यह तो नहीं कह सकता कि निश्चित रूप से कितना । इसलिये दोनों तरीकों से—भ्रष्टाचार के मामलों की पकड़ तथा सुधार—प्रभाव का पता लगाया जा सकता है ।

श्री रंगा : दो मुख्य मंत्रियों को निकलना पड़ा था ।

Mr. Speaker : Shri Bagri. He had said that Government cannot lay hands at higher places. Was this his question ?

Shri Bagri : Government's hands are not laid at those places.

Mr. Speaker : In the statement it has been mentioned that hands have been laid at higher places.

Shri N. N. Patel : Is it a fact that some days back one gentleman from Gujarat had written that the corruption is on the increase and that if it is not eradicated he would burn himself to death ?. If the Government knew about this why steps were not taken to prevent that suicide ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री स० मो० बानर्जी : क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण यह है कि शासक दल बड़े उद्योग-पतियों से बहुत मोटी राशियां राजनैतिक दान के रूप में लेता है, और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये इस प्रकार का दान न लिया जाये, कोई तरीका निकाला है ?

श्री नन्दा : भ्रष्टाचार कहीं भी हो और इसके कुछ भी कारण हों, बुरी चीज़ है। इसको रोकना चाहिये। और मैं नहीं समझता भ्रष्टाचार किसी एक ही निश्चित स्थान में पाया जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि प्रशासन और शासक दल दोनों में भ्रष्टाचार का मूल कारण यह है कि शासक दलसे बहुत मोटी रकमें दान में ली जाती है जिसके परिणाम-स्वरूप ये उद्योगपति विभिन्न स्थानों में भ्रष्टाचार पैदा करते हैं। इन लोगों से राजनैतिक दान लेने को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री नन्दा : मेरी अपनी राय यह है कि किसी भी राजनैतिक दल को ऐसे किन्हीं स्रोतों पर निर्भर नहीं करना चाहिये, परन्तु मैं इसमें एक या दूसरे राजनीतिक दल को स्वतंत्र रूपसे दान देने की बात को नहीं लेता हू।

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि एक व्यक्ति को, जिसे राष्ट्रपति द्वारा भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोपों पर सेवानिवृत्त होने के लिये बाध्य किया गया था और जो एक कलक्टर के लिये भी उपयुक्त नहीं था, उसे भारत के एक विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त कर दिया है और यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह भ्रष्टाचार है।

श्री रंगा : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। क्या वे इससे अगत हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस वक्तव्य के बाद नाम छिपा रह सकता है ? मैं इसके यहां पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता, चाहे यह प्रमाणित कर दिया गया है अथवा नहीं कि मंत्री को क्या कहना है। उस दिशा में सहायता देने की बजाये, शायद हम अधिक हानि पहुंचाते हैं।

श्री भानु प्रकाश सिंह : उसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर मैं व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाना चाहता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वक्तव्य में दी गई लम्बी सूची में मंत्रियों के लिये एक आचारसंहिता दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैसूर और आसाम जैसे राज्यों ने आचारसंहिता को ग्रहण नहीं किया है। क्या जिन राज्यों ने इसको स्वीकार किया है उनके मंत्रियों ने अपनी आस्तियां और दायित्व परिवारों के व्यापार संबंध आदि प्रकट कर दिये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इस विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

श्री हाथी : जिन राज्यों ने संहिता को स्वीकार किया है उनके नाम विवरण में दिये गये हैं ; अत: जिन राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया है वे इसपर विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वे इसको स्वीकार कर लेंगे, मंत्रियों को प्रत्यक्षत: संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री को विवरण देना होता है ; वे यहां नहीं देने होते।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या आप विवरण प्राप्त नहीं कर सकते और केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के लिये उन्हें सभा पटल पर नहीं रख सकते ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने राज्यों के संबंध में प्रश्न पूछा है।

श्री हाथी : सभी केन्द्रीय मंत्रियों ने अपने विवरण प्रधान मंत्री को दे दिये हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या आप उनको सभा पटल पर रख देंगे ?

श्री हाथी : यह रखने के लिये नहीं है... (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री कृष्णपाल सिंह : श्रीमन्.....

अध्यक्ष महोदय : मैं उस ओर देख रहा हूँ; वह अब खड़े हुए हैं। मैंने उन्हें देख लिया है; उनको बेसब्र नहीं होना चाहिये ; मैं उन्हें बुला लूंगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कितने सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरण काम कर रहे हैं और क्या परिणाम निकला ?

श्री हाथी : राज्य अथवा केन्द्र के किसी सरकारी विभाग में किसी विशेष अभिकरण के बारे में किसी विशेष व्यवस्था का उल्लेख करना असंभव है। क्योंकि प्रत्येक विभाग को, यह सुनिश्चत करने के लिये कि मामले बिना विलम्ब के निबटाये जायें, स्वयं स्तर्क रहना पड़ता है। क्योंकि देर भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। अतः सरकार का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिये कि प्रशासन में कार्य-कुशलता है और देरी कम लगती है, और ये सभी विभाग स्वयं ही अभिकरण हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। (**अन्तर्बाधा**) ।

श्री रंगा : यह देखते हुए कि विभिन्न सार्थों के साथ वित्त मंत्री के व्यवहार के संबंध में कई बार उल्लेख किया गया था और वित्त मंत्री के अपने उत्तर को भी ध्यानमें रखते हुये जो उन्होंने यहां और दूसरी सभा में दिया, क्या सरकार सभी केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा, व्यापार से उनके संपर्कों के संबंध में प्रत्यक्षतः स्वयं उनके द्वारा तथा उनके रिश्तेदारों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा जिनका उनके साथ घनिष्ठ संबंध है प्रधान मंत्री को दिये गये विवरणों की एक प्रति को सभा पटल पर रखने की वांछनीयता पर विचार करेगी, और यदि सरकार ऐसा करने के लिये तैयार नहीं है तो क्या ऐसा इस लिये है कि वे सच से डरते हैं ?

श्री हाथी : सच से डरने की कोई बात नहीं है। परन्तु जैसा कि मैंने बताया जब तक कि वर्तमान स्थिति रहती है सरकार का ऐसा करने का विचार नहीं है (**अन्तर्बाधा**) ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री दी० ना० मुकर्जी : ऐसा प्रतीत होता है सरकार मंत्रियों द्वारा प्रधान मंत्री को पहले से ही दिये गये विवरणों को इस सभा के सामने, देश के सामने रखना नहीं चाहती है। क्या सरकारने यह निर्णय किया है जबकि प्रतीत होता है कि यह देश में भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण पैदा करने के विरुद्ध है ? क्या श्री नन्दा के पास इस आरोप का उत्तर है जो कि लोग सरकार के विरुद्ध ला रहे है?

श्री नन्दा : मैं प्रश्न को कुछ समझ नहीं सका, परन्तु.....

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर दिया जा चुका है कि सरकार उस विवरण को देखने के लिये तैयार नहीं है। अब प्रश्न यह है कि सरकार उस विवरण को सभा पटल पर रखने के लिये क्यों तैयार नहीं है।

श्री नन्दा : प्रधान मंत्री अपने मंत्रियों की ईमानदारी को देखने के लिये पूरी तरह सक्षम है।

श्री रंगा : जी नहीं। (**अन्तर्बाधा**) । एक तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मंत्रिमण्डल ने, श्री बीजू पटनायक और उन व्यक्तियों के संबंध में प्रतिवेदन को गोपनीय रखा। मेरे माननीय मित्र के इस दावे की पोल, कि सरकार पर भरोसा किया जा सकता है और सरकार मंत्रियों में ईमानदारी रखने के लिये पूरी तरह सक्षम है इस सभा ने खोली थी। हमें उनके इस दावे पर आपत्ति है । (**अन्तर्बाधा**) ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ऊंची जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहना चाहिये जहां तक कि मैं उनका प्रयोग कर सकता हूं।

श्री रंगा : वे बहुत बड़ा दावा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चाहे यह गलत है चाहे ठीक है, मैं और क्या कर सकता हूं ? प्रश्न पुछा गया था और माननीय मंत्री ने उसका उत्तर दे दिया है। प्रश्न काल में मैं केवल जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। यदि वे और प्रश्न और तर्क करना चाहते हैं ही तो वे किसी अन्य तरीके से कर सकते हैं, परन्तु प्रश्न काल में नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह तर्क का प्रश्न नही है । प्रश्न यह था कि वे विवरण को सभा पटल पर रखने को क्यों तैयार नहीं हैं । उसका सीधा उत्तर न देकर उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री उनकी ईमानदारी के रखवाले हैं । हमारा इससे कोई संबंध नहीं है । उन्होंने फैसला किया है मंत्री अपना विवरण प्रधान मंत्री को दगे । यह ठीक है । परन्तु विवरण सभा पटल पर रखने में उनको डर क्यों लगता है ? क्या कोई पोल खुलने का भय है ? मामला क्या है ?

श्री हरि विष्णु कामत : दल का हित, नकि लोक हित ।

श्री नन्दा : मैं पहले ही इस सभा में स्पष्ट रुप से बता चुका हूं कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई शिकायत होंगी तो निश्चय ही एक निश्चित तरीका अपनाया जायेगा । जो कि उड़ीसा के मामले से भिन्न होगा । यदि किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता पड़ी तो यह स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा कराई जायेगी । इसके बाद मैं नहीं समझता कि सरकार द्वारा कोई निर्णय देने की आवश्यकता है । अत: यह प्रश्न का पूरा उत्तर है । जहां तक इस प्रश्न का संबध है कि, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई बात हो तो क्या उसकी जांच की जायेगी अथवा नहीं, मैं उसे पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं । कई माननीय सदस्य खड़े हुए...

अध्यक्ष महोदय : शांति , शांति । वे इसको भिन्न तरीके से उठा सकते हैं । उनके पास कई अन्य अवसर हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । इसके साथ साथ प्रश्न काल की महत्ता को मुझे वश्वास है आप महत्व देंगे । यदि किसी प्रश्न को पुछने में हमें वह जानकारी नहीं मिलती तो प्रश्न काल का कोई अर्थ नहीं है । मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके आन्दोलन के संबंध में हम सब श्री नन्दा की इमानदारी पर विश्वास करते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हमें भ्रष्टाचार-विरोधी जैसी छोटी छोटी समितियों में काम करने को कहा जाता है । देशवासी मंत्रियों की परिसंपत्ति के बारे में भी कुछ जानना चाहते है । देशवासियों की मांग पर ही मंत्रियों को यह सूचना प्रधान मंत्री को देनी पड़ती है । हम चाहते हैं कि देश की जनता को इस बारे में अवगत कराया जाये ताकि गलतफहमियां दूर हों । मंत्री आनाकानी करते हैं और आप प्रक्रिया नियमों तथा ऐसी बातों से बंधे हुए हैं । इस का फल यह होता है कि जनता को तथ्यों के बारे में पता नहीं चलता और वे सन्तुष्ट नहीं होते । यह बड़ी अवांछनीय स्थिति है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है । मैं माननीय सदस्यों को पहलेही बता चुका हूं कि चर्चा करने तथा कारण आदि जानने का प्रयत्न करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं । निस्संदेह उन सब बातों पर चर्चा की जा सकती है, परन्तु वह चर्चा सर्वथा भिन्न रूप में होगी । जहां तक प्रश्न काल का सम्बन्ध है, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मंत्री जिस बात को बताना नहीं चाहते, उन्हें उसे बताने को बाध्य करूं । उनके विचार में इस की कोई आवश्यकता नहीं है और नहीं वे इसे सभा पटल पर रखने को तैयार हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इस की कोई आवश्यकता नहीं है । हम विशेष रूप से वह उत्तर चाहते थे, जिसे कि उन्होंने टाल दिया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न यह नहीं है कि यदि मंत्रियों के विरुद्ध शिकायतें हुई तो जांच पड़ताल का क्या रूप होगा ....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पुछा गया था और उत्तर दे दिया गया है । इस से माननीय सदस्यों को संतोष नहीं हुआ तो यह बिल्कुल अलग बात है । मुझेतो केवल प्रश्नों और उत्तरों को विनियमन करना है । यदि वे मंत्रियों के आचरण से संतुष्ट नहीं है तो चर्चा करने के दूसरे तरीके हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि प्रश्न कुछ हो और उत्तर कुछ तो आपने हमारी सहायता करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस आशय में जो सूचना मांगी गई थी वह दे दी गई है कि उनके विचार में इसे सभा पटल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जहां तक मेरी जानकारी है जब कभी भी मंत्री महोदय ने किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार किया है तो यह तर्क पेश किया गया कि इसे बताना लोकहित में नहीं है । इस मामले में क्या वह यही तर्क देते है, अथवा उनके दल के हित का तर्क है ?

अध्यक्ष महोदय : इस में लोकहित का कोई प्रश्न नहीं है । उन्होंने तो कहा है कि वे इसे सभा पटल पर रखने को तैयार नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस का कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इसे दूसरी तरह से उठाया जा सकता है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

काजू के कारखानों में श्रमिकों की हड़ताल

अ० सू० ० 4. श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में काजू के कारखानों के 80,000 श्रमिकों ने हड़ताल की है ;

(ख) यदि हां, तो झगड़ा किस बात पर है; और

(ग) सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) काजू श्रमिकों द्वारा केरल में हड़ताल की गई थी ।

(ख) विवाद का मुख्य विषय 1964–65 का बोनस तथा विभिन्न संघो द्वारा रखी गई दूसरी आम मांगे थी ।

(ग) केरल सरकार के श्रमायुक्त ने समझौता कराने के लिये कई बैठकें बुलाई । अन्तिम बैठक 1 सितम्बर, 1965 को हुई थी जिस में दोनों पक्षों में समझौता हुआ और हड़ताल 2 सितम्बर, 1965 से समाप्त कर दी गई ।

श्री वारियर : समझौते में कौन कौन सी बातें मानली गयी हैं ?

श्री संजीवय्या : वे श्रमिकों की वार्षिक आयका $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत 1964–65 के लिये बोनस के रूप में देने को सहमत हो गये हैं । जहां तक अन्य कर्मचारियों (स्टाफ) का सम्बन्ध है उन्हें दो मास का वेतन बोनस के रूप में दिया जायेगा । अन्य शर्तें बाद में तय की जायेंगी ।

श्री वारियर : क्या नियोजक संगठन का यह कहना है कि वे $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत देने के लिये बाध्य नहीं हैं और उन्होंने तो केवल 4 प्रतिशत ही देना है जिसकी कि बोनस अध्यादेश में व्यवस्था है ।

श्री संजीवय्या : उन का आशय चाहे कुछ भी रहा हो परन्तु अब मालिकों और श्रमिकों में राजीनामा हो गया है और उन्हें यह तय किया है कि बोनस $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात की जांच करने के लिये क्या व्यवस्था है कि श्रमिकों और मालिकों के बीचमें यह जो समझौता हुआ है उसका ठीक तरह से पालन किया जायेगा और यह कि मालिक बोनस को $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत से बदल कर 4 प्रतिशत नहीं करेंगे ?

श्री संजीवय्या : मजदूर संघके एक वरिष्ठ नेता होने के नाते माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि राज्य कार्यान्विति तथा मूल्यांकन समिति बनी हुई है जो समझौते, राजीनामों तथा पंचनिर्णयों के उल्लंघन के मामलों की छानबीन करती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वालकॉट का प्रत्यर्पण

*485. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 369 के उत्तर के सम्बन्ध के यह बताने की कृपा करेंगे कि वालकॉट के विरुद्ध प्रत्यर्पण कार्यवाही आरम्भ करने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : बम्बई के मुख्य प्रेसीडेन्सी न्यायाधीश के न्यायालय से प्राप्त गिरफ्तारी के वारंट, जिनके साथ अभिसाक्ष्य और सबूतों की मूल प्रतियां भी थीं, संयुक्त-राज्य में भारतीय उच्च आयुक्त को भेज दिये गए है ताकि वालकॉट और उसके अन्य दो साथियों के विरुद्ध प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके ।

पोर्ट कैनिंग क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का पाया जाना

*486. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री हे० वी० कौजलगी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पोर्ट कैनिंग क्षेत्र में प्राकृतिक गैस मिली है ;

(ख) यदि हां , तो वह कितनी गहराई पर ;

(ग) क्या इससे यह पता चलता है कि उस क्षेत्र में कोई तेल निक्षेप हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितना तेल मिलने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर): (क) और (ख) : पोर्ट कैनिंग के पास व्यधि किये गये एक कुंए में लगभग 13,000 फुट की गहराई पर इण्डो-स्टैनवाक पैट्रोलियम प्रोजेक्ट (Indo-Stanvac Petroleum Project) को गैस मिली थी ।

(ग) और (घ) : इसमें और अन्वेषण की आवश्यकता है जो किया जा रहा है ।

गुजरात में पाया गया सबसे बड़ा तेल क्षेत्र

*487. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री पें० वेंकटासुबय्या :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री हेम राज :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बागड़ी :
श्री हे० वी० कौजलगी :

श्री अ० ना० विद्यालंकार :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में एक सबसे बड़े तेल क्षेत्र का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा तथा सम्भाव्यता क्या है; और

(ग) इस क्षेत्रमें छिद्रण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) से (ग) : कैम्बे की खाडी में बड़ी संरचनाओं के चिन्ह पाये गये हैं किंतु विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण और अन्वेषी व्यधन के बाद ही उनकी तेल विद्यमानता को जाना जायेगा । यह प्रस्ताव है कि आगामी भूकंम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर व्यधन कार्य जनवरी, 1966 में शुरु किया जायगा ।

केन्द्रीय पुलिस दल

*488. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री वारियर :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों और बन्दरगाहों तथा गोदियों के लिए विशेष रूप से दो केन्द्रीय पुलिस दल बनाने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में राज्य सरकारों से सलाह ली गई और क्या उन सब ने अपनी स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) विधि और व्यवस्था के इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों को उनके उत्तरदायित्व से क्यों वंचित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) उद्योगों तथा बन्दरगाहों के लिये केंद्रीय पुलिस दलों की स्थापना का कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना

*489. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री हेम राज :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसरण में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या सभी राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो किन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है और इसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होने की जांच करने के लिए कोई कसौटी निर्धारित की है और यदि हां, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य, जो न्याय-प्रशासन के लिये जिम्मेवार है संविधान के अनुच्छेद 50 के मंतव्य को समझते हैं। केन्द्रीय सरकार के इस बारे में कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) और (घ): सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखीए संख्या एलटी-478/65]

State Chief Ministers Conference

*490. **Shri Bagri :** **Shri Kanakasabai :**
Shri R. Barua : **Shri R. S. Pandey :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a Conference of State Chief Ministers was held in June last;

(b) if so, the subjects discussed thereat;

(c) whether the subject of rising prices was also discussed; and

(d) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) A conference of Home Ministers of States and Union Territories was held at New Delhi on June 6 and 7, 1965. Some Chief Ministers who held charge of the Home Portfolio in their respective States also attended the conference.

(b) The subjects discussed at the conference were Internal Security, Civil Defence and Border Security.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

स्नेहक पदार्थों का उत्पादन

*491. **श्री म० रं० कृष्ण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारने गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के साथ स्नेहक पदार्थों के उत्पादन के लिए एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन सी कम्पनियां हैं जिन्होंने सरकार के साथ सहयोग करना मंजूर किया है तथा किन शर्तों पर ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ख) : लुब्रीकेटिंग प्लांटों की स्थापना के लिए एस्सो और बर्मा शैल से बातचीत जारी है ।

कच्चे तेल की ढुलाई

*492. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने को कच्चा तेल पहुंचाने के लिए टैंकर सम्बन्धी-ठेकों के लिये जिन नोटिसों में टेण्डर मांगे गये थे उनका उचित प्रचार नहीं किया गया और उसके परिणाम स्वरुप ठेका एक विदेशी जहाजरानी फर्म को दे दिया गया ;

(ख) क्या इस भुल का भारतीय जहाजरानी पर बुरा असर पड़ा है ; और

(ग) इस ठेके के लिये कितनी विदेशी मुद्रा देनी होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबीर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह परिवहन किये गये कच्चे तेल की मात्रा पर निर्भर होगा ।

पेट्रो-रसायन उद्योग

*493. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री पें० वेंकटासुबय्या :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी दल ने, जो पैट्रो-रसायन उद्योगों के विकास की सम्भाव्यता का अध्ययन करने के लिए गत वर्ष भारत आया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : यह मालूम हुआ है कि भारत में पैट्रो-रसायन उद्योगों के विकास का अध्ययन करने के लिए जापानी सलाहकार संस्था द्वारा 1964 में संगठित किये गये सर्वेक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट इण्डियन इनवैस्टमैण्ट सैन्टर को भेज दी है ।

अन्तर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिये व्यवस्था

*494. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री राम सेवक यादव :**

श्री मधु लिमये : **श्री बासप्पा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए कोई सरकारी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मामला विचाराधीन है ।

हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन

*495. **श्री राम सेवक :**

श्री फ० गो० सेन :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैचल एशियाई निगम ने हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन का निर्माण-कार्य छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष कार्य कैसे पूरा किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) से (ग) : निर्माण कार्य इटली की ई० एन० आई० (ENI) की एक उपसंगी, स्नाम-सैपम को सौंपा गया था, बैचटल एशियाई निगम को नहीं । बैचटल निगम को सलाहकार के तौर पर नियक्त किया गया था और उनका ठेका 30 जून, 1965 को समाप्त हो गया । इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (पाइपलाइन प्रभाग) ने निर्माण के शेष कार्य की देखभाल की जिम्मेवारी ली है ।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पुरस्कार

*496. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को पुरस्कार देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कब तक घोषणा कर दी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना०मिश्र) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Re-Arrest of Left Communists

*497. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a large number of Left Communists were released during the first week of August, 1965 but they were re-arrested immediately ;

(b) the total number of such persons; and

(c) the reasons for re-arresting them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). 76 Left Communists were released by the Government of Uttar Pradesh on 31st, July 1965. 55 of those released were detained by the Central Government on 1st August, 1965.

(c) These persons were detained by the Central Government under rule (30) (1) (b) of the Defence of India Rules with a view to preventing them from acting in any manner prejudicial to the Defence of India and civil defence, the public safety and the maintenance of public order.

वामपक्षी साम्यवादी दल के नेता के घर से बरामद हुए कागजात

*498. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वामपंथी साम्यवादी दल के नेता के घर से लाये गये कुछ कागजातों को पढ़ा है और वह केवल दो शब्दों 'माओत्से तुंग' और 'गुलजारी लाल' शब्द ही पढ़ सकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन कागज़ों में लिखे अन्य शब्दों को पढ़ने में कोई प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार उस कागज को दोबारा ठीक करने में सफल हो गई है जिसे एक वामपन्थी साम्यवादी नेता ने अपनी गिरफ्तारी के समय फाड़ कर एक कुए में फेंक दिया था। किन्तु इसमें "गुलजारी लाल" शब्द नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Demonstration by Teachers

*499. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Lakhnu Bhawani : Shri Jashvant Mehta :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demonstration was staged by the All India Higher Secondary Teachers' Federation at Parliament House on the 24th August, 1965;

(b) whether it is also a fact that they have demanded uniform scales of pay for all teachers throughout the country and for spending more money on education than what is allocated in the Plan; and

(c) if so, the action Government propose to take in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Smt. Soundaram Ramachandran) : (a) Yes, Sir. The demonstration was however, staged on 23-8-65 and not on 24-8-65.

(b) Yes, Sir.

(c) The Union Government cannot lay down uniform pay scales for teachers throughout the country and are trying to allot as much funds for education as possible.

Pay Increase for I. A.S. Officers

*500. **Shri Sinhasan Singh : Shri J.B.S. Bist :**
Shri Heda : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bhagwat Jha Azad : Shri H. C. Linga Reddy :
Shri M.R. Krishana : Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay of Secretaries, Additional Secretaries and Joint Secretaries of the Indian Administrative Service has been raised by Rs. 500, Rs. 300 and Rs. 250, respectively ; and

(b) if so, whether the pay of other Government employees would also be raised in a similar order and proportion ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) & (b). Scales of pay applicable to the Indian Administrative Service and other Services at senior levels have been revised with effect from 1st September, 1965 as follows :

	Revised pay Rs.
(i) Secretaries to the Government of India and equivalent posts carrying a pay of Rs. 3000	3,500
(ii) Additional Secretaries to the Government India/Chief Secretaries and equivalent posts carrying a pay of Rs. 2,750	3,000

	Revised pay Rs.
(iii) Financial Commissioners and equivalent posts carrying a pay of Rs. 2,500	2,750
(iv) Joint Secretaries to the Government of India, Commissioners in State Governments and equivalent posts carrying a pay of Rs. 2,250	2,500-125/2 2,750

Damage to Aurobindo Ashram, Pondicherry

*501. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Ram Harkh Yadav :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri R. Barua :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri D. D. Mantri :**
Shrimati Tarkeshwari Sinha : **Shri Basumatari :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the enquiry conducted into the loss suffered by the Aurobindo Ashram in Pondicherry as a result of the linguistic disturbances has since been completed;

(b) if so, the results thereof; and

(c) whether any special measures are proposed to be taken for the safety of this Ashram ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) & (c). Government are taking action to strengthen the administrative machinery, including the police, to maintain law and order in the territory.

Midday meals to students

*502. **Shri Bibhuti Mishra :** **Smt. Maimoona Sultan :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a scheme to provide midday meals to students has been introduced in the various States with effect from July, 1965;

(b) if so, the categories of students entitled for midday meals;

(c) whether the central Government are also contributing towards this scheme;

(d) the extent to which the Central Government will give financial assistance; and

(e) the extent of the benefit accruing from the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministery of Education (Shimati Soundaram Ramachandran) : (a) The Scheme was initiated in 1962-63 and is being implemented in 11 States and 2 Union Territories, at present.

(b) Primary School Children.

(c) Yes, Sir.

(d) One-third of the total expenditure incurred by a State Government is met by the Government of India.

(e) Nearly 9 million children will be benefitted by the Scheme in 1965-66.

कोचीन तेल शोधक कारखाना

*503. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री राम हरख यादव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **पेट्रोलियम** और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह निर्माण-कार्य समय से कितना पीछे है ;

(ग) इस कारखाने के कब तक चालू होने की सम्भावना है;

(घ) इस के निर्माण कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ; और

(ङ) परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ग) : मार्च 1966 तक शोधनशाला के चालू होने की आशा है ।

(ख) लगभग तीन महीने

(घ) 30 जून 1965 तक 11.06 करोड़ रूपये ।

(ङ) लगभग 22.00 करोड़ रूपये ।

आर्थिक "पूल"

*504. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सिंहासन सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 मार्च 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 568 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न प्रबन्धक पदों को भरने के लिये एक आर्थिक "पूल" बनाने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) इस पूल के लिये चुनाव तथा भर्ती किस प्रकार की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय आर्थिक समुच्चय (पूल) के निर्माण सम्बन्धी विभिन्न पहलू अभी तक विचाराधीन है ।

दिल्ली में महिलाओं के लिये नया कालेज

*505. **श्री दी०चं० शर्मा :**

श्री महादेव प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन से महिलाओं के लिए इस वर्ष एक नया कालेज खोलने के लिए कहा गया है,

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के कालेजों में लड़कियों के लिए स्थानों की बहुत कमी है ;

(ग) यह कालेज कहां तक आवश्यकता पूरी करेगा; और

(घ) शेष महिला छात्रों को स्थान देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां । दिल्ली प्रशासन ने तिमारपुर में महिलाओं के लिए एक नया कालेज खोला है ।

(ख) और (ग) : लड़कियों के लिए स्थान की कमी, प्रथम वर्ष में नए कालेजों में 700 स्थान दे कर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय की महिला शिक्षा (गैर कालेजी) सलाहकार बोर्ड की योजना के अन्तर्गत लगभग 300 महिला छात्राओं को स्थान दे कर पूरी की गई ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Crimes in New Delhi Jail

*506. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of crimes in the New Delhi Jail is constantly increasing ;

(b) whether it is also a fact that a prisoner died by taking poison on the 13th August and another person was stabbed the very next day; and

(c) if so, the action taken by Government to check these incidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. However, an under-trial committed suicide by swallowing soapsoda solution on the 13th August and on the 14th August, two prisoners sufferred minor injuries in a scuffle.

(c) Does not arise.

विशेष क्षेत्रों का समेकित विकास

*507. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**

श्री अ० सिं० सहगल : **श्री चाण्डक :**

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसाधनों के समेकित विकास के लिय चुने गये विशेष क्षेत्रों के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : अन्दामान तथा निकोबार द्वीप समूहों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है, विकास कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है और आगामी कार्य के मौसम में अधिक प्रगति की संभावना है । चन्दा (महाराष्ट्र) का सर्वेक्षण पूर्ण होने जा रहा है । उड़ीसा के क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के चम्बल तंगघाटी क्षेत्र में भूमि सुधार के लिये भूमि प्राप्यता के बारे में भी प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जा चुका है । मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों तथा मैसूर के क्षेत्रों का सर्वेक्षण अभी प्रारंभ नहीं किया गया है ।

सीमा-क्षेत्रों में शान्ति और सुरक्षा

*508. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री 18 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 87 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम तथा उसमें उल्लिखित अन्य सीमा क्षेत्रों में शान्ति और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली विभिन्न विशिष्ट समस्याओं के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : पाकिस्तानी राष्ट्रिको की अवैध घुसपैठ, विद्रोही नागाओं की गतिविधियां और सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों से उत्पन्न खतरा, इस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याएं हैं। एक सीमा सुरक्षा दल का निर्माण पहले ही कर लिया गया है और सीमा पर सैनिकों को इधर-उधर भेजने का नियंत्रण सेना के हाथ में है । सुरक्षा उपायों को दृढ़ करने, भविष्य में अवैध घुसपैठ को रोकने, पुलिस की शक्ति बढ़ाने और उसे सुसज्जित करने तथा ऐसे स्थानों की रक्षा के लिये कदम उठाये गए है जहां से घुसपैठ की जा सकती है। इसके अधिक विस्तार में बातें बताना ठीक नहीं होगा ।

एक्टीवेटेड कार्बन का निर्माण

1691. **श्री राम हरख यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के उपक्रम के रूप में व्यापारिक स्तर पर एक्टीवेटेड कार्बन तैयार करने के लिए हैदराबाद में एक कारखाना खोलने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) उस संयत्र को जिसका डिजाइन क्षेत्रिय प्रयोगशाला, हैदराबाद ने बनाया था और जिसकी गढ़ाई स्थानीय रूपसे हुई थी, 19-6-1965 से चालू किया गया ।

(ख) संयंत्र के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(1) यह आदि रूप का एक अर्धव्यावसायिक संयंत्र है जिसमें प्रति दिन 2 टन उत्प्रेरित कार्बन (एक्टीवेटेड कार्बन) की धारिता है । इस वर्ष उत्पादन दर 500 टन है।

(2) संयंत्र से, विनियोग के एक विस्तृत क्रम में उत्प्रेरित कार्बन (एक्टीवेटेड कार्बन) पैदा किये जा सकते हैं ।

(3) इस संयंत्र पर किये गये प्रयोगों से व्यावसायिक संयंत्रों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होंगें ।

(4) संयंत्र से होने वाला उत्पादन इस समय आयात होने वाले उत्प्रेरित कार्बन का स्थान ले सकेगा ।

बडगरा (केरल) में छोटा (जूनियर) तकनीकी स्कूल

1692. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बडगरा में एक छोटा (जूनियर) तकनीकी स्कूल स्थापित करने के मामले में 1964-65 तथा 1965–66 में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) स्कूल कब आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) केरल में ऐसे कुल कितने स्कूल खोले गये अथवा खोलने का विचार है तथा वे कहां स्थित हैं अथवा होंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय बडगरा में एक जूनियर तकनीकी स्कूल खोलने का इरादा स्थगित कर दिया गया है।

(ग) अभी तक केरल में अटिंगल, मानक्कला, पम्पाडी, शेरटल्ली, पेरूम्बवूर, कुन्नमकुलम, शोरानूर, मंजेरी, चेरुवधूर, पलाई, कोरट्टी, करांगानूर, चित्तूर, नेदुमनगाड कृष्णपूरम, मधानूर, एजकोन, त्रिचूर, कालीकट और कन्नानूर में 20 जूनियर तकनीकी स्कूल खोले गये हैं। चालू वर्ष में केरल में और कोई जूनियर तकनीकी स्कूल नहीं खोला जाएगा।

केरल में बिजली के गिरने से मृत्यु

1693. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष केरल में बिजली के गिरने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ख) क्या सरकार ने मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कोई सहायता दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 28.

(ख) सहायता के योग्य मामलों में सहायता दी गई है।

केरल में पर्यटन विकास निगम

1694. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के लिये एक पर्यटन विकास निगम बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) निगम शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देगा।

केरल में पेट्रो-केमिकल कारखाना

1695. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री अ० व० राघवन :

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में पेट्रो-केमिकल उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव रद्द किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे कोचीन में स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन): (क) से (ग) : उर्वरक उद्योग को दी गई उच्च प्राथमिकता को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि कोचीन शोधनशाला से उपलब्ध नेफ्था की अधिकांश मात्रा का यथासम्भव अमोनिया एवं नाइट्रोजन सम्बन्धी उर्वरकों को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाए। नेफ्था पर आधारित एक बड़े आकार का उर्वरक संयन्त्र कोचीन में स्थापित किया जायेगा। नेफ्था की प्राप्ति पर निर्भर होते हुए, पेट्रो-केमिकलज़ के कई दूसरे यूनिटों को चालू करने के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जायेगा।

केरल के स्कूलों के लिये सुविधायें

1697. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में अधिकतर प्राथमिक और माध्यमिक स्कलों में न्यूनतम अपेक्षित स्थान, फर्नीचर, स्वच्छता तथा खेल के मैदानों की कमी है;

(ख) उन स्कूलों में विद्यमान सुविधाओं के बारे में केरल विश्वविद्यालय ने जो जांच की थी उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) इन स्थितियों में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ;

(घ) 1963 से केरल में कितने स्कूलों के भवन गिरे; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितने बच्चों की मृत्यु हुई ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) से (ङ) : राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

1698. **श्री राम हरख यादव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के लिए एक सलाहकार परिषद् स्थापित की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन है तथा इसके कार्य क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां।

(ख) डा० डी० जी० कर्वे सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष है और 23 अन्य प्रमुख व्यक्ति सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों इसके सदस्य है। यह परिषद् उन पाठ्क्रमों की उपयुक्ता के बारे में जिनकी अकादमी में व्यवस्था है और उच्च सेवाओं के प्रशिक्षण से सम्बन्धित अन्य प्रमुख मामलों पर सलाह देगी। इस परिषद् की स्थापना से सम्बन्धित प्रत्येक सरकारी संकला की प्रति सदन के सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4784/65।]**

Maharashtra Rehabilitation Schemes

1699. **Shri D. S. Patil :**
Shri Kamble :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Maharashtra Government had submitted some industrial schemes for the rehabilitation of refugees from East Pakistan ;

(b) if so, whether those schemes have been considered; and

(c) the decision taken thereon ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) :(a) to (c). The position regarding the schemes submitted by the Government of Maharashtra is indicated below :—

Name of the Scheme	Amount involved	No. of families covered	Remarks
1. Scheme for rehabilitation of fishermen families in Chanda and Bhandara Districts.	1,29,020	200	Sanctioned on 6-4-65.
2. Work Centres in camps with sewing machines donated by Panjab Branch of Indian Red Cross Society.	1,600	20	Sanctioned on 17-8-65.
3. Training-*cum*-production centres in camps in tailoring, carpentry and weaving.	31,000	47	The scheme is under consideration in consultation with the State Govt.
4. Scheme for the grant of loan to the new migrants for poultry keeping.	1,25,000	250	The Scheme is under consideration in consultation with the State Government.

Grant to Maharashtra for Secondary Education

1700. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Education** be pleased to state the amount of grant and loan given to the Government of Maharashtra for Secondary Education in the years 1963-64 and 1965-66 so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramchandran): A total grant of Rs. 24,230 was given during 1963-64 and an amount of Rs. 34·155 lacs has so far been allotted during the current year for the improvement of secondary education. No loan has been given.

लक्कादीव के लिये मालवाहक एवं यात्री -जहाज

1701. श्री अ० ब० राघवन :

श्री पोट्टेकाट्टु :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र लक्कादीव के लिये मालवाहक एवं यात्री जहाज के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) वह जहाज़ कब तक तैयार हो जायेगा ;

(ग) जहाज के निर्माण के लिये ठेका कब दिया गया था ; और

(घ) जहाज सेवा चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जहाज का पेंदा और ढांचा बैठाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और अब ढांचे का काम चालू है ।

(ख) आशा है कि अप्रैल 1966 तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) फरवरी 1963 में ।

(घ) विदेश से मुख्य यंत्रों तथा उपकरणों की प्राप्ति देर से होने के कारण जहाज के निर्माण के पूरा होने में लगने वाली देर ।

माहे में भूमि सुधार

1703. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 मार्च 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी की सरकार ने माहे में भूमि सुधार के बारे में उपयुक्त विधान बनाने के मामले में अंतिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब तक बनेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): आवश्यक विधान के शीघ्र ही पांडिचेरी विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

मैसूर उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

1704. **श्री सिद्दय्या** : क्या **गृह-कार्य** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी से पहली अगस्त, 1965 तक मैसूर उच्च न्यायालय में कितनी लेख याचिकाएं आई;

(ख) उनमें से कितनी याचिकाएं निबटा दी गई; और

(ग) कितने मामलों में फैसले राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध दिये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य

1705. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कोई निर्धारित प्रक्रिया है ;

(ख) क्या आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में सेवानिवृत्त होने का प्रश्न बाधक नहीं होता; और

(ग) इस समय आयोग के कितने सदस्य सेवा निवृत्त व्यक्ति है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) नहीं। किन्तु परम्परा से सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी, संविधान के अनुच्छेद 316(1) के परंतुक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, गृह-मंत्री तथा प्रधान मंत्री की सिफ़ारिशों पर करते हैं।

(ख) नहीं। आयोग की सदस्यता के लिये आयु की सीमा 65 वर्ष है।

(ग) वर्तमान छः सदस्यों में से चार, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, अधिकारी वर्ग में से हैं और सेवा-निवृत व्यक्ति हैं किन्तु उनमें से कोई भी 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है।

वैज्ञानिकों की अकादमी

1706. श्रीमती सावित्री निगम : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 24 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 121 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों की अकादमी स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है,

(ख) अकादमी के मुख्य कार्य क्या होंगे, और

(ग) इसके अब तक आरम्भ होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : मामला अभी तक विचाराधीन है।

भारत सरकार के मंत्रालयों में शिकायत विभाग

1707. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन शेष मंत्रालयों द्वारा शिकायत एकक खोले गये हैं उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : फरवरी 1965 के बाद किसी भी अन्य मंत्रालय ने शिकायत एकक नहीं खोला है।

व्यावसायिक भौतिक-चिकित्सा में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां

1708. श्रीमती सावित्री निगम : क्या शिक्षा मंत्री राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति योजना के बारे में 24 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक भौतिक-चिकित्सा सम्बन्धी विषयों की उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख): राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति और अधिछात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, बहुत से राष्ट्रमण्डलीय देशों ने अपने-अपने देशों में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को छात्र वृत्तियां देने का प्रस्ताव किया है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड और इंग्लैंड की सरकारों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा विषयों के चुनाव पर कोई पाबंदी नहीं है, किन्तु अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों जैसे कनाडा, मलेशिया, हांग-कांग, नाइजिरिया, घाना, श्रीलंका, माल्टा और साइप्रस द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों के लिए, उम्मीदवार केवल वही विषय ले सकते हैं, जिनकी उपयुक्त सुविधाएं इन देशों में उपलब्ध हों।

भारत सरकार मुख्यतया, इंजीनियरी, टेक्नालोजी, विज्ञान (जिसमें चिकित्सा और सर्जरी भी शामिल है), मानवविद्याओं और ललित कलाओं के अध्ययन और अनुसंधान के लिए अब तक विज्ञापन देती रही है। व्यावसायिक भौतिक चिकित्सा (फ़िजियोथैरेपी) में उच्च अध्ययन के इच्छुक उम्मीदवार इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन-पत्र भेज सकते हैं, किन्तु उन्हें अन्य विषयों के उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में बैठना होगा।

सामान्यतया छात्रवृत्तियाँ दो वर्ष की अवधि के लिए होती हैं और इनमें अध्ययन देश से आने-जाने दोनों ओर का यात्रा खर्च, पर्याप्त अनुरक्षण भत्ता, पुस्तकों और उपस्करों के लिए अनुदान, ट्यूशन तथा प्रयोगशाला फीसें, अध्ययन से संबंधित अंतरिक यात्रा और कुछ मामलों में वस्त्र भत्ता की व्यवस्था होती है।

दिल्ली में मकानों का गिरना

1709. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री काजरोलकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में वर्षा के कारण जून और जुलाई, 1965 में कितने मकान गिरे तथा उसके फलस्वरूप कितने हताहत हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : जून और जुलाई के महीनों में मकान गिरने के 8 घटनाएं हुई जिनमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9 व्यक्ति ज़खमी हुए। यह साफ नहीं है कि मकानों के गिरने का कारण वर्षा थी।

खाना बनाने के लिये प्राकृतिक गैस की सप्लाई

1710. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू कामों में उपयोग करने वालों को खाना पकाने के लिये प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं; और

(ख) बुरशेन गैस का मूल्य कम कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) इस समय आसाम में प्राकृतिक गैस खाना पकाने के लिये आयल इण्डिया लि० के कर्मचारियों और कई चाय-उद्यानों में काम करने वालों को सप्लाई की जाती है।

आसाम आयल कम्पनी, आसाम राज्य विद्युत् बोर्ड आदि के कर्मचारियों को भी गैस सप्लाई करने का प्रस्ताव है। आसाम गैस कम्पनी लघु उद्योग उपभोक्ताओं को सप्लाई के लिए एक गैस वितरण योजना के स्थापना की सम्भाव्यता का निरीक्षण कर रही है।

जहां तक गुजरात में प्राकृतिक गैस का सम्बन्ध है, तैल और प्राकृतिक गैस आयोग उपभोक्ताओं के खाना बनाने के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई की अभी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है क्योंकि उक्त आयोग ने विद्युत् जनन और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पूर्व वचन कर रखे हैं।

(ख) तेल कीमतों के कार्यकारी दल ने तरल पैट्रोलियम गैस की कीमत को निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया है। उनकी रिपोर्ट विचाराधीन है।

दिल्ली में रेलवे प्रांगण (प्रमिजेज) में समाज-विरोधी व्यक्तियों की अवैध कार्यवाही

1711. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बदमाशों के अनेक सुगठित गिरोह दिल्ली रेलवे स्टेशन के साइडिंग में खाली पड़े रेलवे डिब्बों में अवैध रूप से जुआघर तथा चण्डूखाने चलाते हैं तथा दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ने में असमर्थ है क्योंकि रेलवे 'साइडिंग' उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और रेलवे पुलिस भी इन गिरोहों की इन निन्दनीय कार्य-वाहियों को नहीं रोक सकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में दोहरे नियन्त्रण को समाप्त करने का है ताकि दिल्ली पुलिस इन गिरोहों को बिल्कुल समाप्त करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही कर सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में रेलवे पुलिस का प्रशासनिक नियंत्रण 16-7-1965 से पंजाब सरकार से दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

शिक्षा सम्बन्धी विचार गोष्ठी

1712. **श्री यशपालसिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1965 में नैनीताल में शिक्षा सम्बन्धी एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी,

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई , और

(ग) विचार-गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—4785/65]**

दिल्ली में शहरी क्षेत्रों की घोषणा

1713. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यायह सच है कि दक्षिण दिल्ली के लगभग 100 गावों को शहरी क्षेत्र घोषित किया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण ऐसा हो रहा है;

(ग) क्या इन गांवों के नाम दर्शाने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(घ) क्या इन गांवों के निवासियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल०ना० मिश्र): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ): तक प्रश्न ही नहीं उठते ।

Sale of Confiscated Goods

1714. Shri Bagri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the smuggled and confiscated goods are sold in the Central Government Employees Consumer Cooperative Store, New Delhi.

(b) whether it is also a fact that these goods are sold at high profits and the prices of certain commodities are more than the market prices; and

(c) the persons eligible to purchase these goods.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Members of the Central Government Employees Consumer Cooperative Society Ltd., New Delhi.

Central Government Employees Consumer Cooperative Store, New Delhi

1715. Shri Bagri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a move to convert the Central Government Employees Consumer Cooperative Store, New Delhi into a Government organisation;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) how the shareholders' interests will be protected ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

गृह-कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली

1716. श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री म० ला० द्विवेदी :

श्रीमती सावित्री निगम : श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कल्याण केन्द्रों के कर्मचारियों को वेतन नियमितरूप से नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के कर्मचारियों को शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कभी-कभी सरकारी साहाय्य अनुदान की स्वीकृति में देर लग ने से कर्मचारियों को मानदेय प्राप्त होने में देर हो जाती है ।

(ख) यह संगठन अभी हाल ही में संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत हुआ है । यह कानूनी स्तर पर अलग इकाई के रूप में अपनी कार्यव्यवस्था चलाने की स्थिति में हो जायगा और आशा है कि नियमित रूप से भुगतान किये जायेंगे ।

दिल्ली में विस्फोट

1717. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में विस्फोटों को रोकने तथा उनके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को पकड़ने के लिये गुप्तचर विभाग के विशेष कर्मचारियों का पुनर्गठन तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख): यह प्रस्ताव अभी तक दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

प्रशासनिक सुधार

1718. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 मार्च , 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करने के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): माननीय सदस्य का तात्पर्य सम्भवत: केन्द्रीय प्रशासनिक समुच्च योजना से है, जिसके पुनरीक्षण के लिय कुछ सुझाव राज्य सरकारों को भजे गए हैं और अब उनके दृष्टिकोणों पर विचार किया जा रहा है ।

पर्यटन महानिदेशक

1719. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० सरोजिनी महिषी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 526 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन महानिदेशक पद पर नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : जांच अन्तिम स्थिति में है ।

उत्तर प्रदेश में लड़कियों तथा स्त्रियों की शिक्षा

1720. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 और 1964-65 के दौरान लड़कियों तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार ने वास्तव में कितनी राशि खर्च की है; और

(ग) 1965-66 के लिए इस प्रयोजन के लिए कितनी राशी आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित रक़म नियत की गई थी:—

		रुपये (लाखों में)
(ख)	1963-64	41.88
	1964-65	78.48
	1963-64	41.232
	1964-65	110.295

इसके आलावा, सामान्य शिक्षा के लिए नियत रकम का कुछ भाग भी, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर खर्च किया गया है , किन्तु इसके अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग)	(i) विशेष कार्यक्रम	74.952
	(ii) अग्रिम कार्रवाई चौथी पंचवर्षीय योजना के लिय कार्यक्रम (लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाना)	6.00

Aid to Publishers of Uttar Pradesh

1721. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the aid given to the publishers, printers and booksellers of Uttar Pradesh in the field of production of literature on social education and for neo-literates during 1963-64 and 1964-65; and

(b) whether Government have formulated any scheme for giving aid to the Government of Uttar Pradesh for this purpose during 1965-66 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education)Shri Bhakt Darshan): (a) Government have no scheme of giving such aid and therefore no aid has been given to Uttar Pradesh publishers, printers and booksellers. There is a prize scheme for books written for neo-literates—under this scheme some books published in Uttar Pradesh have received awards and have been purchased. In addition, an instalment of Rs. 20,000/- was given during 1963-64 to M/S Hindi Vishwa Bharati, Lucknow, for the publication of Hindi Encyclopaedia.

(b) No, Sir.

भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के पास चीनी कारतूसों का पाया जाना

1722. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1472 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून के पास पाये गये कारतूसों के सम्बन्ध में जो कि चीन में बने हुए माने जाते हैं जांच इस बीच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी, हां । यह बात प्रमाणित हो गई है कि कारतूस चीन के बने हुए थे । किन्तु जो जांच की गई है, उसमें इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया कि इनका संदेश तोड़ फोड़ करने वालों से था या चीनी जासूसों से ।

अंकलेश्वर में तेल

1723. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किन्दर लाल :
श्री राम सेवक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री अंक्लेश्वर में तेल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 675 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तब से इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : 5 और कुओं का व्यधन किया गया है; जिन में से चार का परीक्षण पूरा हो चुका है और वे तेल युक्त पाये गये हैं । क्षेत्र की सम्भाव्यता का उचित तरीके से आंकन करने से पहले कई अतिरिक्त कुंओं का व्यधन करना आवश्यक होगा ।

राज्य सिब्बंदी बोर्ड, पंजाब

1724. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, 1965 में समाप्त किये गये राज्य सिब्बंदी बोर्ड, पंजाब, से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) अभ्यावेदन में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने पंजाब बोर्ड के अनुभव के आधार पर उसी प्रकार के बोर्ड बनाने के लिये अन्य राज्य सरकारों को राय दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

गृह-कार्य मंत्री की न्यायालय में उपस्थिति

1725. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से नज़रबन्द लोगों ने अपनी नज़रबन्दी को चुनौती देते हुये यह मांग की है कि गृह-कार्य मंत्री को न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित किया जाये ;

(ख) क्या सरकार की ओर से नज़रबन्दी के कारण बताने वाले शपथ-पत्र दाखिल किये जा चुके है; और

(ग) क्या यह सच है कि केंद्र को कई बार राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये नजरबन्दी आदेश रद्द करने पड़े है और अपनी और से नज़रबन्दी के नये आदेश जारी करने पड़े हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) कुछ नज़रबन्द लोगों ने उनकी बन्दी प्रत्यक्षीकरण अभियाचना को सुनने वाले उच्च न्यायालयों के पास इस बारे में प्रार्थना पत्र दिया था कि गृह-कार्य मंत्री को न्यायालय में साक्षी के रूप में बुलाया जाय।

(ख) मामले के अनुसार गृह-मंत्री अथवा भारत संघ व्दारा दाखिल किये गए जवाबी शपथ पत्रों का उद्देश्य नज़रबन्दी के कारण बताना नहीं था और न ही उनका न्यायिक आधार सिद्ध करना ज़रूरी हैं।

(ग) केंद्रीय सरकार ने भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30 के अधीन कुछ लोगों को नज़रबन्द करना जरूरी समझा जिन्हें पहले केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने नज़रबन्द किया था किन्तु जिनके विरूद्ध आदेश, केरल के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बारे में राज्य सरकारों द्वारा, नियम 30क(10) के अधीन रद्द कर दिये गये थे।

पाठ्यक्रमों का विविधकरण

1726. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, नीति के रूप में, शिक्षा के प्रत्येक मोड़ पर, जिस पर कि विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा छोड़ देते हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं अथवा वास्तविक व्यवसाय में पड़ जाते हैं, पाठ्यक्रमों का विविधकरण करने का निर्णय किया है ;

(ख) शिक्षा के वे प्रस्तावित मोड़ कौन से हैं जिन पर युवक शिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण के विविध मार्ग खोले जायेंगे; और

(ग) क्या इस प्रश्न की जांच करने के लिए और एक ऐसा ढांचा बनाने के लिए, जिसमें कि स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त रूप भेदों के लिये गुंजाइश रखी जाये, कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : माध्यमिक शिक्षा पद्धति में मुदलियार आयोग की सिफारिश पर जो विविधकरण लागू किया गया था वह प्राथमिक शिक्षा अर्थात् प्रायमरी और मिडिल प्रक्रमों के बाद आरम्भ होता है। स्कूल शिक्षा में हर मोड़ पर विविधकरण करने के बारे में कोई नया निर्णय नहीं किया गया है। निर्णय यह है कि विविधकृत पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता को बढाया जाए ताकि इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद विद्यार्थी उन व्यवसायों में जा सके जिनके लिये उन्होंने अपने माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा ली हो। इस मामले पर शिक्षा समिति भी ध्यान दे रही है।

Explosion in Gurgaon

1727. **Shri Hukumchand Kachchavaiya**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that houses in Sohana and Nuh Villages of Gurgaon District were rocked on account of severe explosion;

(b) whether it is also a fact that at that very time unidentified aeroplane was seen flying over Gurgaon;

(c) if so, the causes of the explosion; and

(d) the place from where the unidentified plane had come?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a)to (d). According to information furnished by Punjab Government, on 7th June, 1965 at 10·40 A.M., there was what appeared to be an explosion in the Arawali mountain ranges between Nuh and Ferozepur Jhirka as a result of which buildings and huts situated in the villages alongside the mountain ranges received tremors for a short while. At that very time an aeroplane was seen flying over the said area of the mountain ranges. When a supersonic plane crosses the speed of sound, a blast of the intensity comparable to the one that occurred may take place. Therefore, there was nothing unusual in the blast and the tremor. To be doubly sure, however, a thorough search was made in the area to ensure that it was not a mischief engineered by extraneous elements. Nothing suspicious was found. It was not considered necessary therefore to find out as to where the plane came from.

भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती

1728. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बागड़ी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० व० राघवन :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासन सेवा में वार्षिक भर्ती के कोटे में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में राज्य सरकारों के विचार पूछे गये थे ;

(ग) कुल कितनी वृद्धि की जायेगी ; और

(घ) इसके कब से लागू होने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : अगले 5 वर्षों की आवश्यकता के पुनरीक्षण के बाद, भारतीय प्रशासन सेवा में वार्षिक भर्ती की संख्या में वृद्धि करने के एक प्रस्ताव पर, राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, विचार किया जा रहा है।

(ग) वार्षिक भर्ती को 130 से 160 पर ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकारों से परामर्श समाप्त कर लिये जाने के बाद।

विधवाओं को पेन्शन

1729. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में केरल राज्य से कितनी विधवाओं ने पेंशन के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं ;

(ख) कितनों को पेंशन दी गई ; और

(ग) क्या पेंशन देने के नियमों को सरल बनाने के लिये कोई ज्ञापन मिला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 46,111;

(ख) 6,420;

(ग) जी, नहीं।

केरल में राजभवन में शिकायत की पेटी

1730. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राजभवन में शिकायत की पेटी रखी गई है;

(ख) कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) कितनी शिकायतें सच पाई गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) 7-8-1965 तक 810 याचिकाएं प्राप्त हुई।

(ग) 632 शिकायतें, जो सच्ची प्रतीत हुई, उपयुक्त कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दी गई है।

दिल्ली नगर निगम को दिये गये ऋण

1731. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि उसे दिये गये ऋणों को आर्थिक सहायता में बदल दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) निगम को सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रार्थना दिल्ली के स्थानीय निकायों के आर्थिक साधनों तथा आवश्यकताओं की जांच करने के लिये नियुक्त जांच आयोग के सामने रखें।

शेख अब्दुल्ला पर व्यय

1732. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उटकमंड में शेख अबदुल्ला और उसके सह-बन्दियों पर विभिन्न पदों के अधीन प्रति मास कितना व्यय किया जाता है ; और

(ख) हाल की उनकी विदेशी यात्रा के बाद से अब तक उन पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग पर विभिन्न पदों के अधीन प्रति मास किये जाने वाले व्यय तथा उनके एटकमंड निवास के दौरान उन पर किये गए कुल व्यय को बताने वाला एक विवरण इस प्रकार है :--

विवरण

व्यय की मद	मई	जून	जुलाई
खाद्य, शरीर सज्जा, औषधि परिवहन आदि के पदार्थ ।	1,137.00	1,340.87	2,026.80
बिस्तर, गर्म कपड़े, फर्नीचर तथा विविध	4,919.67	2,022.87	1,032.14
भवन का किराया ।	550.00	550.00	550.00
जोड़:—	6,606.67	3,363.74	3,058.94

महा योग :— 13,029.35

नई दिल्ली अदालतों की इमारतें

1733. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली अदालतों की इमारतों को 1948 में अनुपयुक्त घोषित किया गया था; और

(ख) क्या सरकार ने अदालतों की नई इमारत बनाने का कोई निश्चय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

पंजाब में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई-कार्य

1734. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक राज्य में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई कार्य के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, नहीं; अभी तक पंजाब सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वामपन्थी साम्यवादी नजरबन्द लोगों द्वारा लेख याचिकायें

1735. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वामपन्थी साम्यवादी नजरबन्द लोगों ने भारत के उच्चतम न्यायालय में कोई लेख याचिकायें दायर की है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे सुनवाई के लिये मंजूर कर ली गई है;

(घ) क्या उन्हें कोई कानूनी सहायता दी गई थी अथवा कानूनी परामर्श करने को अनुमति दी गई थी; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	अभियाचिका का ब्यौरा	स्वीकृत हुई या नहीं
1.	बिहार	श्री मंगल प्रसाद द्वारा दी गई 1965 का लेख अभियाचिका सं० 57।	सुनवाई के लिये स्वीकृत
2.	केरल	1. श्री ए० के० गोपालन द्वारा दी गई 1965 की लेख अभियाचिका सं० 51।	,,
		2. श्री ऐम० ऐम० चेरियान द्वारा दी गई 1965 की लेख अभियाचिका सं० 59।	,,
3.	मद्रास	1. श्री कृ० आनन्द नम्बियार द्वारा दी गई 1965 की लेख अभियाचिका सं० 47।	,,
		2. श्री आर० उमानाथ द्वारा दी गई 1965 की लेख अभियाचिका सं० 61।	,,
4.	मैसूर	श्री ऐम० ऐस० धरेश्वर द्वारा दी गई 1965 लेख अभियाचिका सं० 41।	,,
5.	उड़ीसा	श्री जगन्नाथ मिश्रा द्वारा दी गई, 1965 की लेख अभियाचिका।	पता नहीं।

टिप्पणी:—इन सब अभियाचिकाओं में नजरबन्दियों की भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30 के अधीन बजरबन्दी की वैधता को चुनौती दी गई है।

(घ) किसी प्रकार की कानूनी सहायता की मांग किसी भी नज़रबन्द ने नहीं की थी और प्रार्थना किये जाने पर कानूनी परामर्श की अनुमति दी गई थी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Publication of Encyclopaedia 'Gyan Sarovar'

1736. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had entrusted the publication of an Encyclopaedia entitled 'Gyan Sarovar' to a private educational institution in 1951; and

(b) if so, the number of volumes of the aforesaid Encyclopaedia brought out and the expenditure incurred thereon so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) Yes, Sir, in 1952.

(b) Gyan Sarovar Volume I, Volume I (reprint) and Volume II were brought out by the private institution. Volume III, manuscript of which was prepared by that institution, has actually been brought out by the Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting.

A sum of Rs. 2,05,396·87 has been spent on these volumes.

Nehru Commemoration Issue of 'Vigyan Pragati'

1737. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the photos on pages 47, 48 and 49 of the Nehru Commemoration Issue of 'Vigyan Pragati' published by C.S.I.R. are those of Manager, Hindi Unit and his family; and

(b) if so, the context in which these photos were published ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (a) Yes, Sir.

(b) Amongst a large number of photographs collected for depicting the interest of the late Prime Minister in various walks of life, 150 were selected by the then Editor and Production Incharge of Vigyan Pragati for publication in the Nehru Commemoration Number of this Journal. It is just a coincidence that the Manager, Hindi Unit, and members of his family happened to be in those photographs.

दिल्ली में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिये पाठ्य पुस्तकें

1738. **श्री महेश्वर नायक :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1965 के "स्टेट्समन" में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिस में यह कहा गया है कि राजधानी में केवल प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के बच्चों द्वारा प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक पाठ्य-पुस्तकें खरीदी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये पाठ्य पुस्तकें निम्न स्तर की होती हैं और उनकी छपाई भी अच्छी नहीं होती है फिर भी उन पर बहुत लाभ लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): पाठ्य पुस्तकों के स्तर और मुद्रण में सुधार किये जाने की गुंजायश है। इस दिशा में उठाये गये कदम के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में स्कूल शिक्षा के सभी प्रक्रमों के लिये आदर्श पाठ्य पुस्तकें तयार करने के लिये एक केन्द्रीय समिति स्थापित की गयी है।

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का हटाया जाना

1739. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रतिरक्षा अधिनियम को हटाने की वांछनीयता के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 के क्रियान्वन का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया गया है और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि देश की सुरक्षा पर लगातार खतरे को देखते हुए यह कानून रहना चाहिये ।

Citizens' Mobile Emergency Force in Delhi and Calcutta

1740. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are planning to organise a Mobile Emergency Force in Delhi and Calcutta; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Mobile Emergency Force already exist in Delhi and Calcutta.

(b) It is not in the public interest to give this information.

Eviction of Pakistani Nationals

1741. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some M. L. As. of Assam have protested against the eviction of those Pakistani nationals who had illegally entered the State ;

(b) whether some M. Ps. have also protested to him in the same manner or whether they have had any correspondence with him in this regard ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) :

(a) A representation was received from some M. L. As. of Assam suggesting certain changes in the procedures for the eviction of illegal Pakistani infiltrants.

(b) No.

(c) Certain amendments have been made in the procedures to ensure that no Indian Citizen is evicted from India.

पश्चिमी बंगाल में छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य

1742. श्री हेडा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल के लिए पश्चिम बंगाल में होभा तथा बोद्रा में छिद्रेण (ड्रिलिंग) कार्य आरम्भ करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ख) : जी हां। नेतरा के पास फिलहाल एक गहरे कुंए को व्यधन करने का प्रस्ताव है। इस साल के अन्त तक व्यधन कार्य शुरु होने की सम्भावना है और अनुमानित खर्च लगभग 31 लाख रुपये होगा। पहले कुंए के परिणामों पर आगामी कार्यक्रम निर्भर होगा।

सांताक्रुज पर अमरीकी विमान

1743. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1965 को दो इंजन वाले एक अमरीकी विमान के, जिसे श्री डब्ल्य० ई० कोमर चला रहे थ, सांताक्रुज हवाई अड्डे पर उतरते ही उस पर घेरा डाला गया और पुलिस ने उसकी तलाशी ली ;

(ख) यदि हां, तो इसकी तलाशी लेने के क्या कारण थे; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस विमान की तलाशी, कस्टम अधिकारियों ने उस विमान के चालक की सूचना पर ली थी, जिसे भुबनेश्वर में मजबूरी उतरना पड़ा था। उक्त चालक ने सूचना दी थी कि उसी बनावट के एक अन्य विमान के, जो उसी कम्पनी का था, भारत आने की सम्भावना थी।

समुद्र में पानी का खारापन दूर करना

1744. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० श्रीनिवासन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र के पानी के खारापन को दूर करने के बारे में किये जाने वाले अनुसन्धान में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार चौथी पंचबर्षीय योजना में जल के खारापन को दूर करने वाला एक संयन्त्र लगाने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) एक वर्ग फुट समुद्र के पानी से प्रति दिन 0.1 गैलन ताजा पानी तैयार करने के लिये प्रयोगशाला के आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय नमक और समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्था, भावनगर ने प्रतिदिन 500 गैलन क्षमता वाला एक 'सोलर स्टिल पायलट प्लांट' बनाया है।

(ख) संस्था का विचार चौथी योजना में गुजरात राज्य में उपयुक्त स्थानों पर अधिक क्षमता के 'प्रदर्शन सोलर स्टिल' स्थापित करने का है।

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोज

1745. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक युवक भारतीय वैज्ञानिक श्री गुरदेव सिंह ने हाल ही में लासेर किरण का आविष्कार करके, जिसका प्रतिरक्षा और शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जा सकता है, ख्याति प्राप्त की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक अन्य युवक वैज्ञानिक, डा० नारलीकर ने भी भौतिक शास्त्र की अन्य शाखा में ख्याति प्राप्त की है; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे वैज्ञानिकों को स्वदेश लौटाने के लिये आग्रह करने तथा यहां अनुसन्धान कार्य करने के लिये उनको पर्याप्त सुविधाएं देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि श्री गुरदेव सिंह ने लासेर का आविष्कार किया है। पहला आपरेटिंग लासेर टी० एच० मैमान ने 1960 में बनाया था । "स्टेट्समैन" में प्रकाशित श्री गुरदेव सिंह के बारे में प्रेस सूचना का सम्बन्ध क्रिस्टल बनाने में ब्रिटेन की एक प्रयोगशाला में उनके अनुभव से है ।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार विदेशों में काम करने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगविज्ञों को भारत में उपयुक्त व्यवसाय ढूंढने में सहायता करने के उपाय करती रही है ताकि वे देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में योग दें और उसमें भाग लें । वज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा प्रशासित 'वैज्ञानिक पूल' विदेशों से आने वाले अर्हता-प्राप्त भारतीय वज्ञानिकों और प्रौद्योगविज्ञों को तब तक अस्थायी रूप से स्थान देता है जब तक उन्हे लगभग स्थायी रूप में उपयुक्त पदों पर नहीं रखा जाता । स्वीकृत वज्ञानिक संस्थाओं को कुछ नये अतिरिक्त पद बनाने का अधिकार दिया गया है जिन पर विदेशों में काम करने वाले और अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को शीघ्र अस्थायी रूप में नियुक्त किया जा सके ।

दण्डकारण्य में लघु उद्योग

1747. **श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन मित्र देशों से जिन्होंने लघु उद्योगों में विशिष्टता प्राप्त की है, दण्डकारण्य में शरणार्थियों को बसाने के लिए लघु उद्योगों की स्थापना करने में सहायता देने के लिये कहा है;

(ख) किस प्रकार के उद्योगों के लिए सहायता मांगी गई है तथा इस सम्बन्ध में क्या जवाब मिला है; और

(ग) इन उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग) : डेनिश सरकार की सहायता की पेशकश के सम्बन्ध में, दण्डकारण्य में लघु उद्योगिक खण्ड स्थापित करने के लिये सहायता सम्बन्धी खोज के बारे में चर्चा हुई थी । तथापि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि आयाकि डेनमार्क से वास्तव में कोई सहायता भी मिलेगी और यदि मिलेगी तो किन योजनाओं के लिये ।

पेट्रो-रसायनिक उद्योग

1748. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व और दक्षिण में एक-एक पेट्रो-रसायनिक उद्योग स्थापित करने की योजना है;

(ख) क्या उनके स्थान निश्चित कर लिये गये है;

(ग) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है; और

(घ) उन परियोजनाओं को क्या प्राथमिकता दी गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कुछ मदों के सिवाये, जिनके लिए चौथी योजना की अवधि में कार्यवाही की जायगी, इन परियोजनाओं की कार्यान्विति को पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में शामिल किया गया है।

काश्मीर में पाई गई पाषाण मूर्ति

1749. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में कुलगाम के देवासर क्षेत्र में 9 वीं शताब्दी की एक पाषाण मूर्ति मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उससे काश्मीर के इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ता है?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख) : पता लगा है कि पुरातत्व, संग्रहालय और पुस्तकालय विभाग, श्रीनगर में कुलगाम तहसील में देवसर स्थान पर 6.4 × 3.8 सेंटीमीटर माप की पत्थर की एक छोटी सी मूर्त्ति की खोज की है और इस खोज का ब्योरा राज्य सरकार से मांगा गया है।

जेल में महाराष्ट्र के एक राजनीतिक नजरबन्द की मृत्यु

1750. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत एक राजनीतिक नजरबन्द की महाराष्ट्र के एक जेल में मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मृत्यु के कारणों का पता लगाया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : उचित चिकित्सा के बावजूद महाराष्ट्र में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन में से एक की, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नजरबन्द किया गया था हृत्प्रदेश-शोथ के कारण बाई हृत्प्रकोष्ठ गुहा के जवाब दे जाने से मृत्यु हुई दूसरे की, जिसे राज्य सरकार द्वारा नजरबन्द किया गया था, मृत्यु किरोटीय रक्ततंच (कारोनरी थ्राम्बोसिस) के कारण हुई थी।

Digging of Oil Wells in Assam

1751. Shri Kindar Lal : **Shri P. C. Borooah :**
Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri P. R. Chakraverti :**

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Oil and Natural Gas Commission has launched a programme for digging wells, on a large scale, in the oil containing fields of Assam as also in the new oil fields for the purpose of research; and

(b) if so, the results achieved so far ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) Yes, Sir.

(b) Oil or gas has been struck in some areas of Assam; production has started in Gujarat. Exploratory drilling is being continued in serveral States.

एर्नाकुलम का अन्तर्जल

1752. श्री कोया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि एर्नाकुलम के अन्तर्जल (बैकवाटर्स) का एक भाग एक होटल के मालिक को पट्टे पर दिया गया था;

(ख) क्या इस से एर्नाकुलम के प्राकृतिक सौन्दर्य पर बुरा असर पड़ा है;

(ग) क्या पतन बोर्ड और एर्नाकुलम नगरपालिका परिषद् ने इसका विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

इंजीनियरी तथा चिकित्सा कालिजों के लिये आवेदन-पत्र फार्म

1753. श्री मुहम्मद कोया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंजीनियरी तथा चिकित्सा कालेजों में दाखिले के आवेदन पत्र के फार्म में कांग्रेस सेवा दल की सदस्यता सम्बन्धी पृच्छा के बारे में 11 जुलाई, 1965 के "इन्डियन एक्सप्रेस" (मद्रास) में छपे हुए ईस्टर्न न्यूज़ सर्विस के एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या यह पृच्छा केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अधीन शामिल की गई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) जी, हां। 10 जुलाई, 1965 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार।

(ख) जी, नहीं।

विश्व सुन्दरी

1754. श्री म० ना० स्वामी :
श्री कोल्ला वेंकेय्या :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में 'पेट्रियट' और 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित अमेरीका में 'विश्व सुन्दरी' के अन्तिम चुनाव में एकत्रित अन्तर्राष्ट्रीय सुन्दरियों के चित्रों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सरकार के सामने पेट्रियट और ब्लिट्ज के, जिन्होंने इन चित्रों को छापा है, संस्करण आये हैं, किन्तु उनके विचार में उन पर कोई कार्यवाही ज़रूरी नहीं है।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अदालतों की कपटपूर्ण डिक्रियां

1755 **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के जिला दंडाधिकारी से, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अदालतों की कपटपूर्ण डिक्रियां प्राप्त करने से सम्बधित अपराधों के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ शिकायतों पर लगभग एक वर्ष से फैसला नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों में शीघ्र अभियोग चलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जिला दंडाधिकारी को किसी भी अदालत से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कपटपूर्ण डिक्रियां प्राप्त करने की कोई भी शिकायत नहीं मिली।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल जल परिवहन का समापन

1756. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जल परिवहन निगम के समापन के लिये आदेश दे दिया गया है;

(ख) क्या इस निगम में 500 से अधिक श्रमिकों की छंटनी की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उन श्रमिकों को छंटनी सम्बन्धी क्या लाभ दिये गये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई उन्हें क्षतिपूर्ति सम्बन्धी लाभ देने का प्रश्न विचाराधीन है।

Pakistani Agents in Calcutta Belt

1757. **Shri Bagri :**
Shri Ram Harakh Yadav :
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani agents have been conveying secret and important military information to Pakistan during the emergency in the country;

(b) whether it is also a fact that a large number of Pakistani Muslims have been working in the Ordnance Factories near Calcutta under fake Hindu names during the emergency and have been convening secret and important information to Pakistan; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a). A few cases of espionage were detected during the recent years in which attempts were made to convey certain military information to Pakistan.

(b) All appointments in Ordnance Factories are made on the basis of satisfactory police verification reports. As such there is no scope for Pakistani Muslims to get employment in the Ordnance Factories under fake Hindu names.

(c) Does not arise.

कलकत्ता में आई० ओ० सी० के वितरण कर्ताओं की नियुक्ति

1758. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स इंडियन आयल कम्पनी ने मार्च, 1964 में कलकत्ता के दैनिक समाचार पत्रों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरण कर्ताओं की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्रों के लिये, विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक किसी वितरणकर्ता की नियुक्ति की गई है ? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ख) : जी हां। दो वितरण कर्त्ताओं की नियुक्ति हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण

1759. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अन्य देशों से, जिन्हें रुपये में भुगतान किया जाता है, आयात किये गये पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण करने के लिये गैर-सरकारी कम्पनियों के साथ कोई प्रबन्ध कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ख) : बर्मा शेल, एस्सो और कालटेक्स द्वारा यूगोस्लाविया से लुब्रकेटिंग आधार तेलों (Lubricating baseoil) का आयात किया जा रहा है। हिन्दुस्तान आर्गनाइज़र लि० और बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) इण्डियन आयल निगम द्वारा विपुल शोधित उत्पादों के कम मात्रों का आयातित वितरण करती हैं।

चोरबाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान

1760. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली पुलिस द्वारा जुलाई, 1965 में, चोर बाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई अभियान चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

खुदाई करने वाले मिस्त्री

1761. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री फ० गो० सेन :

क्या **पेट्रोलियम** तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मिस्त्री रूसी तेल विशेषज्ञों से खुदाई करने के तरीकों को सीख कर इस काम में प्रवीण हो गये है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन स्थानों पर विशेषकर आसाम में, रूसी विशेषज्ञों की सहायता के बिना ही खुदाई की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ख) : भारतीय तकनिशयनों ने सामान्य तरीकों में प्रवीणता प्राप्त कर ली हैं और गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा आसाम में कई कुंओं का स्वतन्त्र रुप से व्यधन किया है।

राजपत्रित अधिकारियों की अन्तर्राज्यिक वरिष्ठता

1762. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपत्रित पदाली की, विशेषत: कृषि विभाग की अन्तर्राज्यिक वरिष्ठता सूची मैसूर राज्य में प्रकाशित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार के विरुद्ध, विशेषत: कृषि विभाग, मैसूर राज्य के कर्मचारियों द्वारा अनेक लेख याचिकाएं प्रस्तुत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) कृषि विभाग तथा अन्य कुछ विभागों में राजपत्रित पदाली की अन्तर्राज्यिक वरिष्ठता सूची के अंतिम रूप प्रकाशित कर दिये गये हैं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : हां। लगभग 150 लेख याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से लगभग 16 कृषि विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त हुई है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के लिये निर्धारित राशि में कटौती

1763. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री जं० ब० सिंह विष्ट :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के महानिदेशक ने अपने पद से त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के लिये निर्धारित राशि में कटौति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महा-निदेशक ने बजट अनुदानों की अपर्याप्त से उत्पन्न स्थिति पर असहायता प्रकट की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Price of Soda Ash and Sulphuric Acid

1764. **Shri Madhu Limaye :**

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the difference between India and Western countries in respect of cost and sale prices of basic chemicals such as, soda ash, sulphuric acid and the like ; and

(b) the measures being taken by Government to reduce the cost and bring down the prices of these chemicals ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Information in respect of the cost of production is not available. The prices of caustic soda, soda ash and sulphuric acid in India and in some Western countries, exclusive of excise duty and local taxes are tabulated below :

(Rs. per tonne)

S. No.	Country	Caustic Soda	Soda Ash	Sulphuric Acid
1	India	800	430	175
2	U. K.	366	188	135
3	Belgium	408	209	135
4	France	345	157	145
5	Italy	..	..	155
6	U.S.A.	543	162	..
7	Germany	345	209	..

(b) Measures by way of licensing are to allow the expansion of existing units to economic sizes, to choose new units of economic sizes and to encourage the utilisation of bye-products wherever possible.

वैज्ञानिक कर्मचारी समिति

1765. **श्री रा० बरूआ :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री 14 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 861 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि वज्ञानिक कर्मचारी समिति समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : समिति को इसलिये समाप्त किया गया कि यह लगभग दस वर्ष तक कार्य करने के बाद भी अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप देने और प्रतिवेदन देने में असमर्थ रही।

Threat of Hostile Nagas

1766. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the threat of Nagas still continues in Manipur and that they are preparing for a guerilla war and also that they are getting arms through East Pakistan ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Naga hostiles are active in Manipur and have indulged in sabotage, violence and extortion. Instances of their being armed and trained in East Pakistan have come to notice.

(b) The Government continue to take from time to time such security measures as are warranted by circumstances.

विजयनगर साम्राज्य का संग्रहालय

1767. **श्री बासप्पा :** क्या शिक्षा मंत्री 27 नवम्बर, 1961 के अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बेल्लारी ज़िले के होस्पेट तालुक में कमालपुरम के स्थान पर विजयनगर साम्राज्यकाल के संग्रहालय के निर्माण का निर्णय 1957 में किया गया था और उसके लिए 1960 में भूमि भी अर्जित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो भवन का निर्माण कार्य देर से आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां।

(ख) सभी प्रकार के नये निर्माण पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण ताकि सरकारी खर्च में प्रर्याप्त कमी की जा सके।

जेलों में साम्यवादी नजरबन्दों की मृत्यु

1768. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :** **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री लक्ष्मी दास : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक राज्यवार जेलों में कितने वामपन्थी साम्यवादी नजरबन्दों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या जेलों में नजरबन्दों के स्वास्थ्य की दशा तथा उन्हें दी गई चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) दो, दोनों ही महाराष्ट्र राज्य में।

(ख) ऐसी जांच आवश्यक नहीं समझी गई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Raid on shop in Air Force Canteen, New Delhi

1769. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Delhi Police raided a shop in an Air Force Canteen recently and recovered one thousand bottles of foreign liquor;

(b) whether it is a fact that the said shopkeeper openly sells liquor even to the civilians;

(c) whether it is also a fact that he does not maintain his accounts according to the Excise Regulations; and

(d) if so, the action being taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Yes. A raid was organised on 1st August, 1965 by the Delhi Police at the premises of the grocery shop at the Central Vista Mess, New Delhi and 961¼ bottles of liquor were seized by them.

(b) to (d). Information had been received by the Delhi Police that liquor was being sold to civilians and that the licensee was not following some of the conditions of the licence issued to him. A case has been registered by the Police and is under investigation.

Everest Expedition

1770. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to state the total expenditure incurred by Government on the successful 1965 Everest Expedition and the amount of foreign exchange involved therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : About Rupees Seven lakhs including a foreign exchange of about Rupees One lakh.

Hindi Assistants

1771. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Hindi Assistants who qualified through the Union Public Service Commission and who have been confirmed since October, 1964;

(b) whether there is any Ministry or Department where Hindi Assistants have not been confirmed so far; and

(c) if so, the names of such Ministries or Departments and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Six.

(b) and (c). Yes; in the Ministries of Food and Agriculture (Department of Agriculture); Information & Broadcasting ; Steel & Mines (Department of Iron & Steel); Civil Aviation; Rehabilitation and the Directorate General of Posts & Telegraphs. Confirmation of the Hindi Assistants working in these Ministries is under consideration.

तकनीकी संस्थाओं के लिये साज-सामान

1772. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री 10 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 958 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तकनीकी संस्थाओं की अमरीका में बने साज-सामान प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये अमरीकी सरकार से ऋण के लिये बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या नतीजा निकला ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) अभी बातचीत चल रही है।

नागालैंड स्वतन्त्रता दिवस

1773. **श्री हेम बरूआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोहियों की नागा संघ सरकार ने मनीपुर के किसी नागा क्षेत्र में 14 अगस्त, 1965 को "नागा-लैण्ड स्वतंत्रता दिवस" मनाया था; और

(ख) क्या सरकार ने इस समारोह को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की थी क्योंकि ऐसे समारोह से हमारी राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) नागा विद्रोहियों ने अपना तथा कथित "स्वतंत्रता दिवस" 14 अगस्त 1965 को तीन उपखण्डों—माओ आरन, उकरूल और तमांगलौंग—में कुछ स्थानों पर मनाया था। ये सब समारोह आंतरिक भागों में हुए थे और मनीपुर सरकार के प्रशासकीय मुख्यालयों में से किसी में ऐसा कोई समारोह कदापि नहीं मनाया गया।

(ख) नागा विद्रोहियों की योजनाओं की ओर शांति मिशन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया गया था ताकि नागा विद्रोहियों पर उनकी इन गतिविधियों का अनौचित्य स्पष्ट कर दिया जाय।

सरकारी उपक्रमों में व्हिटले परिषद्

1774. **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में व्हिटले परिषदें बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन परिषदों का अधिकार-क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) उपक्रमों में अन्य श्रम कानून लागू होने के फलस्वरूप की जाने वाली व्यवस्थाओं और इन परिषदों की गतिविधियों का समन्वय कैसे किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह योजना नियमित क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों पर लागू नहीं होती। अन्य उपक्रमों के लिये सरकारी कर्मचारियों के कुछ संगठनों ने योजना के बारे में कुछ प्रश्न उठाये थे। मई, 1965 में गृह-मंत्री द्वारा कर्मचारी संगठनों के साथ की गई बैठकों की शृंखला में उन पर विचार किया गया। जिन थोड़े से प्रश्नों पर फैसला होना शेष है, उनकी जांच की जा रही है और समझौते पर पहुंचने के लिये और आगे विचार-विमर्श करने का विचार है।

(ख) संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंच फैसला योजना, निम्नलिखित को छोड़ कर, केन्द्रीय सरकार के सभी नियमित असैनिक कर्मचारियों पर लागू होगी :—

(i) श्रेणी I की सेवाएं;

(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अतिरिक्त, अन्य श्रेणी II सेवाएं तथा सरकार के मुख्यालय संगठन की अन्य समकक्ष सेवाएं;

(iii) औद्योगिक संगठनों में मुख्यरूप से प्रबन्धक अथवा प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्ति तथा वे व्यक्ति जो पर्यवेक्षी पदों पर नियुक्त होने के कारण 575 रु० प्रतिमास से आगे तक जाने वाले वेतनक्रम में वेतन पाते हैं;

(iv) संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी; और

(v) पुलिस कर्मचारी।

जैसा ऊपर कहा गया है, यह योजना नियमित क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों पर लागू नहीं होती।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि के ऐसे उपबन्धों का, जो इस योजना के खिलाफ़ पड़ते होंगे, प्रयोग समाप्त हो जायगा।

अध्यापकों का दर्जा

1775. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, विश्व में अध्यापकों की पद-प्रतिष्ठा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संगठन तथा यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन): (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। दे ख्या एल० टी०—4786/65**]

(ग) यूनेस्को तथा अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संगठन द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के मसौदे में दिए गए सिद्धान्तों से भारत सरकार सामान्य रूप से सहमत है। सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है और सम्भवतः कुछ मामूली संशोधन सुझाएं जाएं।

Title of Mahamahopadhyaya

1776. Shri Yudhvir Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1778 on the 31st March, 1965 and state the name of persons who were awarded the title of Mahamahopadhyaya in the former Berar and Ajmer-Merwara from 1920 to 1946 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : The collection of this information will involve labour and expense which will not be commensurate with the results achieved.

Atlas in Regional Languages

1777. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to publish an Atlas in all the regional languages of the country ; and

(b) if so, when the copies of said Atlas are likely to be published ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

प्रादेशिक भाषा के रूप में मैथिली

1776. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैथिली को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर तथा किन विचारों से ; और

(ग) क्या कुछ अन्य प्रादेशिक भाषाओं को भी, जिनके बारे में मांग की गई है मान्यता प्रदान करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

गंगा घाटी में तेल की खोज

1781. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 14 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2229 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा घाटी में पेट्रोलियम सम्बन्धी भूभौतिकी खोज-कार्य अब पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की फाइलें

1782. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 3 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 546 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पान की दुकान पर पाये गये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के खोये हुए दो दो फोल्डरों सम्बन्धी पुलिस जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सूचित किया है कि उनके अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद अपराधी का कुछ पता नहीं लगा। तदनुसार 21 फरवरी 1965 को मामले को बिना मालूम हुए के रूप में समझ लिया गया है।

उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता

1783. **श्री मुहम्मद कोया :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 104 संसद्-सदस्यों से अभ्यावेदन मिला है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : जी, हां। सरकार का, राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देने का, कोई विचार नहीं है कि वे इस बारे में अनुच्छेद 347 के अधीन अनुदेश जारी करें।

Notes on Orders of Central Government

1784. **Shri Bade :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Minister of the Central Cabinet has opposed the decision of Government providing that the Hindi translation of the notes on orders of the Central Government should also be accompanied therewith; and

(b) if so, the action taken by Government in respect thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सभा का समय

TIMINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : प्रतिरक्षा मंत्री कल चार बजे शाम को भारत-पाकिस्तान सीमा स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे ।

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों की ओर से सुझाव मिले हैं कि यह सुविधाजनक रहेगा कि सभा प्रतिदिन चार बज स्थगित की जाय। मैंने सदस्यों का यह सुझाव सभा में पेश किया है ताकि इस बारे में सभा की राय ली जा सके और इस पर निर्णय किया जा सके (**अन्तर्बाधा**) ।

श्री नाथ पाई (राजापूर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सभा को छः घंटे कार्य करना चाहिये । हमें सामान्य रुप में काम करना चाहिये ताकि यह पता लगे कि पाकिस्तानी आक्रमण से हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं हुई है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा का समय 10 बजे से शाम के चार बजे तक रखा जाना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमान् मैं श्री नाथ पाई द्वारा दिये गये सुझाव का समर्थन करता हूं ।

श्री सत्यनारायण सिंह : यदि सभा की यही राय है तो सभा का समय 10 बजे से चार बजे शाम तक रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम ऐसी सभा के सदस्य हैं जो देश की जनता के प्रति उत्तरदायी है। हमें सामान्य रूप में काम करना चाहिये और कोई घबराहट पैदा नहीं करनी चाहिये । यदि आवश्यक हो, तो हमें अधिक देर तक बैठ कर सभा का कार्य करना चाहिये । हमें लोगों के हितों की तथा देश की रक्षा करनी चाहिये । हमें हवाई हमले से नहीं डरना चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, Sir, I propose that the time for which the House sits should be increased, some people are afraid and they say that it will be against the interests of the country to discuss everything openly here in the House. Lok Sabha is a very powerful weapon in our hand—a weapon more powerful than the aeroplanes and the tanks. This is a weapon which Pakistan does not possess. It is possible that if we discuss everything with open mind the people of Pakistan....

Mr. Speaker : The hon. Member may confine his arguments to the timings of the House only.

Dr. Ram Manohar Lohia : I am not repeating anything. I am speaking about the timings only.

Mr. Speaker : The Government have agreed that the timings of the House may be fixed from 10 a.m. to 4 p.m. We have to reach our houses by 7 p.m. and there is not much time left according to the present timings, some hon. Members might have suggested a change. There is no other idea behind this proposed change.

Shri Ram Manohar Lohia : I want to submit that some people are afraid of this. We have to do away with this fear for ever. Lok Sabha is a powerful weapon in our hands and it should be used for destroying India and Pakistan both and for the establishment of Hindustan. The Lok Sabha should strive to achieve this.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : जब संसद कार्य मंत्री ने घोषणा की और सभा की राय जाननी चाही, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस सभा में भिन्न भिन्न दलों के सदस्यों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। यह ठीक प्रक्रिया नहीं है। यदि आप उचित समझें तो हममें से कुछ सदस्य आपके कमरे में मिल कर इस पर विचार कर सकते हैं। मैं राज्यसभा तथा लोक सभा के कर्मचारियों की कठिनाई भली प्रकार समझता हूं। उन्हें अगले दिन की कार्यवाही के लिये बहुत से कागजात तैयार करने पड़ते हैं। इसी कारण समय में परिवर्तन किया जा रहा है, पाकिस्तान के डर से नहीं। यदि माननीय सदस्य 10 बजे से 4 बजे के समय के लिये सहमत हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु जिस प्रकार संसद-कार्य मंत्री ने घोषणा की है, उस पर मुझे घोर आपत्ति है।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्रीमान् उन्होंने मुझ से भी परामर्श नहीं किया है। मुझे यह ज्ञान नहीं कि उन्होंने यह सुझाव कैसे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हमें छः घंटे तक बैठना चाहिये। इसलिये यह सुझाव दिया गया था कि 5 बजे तक बैठने के बजाय हम 4 बजे तक बठें। यदि सभा सहमत हो तो हम 10 से चार बजे शाम तक बैठेंगे।

कई माननीय सदस्य : हां, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। लोकसभा की बैठक 10 से चार बजे तक होगी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दूसरे अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के बार में वक्तव्य

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेशसिंह) : मैं दूसरे अफ्रीकी-ऐशियाई सम्मेलन के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4780/65ए.]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

सत्तरवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : श्रीमान् मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अधिलाभांश की अदायगी विधेयक—**जारी**
PAYMENT OF BONUS BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : हम अब अधिलाभांश की अदायगी विधेयक पर आगे खण्डवार चर्चा करेंगे। खण्ड 20 पर श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक संशोधन (संख्या 24) प्रस्तुत किया है और मैं इसे सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24 मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ / *The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 42; विपक्ष में 189/Ayes 42; Noes 189

श्री बिरेन्द्र बहादुर सिंह (राजनन्दगांव) : मेरा मत, जो विपक्ष के लिये है, नहीं गिना गया।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : मेरा मत विपक्ष में है परन्तु वह गिना नहीं गया।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, I have voted for "Ayes". The machine has not recorded it.

Shri Priya Gupta (Katihar) : I have voted for "Ayes." The machine has not recorded it.

Shri Bagri (Hissar) : I have also voted for "Ayes". The machine has not recorded it.

अध्यक्ष महोदय : पक्ष में 3 तथा विपक्ष में 2 मत और जोड़ने पड़ेंगे।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/ *The motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।/ *The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 188 ; विपक्ष में 43 ।/ Ayes 188; Noes 43.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/ *The motion was adopted.*

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 20 was added to the Bill.*

खण्ड 21 (एक नियोजक देय बोनस की वसूली)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं।

इस खण्ड का सम्बन्ध नियोजक से बोनस की वसूली के बारे में है। यदि कोई नियोजक बोनस देने से इन्कार करे तो इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं जिस के अनुसार उससे बोनस की वसूली की जा सके इस बात को मैंने सामान्य चर्चा के समय भी उठाया था। इसलिये इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लिया जाये।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : इस खण्ड में एक उपबन्ध है जिसके अनुसार बोनस का धन देय होने के एक वर्ष के समय बाद तक आवेदन दिया जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि एक वर्ष के स्थान पर यह दो वर्ष कर दिये जाये। यह एक छोटा सा संशोधन है।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है इस पर बड़े गौर से ध्यान किया गया था। इस लिये विधेयक में रखे गये उपबन्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरी बात के बारे में सम्बन्धित प्राधिकार यदि समझेगा तो समय बढ़ा दिया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ/
Amendment No. 26 was put and negetived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 21 was added to the Bill.*

खण्ड 22 (अधिनियम के अन्तर्गत वादों का निर्देशन)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 176 और 218 प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का आशय झगड़े की स्थिति में उसके निर्देशन के बारे में है। मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों आदि को भी ऐसा निदेशन करना आवश्यक होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

दूसरे संशोधन द्वारा मैं यह उपबन्ध करना चाहता हूँ कि केवल वे ही विवाद प्रज्ञेय होने चाहिये जो किसी मजदूर संघ की ओर से लाये जायें। यदि प्रत्येक व्यक्ति को विवाद पेश करने का अधिकार दे दिया जायगा तो बड़ी भारी कठिनाई हो जायेगी और बहुत गड़बड़ होगी। विवाद केवल मजदूर संघों की ओर से उठाये जाने चाहियें।

श्री संजीवय्या : यह अधिनियम सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के सुपुर्द किया जायेगा। इस बारे में मैंने विधिज्ञों से सलाह कर ली है। मैं श्री दांडेकर का यह संशोधन भी मानने को तैयार नहीं कि केवल मजदूर संघों को ही विवाद पेश करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 176 और 218 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendment Nos. 176 and 218 were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 22 was added to the Bill.*

खण्ड 23 (कार्पोरेशनों और कम्पनिओं के संतुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखे की शुद्धता का अनुमान)

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं संशोधन संख्या 177, 178, 179 और 180 प्रस्तुतत करता । पहला संशोधन उस स्थिति के बारे में है जिस में संतुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा अस्वीकृत कर दिये गये हों या स्वीकार कर लिये गये हों। मैं चाहता हूं कि किसी कम्पनी के लेखों को जब उन की कानून के अनुसार लेखापरीक्षा हो चुकी हो तो स्वीकार कर लिया जाये और उस के बारे में लोगों को शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

संशोधन संख्या 178 के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जब कोई न्यायाधिकरण यह समझे कि लेखे ठीक प्रकार से तैयार नहीं किये गये तब उसको अस्वीकार कर सकते हैं। न्यायाधिकरण को यह अधिकार होगा कि कम्पनी या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को आदेश दे कि कर्मचारी संघ को एक नियत समय में स्पष्टीकरण दें। इसके लिये मैंने संशोधन संख्या 179 को प्रस्तुत किया है।

संशोधन संख्या 180 द्वारा मैं चाहता हूं कि एक कम्पनी के आन्तरिक मामलों की जांच की आज्ञा नहीं होनी चाहिये। इस बारे में कम्पनी विधि विभाग पहले ही निगरानी करता है। और कम्पनीज़ अधिनियम में इस सम्बन्ध में उपबन्ध कर दिये गये हैं। आयकर विभाग भी पड़ताल करता है। इस पर बोनस आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की है। जब पहले यह विधेयक परिचालित किया गया था तो इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध था।

श्री संजीवय्या : यदि हम संशोधन संख्या 177, 178, और 179 स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम न्यायाधिकरण के अधिकारों को कम कर देंगे। यह उचित नहीं है। यह बात आरंभ में मान ली गई थी परन्तु त्रिपक्षीय सम्मेलन में इस पर विचार किया गया और वर्तमान स्थिति को माना गया। हमें न्यायालयों के अधिकारों को कम नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 177 से 180 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए । / *Amendment Nos. 177 to 180 were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : —

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ किया गया । *Clause 23 was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 24 से 26 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 24 से 26 विधेयक में जोड़ दिये गये । /*Clauses 24 to 26 were added to the Bill.*

खण्ड 27

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : मैं संशोधन संख्या 70 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बड़े : मैं संशोधन संख्या 277 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 181, 182 तथा 183 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बड़े : इस खण्ड में बैंकिंग कम्पनियों पर विशेष कृपा की गई है। यह नहीं होना चाहिये। सभी कम्पनियों का एक समान निरीक्षण होना चाहिये ।

श्री काशीराम गुप्त : खण्ड 26 के अन्तर्गत रजिस्टर रखने का उपबन्ध है। और खण्ड 27 के अन्तर्गत निरीक्षकों के अधिकारों को निर्धारित किया गया है। मैं यह चाहता हूं कि बोनस के लिये अलग निरीक्षक नहीं होने चाहिये। फैक्टरी निरीक्षकों द्वारा यह काम किया जा सकता है। इसके लिये रजिस्टरों से पूरी जानकारी मिल सकती है। मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मेरा संशोधन संख्या 181 है। इसका उद्देश्य खंड 27(1) को तनिक स्पष्ट करने का है। जो भी इसके अन्तर्गत निरीक्षकों की व्यवस्था की गयी है उनके प्राधिकार की सीमा स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा संशोधन संख्या 183 बहुत ही महत्वपूर्ण है। खंड 23 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के अधिकारों को सीमित करने का प्रश्न है। मेरा सुझाव है कि उस प्रकार का कोई भी अधिकार जिसका मंत्री महोदय अभी अभी उल्लेख कर रहे थे, किसी गैर-न्यायिक प्राधिकार को नहीं दिया जाना चाहिए। खंड 24 में पंच फैसलें वाले अधिकरणों का उल्लेख है। और उनमें जो भी उपबन्ध किये गये हैं, वे बहुत ही जरूरी हैं। बैंकों के बारे में भी उसमें जानकारी है। ऋण को हानि पहुंचाने वाली कोई बात नहीं की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से जो मेरा सुझाव है बहुत ही आवश्यक प्रतीत होता है। मैं इंस्पैक्टरों को बहुत अधिक अधिकार दिये जाने के पक्ष में नहीं हूं। उन्हें वे अधिकार तो दिये ही नहीं जा सकते जो कि न्यायिक प्राधिकारों को दिये जाते हैं।

श्री संजीवय्या : संशोधन संख्या 70 के अन्तर्गत इंस्पैक्टरों के अलग अलग वर्ग कर दिये गये हैं, जो हरेक के अलग अलग काम होंगे। संशोधन संख्या 70 को मैं स्वीकार कर रहा हूँ ।

श्री काशीराम गुप्त : जो रजिस्टर्ड संस्थान हैं जिनका उल्लेख खंड 26 के अन्तर्गत उन्हें उनको सौंपना होगा। अन्यथा यह खंड 22 के विपरीत होगा।

श्री संजीवय्या : इसके लिए हम विशेष कर्मचारियों की व्यवस्था कर रहे हैं। यह भी है कि इंस्पैक्टरों के पास यदि समय हो तो वे भी इस दिशा में कुछ कर सकते हैं। संशोधन संख्या 181 के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम यह निर्धारित कर देंगे कि अमुक जिले किसी एक इंस्पैक्टर के कार्य-क्षेत्र में होंगे। नियमों में यह व्यवस्था कर दी जायेगी। इस बारे में कोई सन्देह नहीं रहेगा। इसी प्रकार मेरा संशोधन संख्या 182 के बारे में निवेदन है कि सरकार सारे नियम अपनी इच्छा से नहीं बनाती। सारे नियमों को संसद के सामने रखना होता है। संसद ही उसकी स्वीकृति देती है। अतः जो खंड 38 को हटा देने की बात कही गयी है, खद है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

संशोधन संख्या 277 के बारे में मेरा निवेदन है कि श्री दांडेकर ने बड़ी आश्चर्यजनक बातें की हैं। बिना किसी प्रकार की दस्तावेज लिए इंस्पैक्टर किस प्रकार यह निर्णय ले सकता है कि अधिनियम का पूरी तरह पालन किया गया है अथवा नहीं। यदि कोई ऐसी बातें हैं जो कानून के अन्तर्गत मालिकों से पूछी नहीं जा सकती तो इंस्पैक्टर वे बातें नहीं पूछे। अधिनियम की धारा 34 (क) के अन्तर्गत बैंकिंग समवायों को संरक्षण दिया गया है। इस परिस्थिति में मैं इस खंड के संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन 70, 181 से 183 और 277 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए। */Amendment Nos. 70, 181 to 183 and 277 were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 27 विधेयक में जोड दिया गया। */Clause 27 was added to the Bill.*

खण्ड 28

श्री काशीराम गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 71 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं।

डा० रानेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 72 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 278 और 279 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 184 प्रस्तुत करता हूँ।

डा० रानेन सेन : मेरे और श्री इन्द्रजीत के संशोधनों का उद्देश्य लोगों में भय पैदा करने वाली सजाओं की व्यवस्था करना है। कर्मचारी लोग कानून में रह गयी कमियों का लाभ उठा कर अपने पापों से बच निकलते हैं।

श्री बड़े : मेरे संशोधन का उद्देश्य भी लगभग यही है। मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री काशीराम गुप्त : मेरा संशोधन उपरोक्त संशोधनों के विपरीत है। मेरा विचार है कि जुर्माना तथा कद की दोनों सजाओं के एक साथ मिला देने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे बहुत से विधान मौजूद हैं जिनमें शिक्षा देने योग्य सजा देने की व्यवस्था है।

श्री नारायण दांडेकर : मैंने जो संशोधन खंड 28 के लिए प्रस्तुत किया है उसका उद्देश्य यही है कि छः मास की कैद की सजा न दी जाए। एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए कि कार्यपालिक प्राधिकार न्यायिक प्राधिकार नहीं होता। न्यायिक प्राधिकार के आदेशों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि सजा केवल जुर्माने की होनी चाहिए, कद की नहीं।

श्री बड़े : मैं श्री दांडेकर का समर्थन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि उनके संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

श्री संजीवय्या : श्री बड़े और डा० रानेन सेन चाहते हैं कि सजा जुर्माने की भी होनी चाहिए और कैद की भी। श्री काशीराम गुप्त का सुझाव इसके विपरीत है। वह केवल जुर्माना ही चाहते हैं। श्री दांडेकर का संशोधन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए कोई भी संशोधन स्वीकार करना सम्भव नहीं।

अध्यक्ष-महोदय द्वारा संशोधन संख्या 71 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ। /
Amendment No. 71 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29, 72, 278 और 279 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए। / *Amendment Nos. 29, 72, 278, and 279 were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 184 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/
Amendment No. 184 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड संख्या 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 28 was added to the Bill.*

खण्ड 29 (समवायों द्वारा नियमोल्लंघन)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 185 प्रस्तुत करता हूँ।

सरकारी क्षेत्र की परिभाषा ठीक तरह नहीं की गयी। इस खंड के नीचे सरकारी क्षेत्र के संस्थान भी आ जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 185 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/
Amendment No. 185 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 29 was added to the Bill.*

खण्ड 30 और 31 विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 30 and 31 were added to the Bill.*

खंड 32 (अधिनियम कर्मचारियों के कुछ वर्गोंपर लागू नहीं होता)

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

(1) पृष्ठ 18, पंक्ति 20 से 'And' [और] हटा दिया जाय। (82)

(2) पृष्ठ 18 पंक्ति 21 के बाद निम्न लिखित रखा जाय :

[श्री संजीवय्या]

"(g) any other financial institution (other than a banking company) being an establishment in Public Sector, which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, having regard to :—

(I) its capital structure;

(II) its objectives and the nature of its activities;

(III) the nature and extent of financial assistance or any concession given to it by the Government; and

(IV) any other relevant factor;"

["कोई अन्य वित्तीय संस्था (बैंकिंग समवाय के अन्य कोई भी), और जो सरकारी क्षेत्र का संस्थान हो और जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्न मामलों में विशष व्यवस्था कर सकती है :—

(I) उसका पुंजी ढांचा;

(II) उसके लक्ष्य और उसके कामों का रूप ;

(III) वित्तीय सहायक तथा उसकी सीमा और रूप और सरकार द्वारा दी गयी कोई रियायत; और

(IV) इसके अतिरिक्त कोई सम्बन्ध मद ;"] (83)

(3) पृष्ठ 18 पंक्ति 23,—

"In" ["भीतर"] के स्थान पर "under" ("अन्तर्गत") रखा जाय। (84)

(4) पृष्ठ 28 पंक्ति 23 के बाद निम्नलिखित रखा जाय :—

"(XI) employees employed by inland water transport establishments operating on routes passing through any other country".

["(11) देशीय जल परिवहन संस्थानों द्वारा, जो कि उन मार्गों पर कार्य करते हैं जो अन्य देशों में से होकर निकलते है नियोजित कर्मचारी"] (85)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 186, 187, 188, 189 और 219 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 271 प्रस्तुत करता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Bonus Commission has recommended that their recommendations should be applied on the employees. This scheme is being applied in Bombay and not in Calcutta. I want that the scheme should be applied in Calcutta also. That is why I request the honorable minister to give consideration to this.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : श्रीमान जी मैं सब से पहले संशोधन संख्या 186 को लेता हूं। जैसे रेड क्रास जसी संस्थाओं को इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से निकाल दिया गया है मेरा सुझाव है कि इसी प्रकार ऐसी अन्य संस्थाओं जो दवाइयों, लेखापालन, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रबन्ध या सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित व्यवसायों का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण आदि के कार्य में लगी हों को छूट मिलनी चाहिये। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे और ऐसी संस्थाओं को छूट देंगे।

मेरे संशोधन संख्या 187 का आशय है कि सभी प्रकार के ठेके के श्रमिकों पर यह बात लागू नहीं होनी चाहिये बल्कि कुछ विशेष कार्य पर लगे लोगों को ही बोनस का अधिकारी बनाया जाये। अब मैं संशोधन संख्या 219 को लेता हूं। इस अधिनियम के अन्तर्गत उन छोटे कारखानों को बोनस से छूट मिलनी चाहिये जिन की वर्ष के आरंभ में पूंजी एक लाख रूपये से अधिक न हो। आप जानते है कि पंजाब तथा महाराष्ट्र आदि में लघु उद्योग सम्बन्धी छोटे कारखानों को इस छूट से प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय मंत्री इस दृष्टिकोण से इस पर भी विचार करे।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कई ऐसी उपक्रमों को इस विधेयक के कार्य क्षेत्र से निकाल दिया है जो व्यापारिक कार्य करते हैं। इन में औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थायें आती हैं। ये भी बैंकों की भान्ति कार्य करती हैं। सरकार को ऐसे उपक्रमों को छूट नहीं देनी चाहिये। भारत का एकक न्यास भी ऐसी एक संस्था है जो वित्तीय मामलों में सरकार की ओर से कार्य करती है। इसे भी इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से पृथक नहीं करना चाहिये।

अब मैं माननीय मंत्री के संशोधनों को लेता हूं। उन में संशोधन संख्या 82 तो औपचारिक ही है परन्तु संख्या 83 इस आशय से लाया गया है कि कुछ और वित्तीय संस्थाओं को छूट दी जा सके। इन में राज्य व्यापार निगम जैसी संस्थाओं का ध्यान आता है। यह प्रतियोगी संस्थायें है। यह सरकारी विभागों द्वारा नहीं चलायी जाती। अतः इनको इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं रखना चाहिये।

श्री रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : सरकार ने श्रमिकों के बहुत से वर्गों को इस विधेयक के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा है। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को भी बोनस से वंचित कर दिया गया है। यह बहुत अनुचित बात है। गोदी कर्मचारियों को भी वंचित कर दिया गया है। लाखों की संख्या में कर्मचारी वहां काम करते हैं। इनको वंचित करना अन्याय है।

अब मैं विश्वविद्यालयों और शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के बारे में कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि ये लाभ उठाने वाली संस्थायें नहीं है परन्तु उन पर बोनस का सम्बन्ध केवल लाभ उठाने वाली संस्थाओं से नहीं है। इन कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ देना चाहिये।

वाणिज्य मंडलों के कर्मचारियों को भी बोनस मिलना चाहिये। ये मंडल बड़े बड़े उद्योगों पर नियन्त्रण करते है। इन मंडलों के कर्मचारियों को बोनस का अधिकार न देना उचित नहीं। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ देकर बेचारे श्रमिकों को हानि पहुंचा रहे हैं।

श्रमिकों के बहुत वर्गों को इस विधेयक के लाभ से वंचित कर दिया गया है। इस पर पुनः विचार किया जाये और इन निर्धन लोगों को बोनस देने की व्यवस्था की जाये।

श्री बड़े (खारगोन) : श्रीमानजी मैं श्री सेन और श्री पाटिल के संशोधनों का समर्थन करता हूं। सरकार ने जीवन बीमा निगम और ठेके पर लगे कर्मचारियों को बोनस की सुविधा से वंचित कर दिया है। यह उचित नहीं। मैं श्री दांडेकर की इस बात से सहमत हूं कि औद्योगिक वित्त निगम आदि संस्थाओं के कर्मचारियों को भी बोनस मिलना चाहिये। सरकार के संशोधनों से यह पता चलता है कि सरकार बहुत अधिक अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। यह तानाशाही प्रवृत्ति है। फिर सरकार इस संशोधन द्वारा एक और उपबन्ध का परस्पर विरोधी उपबन्ध बना रही है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं और श्री पाटिल के संशोधन का स्वागत करता हूं। नाविकों को भी बोनस से वंचित कर दिया है। यह अनुचित है। सरकार को यह अन्याय नहीं करना चाहिये। इस प्रकार भेदभाव की नीति धारण करके सरकार अपने लिये कठिनाइयां खड़ी कर रही है। ठेके पर बनने वाले मकानों तथा बड़े बड़े भवनों में लगे श्रमिकों को बोनस पाने

[श्री अल्वारेस]

वाले वर्ग में नहीं रखा गया। इससे इन मजदूरों को हानि होगी। ये मजदूर नियमित रूप से निरन्तर सालों तक कार्य करते हैं और दूसरे नियमित श्रमिकों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं हैं। भारत सेवक समाज जैसी संस्थाओं के अधीन कार्य कर रहे श्रमिकों को अवश्य ही बोनस मिलना चाहिये। सरकार को इस पर विचार कर के इन सब वर्गों को बोनस का अधिकारी बनाना चाहिये।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : धारा 32 के अन्तर्गत जिन संस्थाओं को बोनस देने की छूट दी गई वह नहीं होनी चाहिये। नौभरक मजदूरों को भी बोनस का लाभ मिलना चाहिये। इस बारे में बोनस आयोग ने भी सिफारिश की है। यह भेदभाव नहीं होना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस पूरे खण्ड का विरोध करता हूं। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने एक बड़े संघर्ष के बाद बोनस का अधिकार प्राप्त किया था। और उनको इस आयोग की रिपोर्ट पर बनने वाले कानून के अनुसार सुविधा देने की बात कही गई थी। अब इस खण्ड के अनुसार बहुत से वर्गों को बोनस नहीं मिलेगा। इन में सामान्य और जीवन बीमा कर्मचारी तथा और बहुत से उद्योगों के कर्मचारी आते हैं। क्या सरकार का आशय यह है कि कम से कम कर्मचारियों को बोनस मिले। इस देश में नियमित श्रमिकों की संख्या एक करोड़ और कुछ लाख है। मन्त्री महोदय के कथन के अनुसार 35 से 45 लाख नियमित श्रमिक इस देश में हैं।

इस विधेयक के फलस्वरूप उन श्रमिकों को बोनस मिलना बन्द हो जायेगा जिन को पहले मिल रहा था। कलकत्ता में जैसे पूजा के अवसर पर 'पूजा बोनस' मिलता था। अब इस खण्ड के अन्तर्गत यह भुगतान बन्द कर दिया जायेगा। सामान्य बीमा कम्पनियों में बहुत सी कम्पनियां पहले बोनस दे रही थी अब वह बन्द कर दिया जायेगा। यह उचित नहीं है।

अब मैं ठेकेदारों द्वारा ठेके पर नियुक्त मजदूरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस समय देश भवन निर्माण का बहुत अधिक हो रहा है। बड़े बड़े ठेकेदारों ने मजदूरों के परिश्रम से बहुत अधिक धन एकत्र कर लिया है। इन श्रमिकों को बहुत कम मजूरी मिलती है। उन्हें कोई महंगाई भत्ता या नगर भत्ता नहीं मिलता। उन की स्थिति बहुत दयनीय है। क्या श्रमिकों के इस वर्ग को बोनस से इस लिये वंचित किया जा रहा है ताकि भारत सेवक समाज को बोनस न देना पड़े। यह उचित नहीं है। सरकार को श्रमिकों के इन वर्ग को बोनस का अधिकार देना चाहिये।

माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये नहीं तो उन पर यह आरोप लगेगा कि वह छोटे छोटे ठेकेदारों अपनी पार्टी के लिये दान लेकर उन के हितों की रक्षा करते थे। मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जायेगी।

श्री **संजीवय्या** : हम यह चाहते हैं कि सभी सरकारी वित्तीय संस्थाओं के इस विधेयक के अर्न्तगत नहीं लाया जाये। हमें पहले देखना होगा कि सम्बंधित संस्था की वित्तीय स्थिति और उस के कार्य का स्वरूप क्या है। इसी प्रकार ऐसी सभी संस्थाओं के कर्मचारियों को वंचित नहीं किया जा रहा। इस बारे में व्यवस्था कर दी गई है क संस्था के बारे में सभी पहलुओं पर विचार किया जायगा। जो संस्थायें जनसाधारण के हित के कार्य में लगी हुई हैं। ऐसी संस्थाओं को इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जायेगा। संशोधन संख्या 85 उस उपबन्ध से सम्बंधित जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान से आसाम जाने वाले पाकिस्तान में से होते हुए मार्ग पर लगे मजदूरों का सम्बन्ध है। इसमें बहुत सी कठिनाइयां है। इस लिये इसको पृथक रखा गया है। देश के हितों को सन्मुख रखकर यह किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खंड 32 यदि पारित हो गया तो बहुत अधिक संख्या में श्रमिकों को बोनस से वंचित कर दिया जायेगा। सरकार ने कहा है कि 40 या 45 लाख श्रमिकों को लाभ होगा परन्तु क्या उन्होंने उनका भी अनुमान लगाया है जिनको वंचित किया जा रहा है।

श्री संजीवय्या : इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि बम्बई गोदी कर्मचारी बोर्ड ने वहां पर गोदी कर्मचारियों को बोनस के भुगतान की व्यवस्था की है।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड और मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड अपने व्यक्तियों पर बम्बई योजना लागू करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन इस विधेयक के पेश किये जाने से उन गोदी मजदूरों को, जो खाद्यान्नों तथा अन्य चीजों के उतारने-चढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बोनस से वंचित रखा गया है। अतः मैं इस खण्ड 32 का विरोध करता हूं।

भविष्य में स्थापित की जाने वाली संस्था सम्बन्धी संशोधन उसके स्थापित किये जाने पर पेश किया जा सकता है। पता नहीं कि भविष्य में यह संस्था स्थापित भी की जायगी या नहीं। इस कारण कर्मचारियों को क्यों कष्ट उठाना पड़े।

जहां तक अन्तर्देशीय जल परिवहन मजदूरों का सम्बन्ध है, केवल एक ही कम्पनी, अर्थात् रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी है, जो अन्तर्देशीय जल परिवहन की परिभाषा में आती है और जो बंगाल और आसाम के बीच के नदी मार्ग पर कार्य करती है। इसका कुछ भाग पाकिस्तान जलमार्ग से होकर भी गुजरता है। उसमें कुछ पाकिस्तानी कर्मचारी भी हैं यद्यपि उसका उद्देश्य यथासंभव शीघ्र भारतीय होना है। लेकिन बात यह है कि इन लोगों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।

इस कम्पनी के प्रबंधकों ने सरकार से आवेदन किया है कि उन्हें बोनस का भुगतान अध्यादेश की धारा 36 के अधीन छूट दी जाये क्योंकि उन्हें पिछले तीन वर्षों से हानि हुई है और कम्पनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

इस कम्पनी का प्रबन्ध और नियंत्रण सरकार ने हाल में ही अपने अधीन लिया है। उनकी लगाई गई पूंजी वैसी की वैसी है। उनको $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था जो उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है। यह ऋण इसलिये दिया गया था कि वे अपने पुराने जहाजों को ठीक करायेंगे और कम्पनी का पुनर्गठन करेंगे और इस जलमार्ग पर परिवहन की स्थिति में सुधार करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। अब कम्पनी यह कह रही है कि इनको पिछले तीन वर्षों में हानि हुई है। यदि कोई हानि हुई है, तो वह कम्पनी के कुप्रबंध के कारण ही हुई है। वास्तव में सरकार को इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये।

लेकिन कर्मचारियों को बोनस से क्यों वंचित किया जाये। इससे भयंकर अशांति और गड़बड़ होने की आशंका है। लोगों की यह आशंका हो सकती है कि यह केवल इस मार्ग पर चलाने वाले जहाजों के सम्बन्ध में है। ऐसा नहीं है। जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत कारखाने में 2000 कर्मचारी हैं। क्या इनको खंड 32 के अधीन नहीं रखा जा रहा है? क्या इनको बोनस नहीं दिया जायेगा? राजस्थान कारखाने में 2000 कर्मचारी हैं। उनका पूर्वी तट पर एक डाकयार्ड है जहां पर जहाजों की मरम्मत

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

होती है और उनका निर्माण किया जाता है। समूची हुगली नदी के साथ साथ उनके प्रतिष्ठान हैं जो घाट कहलाते हैं और जहां पर माल चढ़ाया-उतारा जाता है। इन सब कर्मचारियों को वंचित रखा गया है। यह बड़ी गंभीर बात है। मैं इसका विरोध करता रहूं। यदि उनको हानि होती भी है तो उनको न्यूनतम बोनस तो देना ही चाहिये।

श्री संजीवया : जहां तक गोदी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, इस बात के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि बोनस सम्बन्धी विवाद को गोदी कर्मचारियों तथा नियोजकों के बीच बोनस आयोग की सिफारिशों के अनुसार मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए। यदि इस प्रयास में सफलता न मिले तो फिर सरकार इसकी इस सिफारिश पर कि विवाद मध्यस्थ निर्णय अथवा न्यायनिर्णय के जरिये निबटाया जाए, विचार करेगी।

जहां तक नाविकों का सम्बन्ध है, उन्हें बोनस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही छोड़ा गया है। इसी प्रकार अन्य कई वर्गों, जैसे बीमा आदि, को उक्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छोड़ा गया है।

जहां तक ठेकदारों द्वारा नियोजित अथवा भवन-निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमने एक त्रिदलीय बैठक बुलायी थी और यह निर्णय किया कि निर्माण-कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिये विशेष विधान बनाया जाए। प्रथम तो हमें उनकी मजूरी और भत्ते और कल्याण सुविधाओं पर विचार करना है। उसके बाद हम इस श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं देने के बारे में विचार कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने अनेक संशोधन पेश किये हैं। मैं उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने संशोधनों को स्वीकार किये जाने का आग्रह करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(1) पृष्ठ 18, पंक्ति 20 से "And" [और] हटा दिया जाय। (82)

(2) पृष्ठ 18, पंक्ति 21 के बाद निम्नलिखित रखा जाए :

"any other financial institution (other than a banking company) being an establishment in Public Sector, which the Central Government may, by notification in the official gazette, specify, having regard to:

(i) its capital structure;

(ii) its objectives and the nature of its activities;

(iii) the nature and event of financial assistance or any concession given to it by the Government; and

(iv) any other relevant factor;

"[कई अन्य वित्तीय संस्था (बैंकिंग समवाय के अन्य कोई भी), और जो सरकारी क्षेत्र का संस्थान हो और जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्न मामलों में विशेष व्यवस्था कर सकती है :—

(i) उसका पूंजी ढांचा,

(ii) उसके लक्ष्य और उसके कामों का रूप,

(iii) वित्तीय सहायता तथा उसकी सीमा और रूप और सरकार द्वारा दी गयी कोई रियायत, और

(iv) उसके अतिरिक्त कोई सम्बन्ध मद ; (83)

(3) पृष्ठ 18, पंक्ति 23,--

"In" [भीतर] के स्थान पर "Under" ["अन्तर्गत"] रखा जाय । (84)

(4) पृष्ठ 18, पंक्ति 23 के बाद निम्नलिखित रखा जाय :

"(xi) employees employed by inland water transport establishments operating on routes passing through any other country."

["(11) देशीय जल परिवहन संस्थानों द्वारा, जो कि उन मार्गों पर कार्य करते हैं जो अन्य देशो में से होकर निकलते हैं, नियोजित कर्मचारी"] (85)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 186, 187, 188, 189 और 219 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।/*Amendment Nos.* 186, 187, 188, 189 *and* 219 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 271 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/*Amendment No.* 271 *was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 64; विपक्ष में 20 ।/Ayes 64; Noes 20.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।/ *Clause* 32, *as amended, was added to the Bill.*

खंड 33 (अधिनियम का बोनस के भुगतान के बारें में कुछ लम्बित विवादों पर लागू होना)

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 18, पंक्ति 24, "2nd September 1964"["2 सितम्बर, 1964"] के स्थान पर "29th May 1965" ["29 मई, 1965"] रखा जाये । (2)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अल्वारेस : मैं अपना संशोधन संख्या 272 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 286 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 192, 220, 221, 222 और 223 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री संजीवय्या : श्रीमन्, मेरा संशोधन संख्या 2 बहुत ही सीधासा है । पहले हमने 2 सितम्बर, 1964 कहा था क्यों कि उस दिन बोनस आयोग की सिफारिशों पर सरकारी संकल्प की घोषणा की गयी थी । लेकिन हमने सोचा कि 29 मई, 1965 की तिथि अधिक उपयुक्त रहेगी क्यों कि उस दिन अध्यादेश प्रस्थापित किया गया था ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 192 और 221 को एक साथ लेता हूं।

यह बडी अजीब बात है कि विवाद ग्रस्त क्षेत्र में बोनस उस लेखा वर्ष के सम्बन्ध में, जिससे विवाद सम्बन्धित है और उसके बाद किसी लेखा वर्ष के सम्बन्ध में, इस बात का विचार किए बिना कि बाद के लेखा वर्ष में कोई विवाद विचाराधीन नहीं था, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय होगा। जब किसी मामले का निपटारा हो गया हो तो उसके बाद पारित किसी विधि से निपट चुके मामलों का निपटारा रद्द नहीं किया जाना चाहिये।

मेरे संशोधन संख्या 220, 222 और 223 का सम्बन्ध व्याख्या से है।

एक मामला तभी विचाराधीन माना जाना चाहिये जब वह विचाराधीन हो। दूसरे शब्दों में यदि किसी न्यायाधिकरण अथवा न्यायनिर्णयक प्राधिकार के समक्ष कोई विवाद विचाराधीन हो तो उसे विचाराधीन मामला माना जाना चाहिये। यदि ऐसा न हो तो उसे विचाराधीन मामला नहीं माना जाना चाहिये। इसमें कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खण्ड 33 पूर्णतः एक बहुत जटिल खण्ड है। इसके कई विभिन्न अर्थ लगाये जा सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कई विवाद खडे हो सकते हैं और मुकद्दमेबाजी हो सकती है। हम इसको दूर करना चाहते हैं। इसको एक सरल खण्ड अथवा दो उप-खंड बनाए जाएं।

पहला यह है कि पत्री वर्ष 1962 के किसी भी दिन को समाप्त होने वाले किसी लेखे-वर्ष से सम्बन्धित बोनस सम्बन्धी उन सभी मामलों को जहां श्रमिकों के दावों को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के सूत्र के अनुसार कोई भी रकम बाकी नहीं है, अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नतम बोनस दिया जाये और यह ऐसे सभी मामलों में दिया जाए।

दूसरे, बोनस सम्बन्धी उन मामलों को, जिन पर न्यायाधिकरण अथवा किसी ऐसे संविहित निकाय द्वारा निर्णय दिये जा चुके हैं अथवा जिन पर समझौता हो चुका है, उन्हें फिर से सामने नहीं लाया जा सकता किन्तु अन्य मामलों पर, जो 1962 में समाप्त होने वाले पत्री वर्ष से सम्बन्धित है, यह अधिनियम लागू होना चाहिए और इस खण्ड की स्पष्ट और सीधी व्याख्या भी यहीं होनी चाहिए।

श्री अल्वारेस : मेरा पहला उद्देश्य उन सभी पेचीदगियों और विभिन्न तरीकों को दूर करना है जिनके कारण उन कर्मचारियों को जिनको 1962 के भूतलक्षी प्रभाव से बोनस मिलना चाहिये, बोनस नहीं मिलता। दूसरी बात उस स्वस्थ परम्परा को फिर से कायम करना है जो सरकार ने उस समय से बोनस देने के लिये जब से मामला न्यायाधिकरण को सौंपा गया हो, स्वीकार की थी। सभी पंचाट और लाभ लेखा वर्ष 1962 से लागू किये जाने चाहियें।

श्री संजीवय्या : यदि बोनस सूत्र को 1962 के किसी दिन समाप्त होने वाले लेखे वर्ष से सम्बन्धित बोनस सम्बन्धी विवाद पर लागू कर दिया जाए और यदि वह अनुवर्ती वर्षों पर लागू न किया गया तो प्रस्तुत विधेयक का खंड 15 व्यावहारिक सिद्ध नहीं होगा।

दूसरें 'विचाराधीन मामलों' के बारे में सरकार महसूस करती है कि यदि बोनस सम्बन्धी कोई विवाद सरकार के समक्ष अथवा किसी न्यायाधिकरण में अथवा श्रम न्यायालय में या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी के समक्ष अनिर्णीत पडा हुआ हो तो उस पर इस विधेयक के उपबन्ध लागू होने चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त और पीटर अल्वारेस की आशंकाएं सही हैं। बोनस आयोग की भी यही सिफारिश थी कि सिफारिशें 1962 में किसी भी दिन समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से लागू हों। लेकिन, जैसा सभा को मालूम है, सरकार ने निर्णय किया कि यह केवल अनिर्णीत मामलों पर ही लागू होगी। क्योंकि यदि सभी विवादों पर इसे लागू कर दिया जाए तो फिर 1961-62, 1962-63 और 1963-64 के लेखा वर्षों सम्बन्धी बोनस के बारे में विवादों पर भी, चाहे वे 29 मई से पूर्व ही क्यों न निबटाये गये हों, फिर से विचार करना पडेगा। दूसरी बात यह है कि यदि निबटाये गये पुराने विवादों पर भी फिर से विचार करना आरम्भ कर दिया जाए तो संभवत: उससे औद्योगिक क्षेत्र में गडबड फैल जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 18, पंक्ति 24," 2nd September 1964" ["2 सितम्बर, 1964"] के स्थान पर "29th May 1965" ["29 मई, 1965"] रखा जाय (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 31 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*Amendment No.* 31 *was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 192, 220, 221, 222 और 223 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/ *Amendment Nos.* 192, 220, 221, 222 *and* 223 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 272 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/ *Amendment No.* 272 *was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 286 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*Amendment No.* 286 *was put and negatived*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 33, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।/*Clause* 33, as *amended, was added to the Bill.*

खंड 34

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(1) पृष्ठ 19, पंक्ति 34 और 35,— "2nd September 1964 " ["2 सितम्बर, 1964"] के स्थान पर " 29th May 1965" ["29 मई, 1965"] रखा जाय। (3)

(2) पृष्ठ 20, पंक्ति 2,—"in which" ["जिसमें"] के स्थान पर "in respect of which" ["जिसके बारे में"] रखा जाय। (4)

(3) पृष्ठ 20, पंक्ति 12 के पश्चात निम्नलिखित रखा जाय :—

"Provided that any such agreement whereby the employees relinquish their right to receive the minimum bonus under section 10 shall be null and void in so far as it purports to deprive them of such right."

[श्री संजीवय्या]

["बशर्ते कि ऐसा कोई भी समझौता जहां कर्मचारियों को धारा 10 के अधीन न्यूनतम बोनस लेने का अधिकार नहीं रहता अवैध माना जाएगा, जहां तक यह उनको इस अधिकार से वंचित रखता है ।"](5)

(4) पृष्ठ 19, पंक्ति 19 और 20,—

"of his salary or wage for the accounting year."

["लेखा वर्ष के लिए उसके वेतन अथवा मजूरी का"] के स्थान पर

"of the salary or wage earned by him during the accounting year'..

["लेखा वर्ष के दौरान उसके द्वारा अर्जित वेतन अथवा मजूरी का "] शब्द रखे जायें ।(211)

श्री अल्वारेस : मैं अपना संशोधन संख्या 273 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोलंकी : मैं अपने संशोधन संख्या 194, 195, 196, 197, 199, 225, 226, 227 और 228 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं अपने संशोधन संख्या 229 और 224 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० रानेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 34 तथा इसके सभी संशोधन सभा के सामने हैं । क्या माननीय मंत्री उनके संशोधनों पर कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री संजीवय्या : संशोधन संख्या 3 के संबंध में मुझे यह कहना है कि क्योंकि खंड 33 में '2 सितम्बर, 1965' के स्थान पर हम ने '29 मई, 1965' शब्द रख दिये हैं इसलिये इसके अनुसार इस खंड में भी हमें इस तिथि को बदलना होगा ।

संशोधन संख्या 4 केवल लिखने संबंधी एक परिवर्तन है ।

संशोधन संख्या 5 एक ऐसा संशोधन है जिससे मज़दूरों को संरक्षण मिलता है । खंड 34(3) के अनुसार मालिकों और मज़दूरों को कम्पनियों के संबंध में करार करने की स्वतन्त्रता है । परन्तु हम नहीं चाहते कि मज़दूर अपने न्यूनतम बोनस को छोड़ दें ।

संशोधन संख्या 211 भी आलेखन संबंधी एक परिवर्तन है; केवल शब्दों को बदलने से संबंध रखता है ।

श्री नारायण दांडेकर : पहले मैं संशोधन संख्या 224 पर कुछ कहना चाहता हूं । इसका उद्देश्य "आधार वर्ष" शब्दों के पश्चात "एक सूत्र के अनुसार" शब्दों को रखना है । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहां पर एक सूत्र की तुलना है न कि तदर्थ समझौतों की । इन शब्दों के रखे जाने से यह इस प्रकार पढ़ा जायेगा "किसी पंचाट के अन्तर्गत एक सूत्र के अनुसार आधार वर्ष के संबंध में" ।

मेरा अगला संशोधन संशोधन संख्या 194 है । इसका उद्देश्य यह बताना है कि किन किन पंचाटों, समझौतों आदि के संबंध में । इससे यह कठिनाई दूर हो जाती है । मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि किसी वर्ष में देय बोनस की कुल राशि किसी संस्थान में आधार वर्ष में किसी पुराने पंचाट, समझौते आदि के अन्तर्गत सूत्र के अनुसार दिये गये बोनस की कुल राशि से कम है तो शेष खंड में दी गई राहत लागू होगी ।

अब मैं संशोधन संख्या 225 और 226 को लेता हूं। यहां पर जो शब्द रखे गये हैं वे कुछ अजीब से लगत हैं। मेरा सुझाव है कि इनके स्थान पर इन शब्दों को रख दिया जाये "शुद्ध लाभों के साथ वही अनुपात"। आप किसी भी अधिनियम को "सकल लाभ" की परिभाषा से आरम्भ नहीं कर के "सकल लाभ" शब्दों को "शुद्ध लाभ" शब्दों के स्थान पर प्रयोग में नहीं ला सकते। इससे बहुत उलझन पैदा हो जाती है। इस लिये मेरा सुझाव है कि शुद्ध लाभ शब्द होने चाहिये।

अब मैं संशोधन संख्या 196 और 197 को लेता हूं। यहां पर कई परन्तुक दिये गये हैं और पेचीदगी पैदा हो गई है। बड़े सोच विचार के बाद मैं ने $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत की उच्चतम सीमा रखी है। इसमें एक मास का वेतन तथा महंगाई भत्ता शामिल हैं। मने अपने संशोधन संख्या 196 के द्वारा दूसरे परन्तुक को हटाने का सुझाव दिया है। यहां पर स्पष्टीकरण में कुछ इस प्रकार की बात समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जैसे 2 और 2 5 होते हैं अथवा 3 2 से कम है क्योंकि 1/3 2 5 से कम है। गणित की ऐसी साधारण चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण देना अनर्गल है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे इस तर्क को समझ ने का प्रयत्न करेंगे।

दूसरे परन्तुक के संबंध में मेरा संशोधन भिन्न है जो कि 21 से 25 तक पंक्तियों को हटाने के लिये है क्योंकि अन्यथा एक बिल्कुल वैकल्पिक स्थिति के संबंध में आगे ले जाने की राशियां आदि आपके पास हो जायेंगी।

विधेयक के पृष्ठ 20 पर स्पष्टीकरण दो के अन्तर्गत पैरा (ख) के लिये मैने संशोधन संख्या 228 प्रस्तुत की है। मैं समझता हूं कि इस पैरे के स्थान पर हमें कुछ अम्ल की बात रखनी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि इसकी परिभाषा आधार वर्ष के संबंध में दी जानी चाहिये।

उपखंड (3) एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपखंड है। मैं चाहता हूं कि पूर्णरूप से एक स्वतन्त्र खंड के रूप में रखा जाये। शब्द 'सूत्र' के स्थान पर 'योजना' शब्द रखा जाना चाहिये।

इस संबंध में मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 5 का विरोध करता हूं। बोनस आयोग ने सिफारिश की है कि यदि मालिक और मज़दूर आपस में मिलकर बोनस की अदायगी के संबंध में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई समझौता करते हैं तो उनको इसकी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। परन्तु यहां पर जो परन्तुक है वह इसके विपरीत है कि ऐसा कोई समझौता, जिसके अन्तर्गत कर्मचारी धारा 10 के अन्तर्गत अपने न्यूनतम बोनस के अधिकार का त्याग करें तो वह अवैध होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : यह निश्चित हो गया है कि यह खंड इस विधेयक की जान है। इस खंड का उन आश्वासनों से संबंध है जो सरकार ने मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिये दिये थे। परन्तु खेद का विषय है कि इस खंड को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि मालिक और मज़दूर दोनों इससे असंतुष्ट हैं। इस खंड का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है। मालिक कहते हैं कि वे इसका अर्थ नहीं निकाल सकते और मज़दूर कहते हैं कि यह उनके हित में नहीं है। इस लिये जो मेरे माननीय मित्र के संशोधन संख्या 32 . . .

श्री संजीवय्या : क्या मालिक आपके इस हल से राजी हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वे राजी हैं तो किसी को विधान को बनाने की आवश्यकता नहीं है। बात तो यह है कि कानून सीधा और सरल होना चाहिये। उसमें कोई उलझन की बात नहीं होनी चाहिये। कानून इस प्रकार का होना चाहिये कि मुकदमेबाजी कम से कम हो।

मेरे संशोधन का उद्देश्य सारे खंड को बदलने का है। जहां तक संशोधन के प्रथम भाग का संबंध है इसमें एक छोटे से परिवर्तन का सुझाव है और वह यह कि "29 मई, 1965" शब्दों के स्थान पर "अधिनियम के लागू होने के पूर्व अथवा पश्चात" शब्दों को रख दिया जाये। मैं समझता हूं कि इन शब्दों को रखना अधिक अच्छा होगा।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

माननीय मंत्री ने कल कहा कि यहां पर मज़दूरों को बोनस के मामले में जो संरक्षण दिया जा रहा है वह मात्रा का नहीं है अपितु अनुपात अथवा आधार का है। मैं भी आधार का ही संरक्षण चाहता हूं चाहे आप इसे सूत्र कहें अथवा योजना कहें। हमने अपने संशोधन में जो परन्तुक दिया है वह यह है कि बशर्ते कि किसी पंचाट, करार के अन्तर्गत सूत्र से कर्मचारियों इस अधिनियम की अपेक्षा अधिक बोनस मिलता है तो वे कर्मचारी उस सूत्र के अन्तर्गत बोनस लेते रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि मैं भी केवल आधार का ही संरक्षण चाहता हूं। इसमें मात्रा का संरक्षण नहीं है। आप इस सीधी सी चीज़ को इतने टेढ़े तरीके से क्यों रखते हैं।

श्री संजीवय्या : अधिकतम 20 प्रतिशत के बारे में आपकी क्या राय है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसको अधिक से अधिक पेचीदा बनाना चाहते हैं। यदि बोनस की मात्रा कम है तो अनुपात निकालना होगा और उसे बनाये रखना होगा। आप इस गोलमाल रास्ते को क्यों अपनाना चाहते हैं?

उपखंड (3) की अन्तिम पंक्ति में मेरा सुझाव है कि ये शब्द रखे जायें "इस विधयक का कोई भी उपबन्ध किसी भी संस्थान के कर्मचारियों को अपने मालिक के साथ किसी ऐसे सूत्र के अन्तर्गत बोनस देने के लिये करार करने से नहीं रोकेगा जो कि इस अधिनियम के सूत्र से अधिक लाभप्रद हो"। वर्तमान खंड में ये शब्द दिये गये हैं— "जो कि अधिनियम में दिये गये सूत्र से भिन्न हो"। इस उपखंड का उद्देश्य केवल यही है कि यदि मज़दूर चाहे तो वे अपने मालिकों से अधिक लाभप्रद करार कर सकते हैं। फिर इस चीज़ को सीधे साधे शब्दों रखने में क्या बुराई है।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि न्यूनतम बोनस के उपबन्धों के अन्तर्गत 45 लाख मज़दूरों को बोनस मिलने लगेगा। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने मज़दूर बोनस प्राप्ति के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि लाभांश और निक्षेपों पर कर में वृद्धि करने से बोनस की राशि में कुल कितनी कमी हो जायेगी।

श्री काशीनाथ पांडे ने चीनी मिलों के मालिकों और मजदूरों के बीच समझौतों का ज़िक्र किया जिनके अन्तर्गत मज़दूरों को अधिक बोनस मिलता था। परन्तु अब इस विधेयक द्वारा लगाई गई सीमा से वह बोनस कम हो जायेगा। इसी प्रकार बम्बई कपड़ा उद्योग में मज़दूरों के पत्र में बड़े लाभप्रद करार थे जो कि एक विशेष उद्योग के मुनाफे में मज़दूरों द्वारा भागिता के मामले में आदर्श स्थापित कर सकते थे। भागिता को स्वतन्त्र रूप देने की बजाय इसपर यह सीमा क्यों लगाई जा रही है।

धारा 34(2) में अनुपात के संबंध में सुझाव है।

मंत्री महोदय ने विधेयक में मालिकों को पूर्ण संरक्षण दे दिया है कि बोनस किसी भी हालत में कुल मजूरी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। फिर मंत्री महोदय का यह आशा करना कि कोई मालिक अधिनियम से अन्य किसी नये सूत्र की पेशकश करेगा कुछ समझ में नहीं आता। कोई मूर्ख मालिक होगा जो अपने हित को नहीं समझेगा और 20 प्रतिशत से अधिक बोनस देगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि 20 प्रतिशत की सीमा को हटा दिया जाये और सभी वर्तमान करारों को चालू रखा जाये।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं। उपखंड (3) को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे श्रम मंत्री मालिकों के हित के संरक्षण के लिये ही सारे प्रयत्न कर रहे हैं न कि मज़दूरों के हितों के संरक्षण के लिये। मालिकों को कई प्रकार की छुट दी गई है। यदि माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि भविष्य में मज़दूरों के झगड़े न हों और जो मामले सुलट गये हैं वे फिरसे न उभर आयें तो मैं समझता हूं कि उनको इस मामल पर नये सिरे से विचार करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के संशोधन का समर्थन करता हूं। यदि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया तो कोई भी मिल मालिक 4 प्रतिशत से अधिक बोनस देने के लिये करार करने को तैयार न होगा। कई कम्पनियां इस समय 4 प्रतिशत की निम्नलिखित सीमा से अधिक बोनस दे रही है। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात वे केवल 4 प्रतिशत ही देंगी। इस संशोधन को स्वीकार करने से हानी नहीं होगी।

यदि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया तो हम निश्चय ही मतविभाजन की मांग करेंगे।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : खंड 36, पंक्ति 7 में "आधार वर्ष के संबंध में" शद्व "सेवा संबंधी किसी पंचाट करार, समझौते अथवा संविदा के अन्तर्गत" शद्वों के पश्चात आने चाहिये न कि इन शद्वों से पूर्व। माननीय मंत्री को इसके लिये स्वयं संशोधन देना चाहिये ताकि इस खंड का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाये और प्रत्येक व्यक्ति और न्यायालय अपना अलग अलग अर्थ न निकालें।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : मैं भी यही चीज़ बताना चाहता था कि "आधार वर्ष के संबंध में" शब्द कर्मचारियों को देय बोनस के संबंध में हैं या पंचाट आदि के संबंध में। हमारा सुझाव है कि यें पंचाट आदि के संबंध में होने चाहिये।

श्री संजीवय्या : श्री इन्द्रजीत गुप्त के संशोधन के बारे में मुझ यह कहना है कि यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो सारे विधेयक की योजना ही उलट पुलट हो जायेगी और मज़दूरों को न्युनतम बोनस भी नहीं मिलेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बोनस के संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिय। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर हानि होने पर भी 4 प्रतिशत का न्यूनतम बोनस क्यों दिया जाना चाहिये?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे संशोधन में केवल यही कहा गया है किसी विशेष मामले में समझौते द्वारा राजी हो जायें।

श्री संजीवय्या : मान लीजीये किसी वर्ष में उनका बोनस बोनस के कानून के अनुसार तय किया जाता है और दूसरे वर्ष में वे करार करते हैं और किसी और सूत्र के अनुसार बोनस तय करते हैं तो बोनस देने की सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी।

इसका एक दूसरा कारण भी है ओर वह यह कि इससे बोनस का अनुपात बना रहता है।

मेरे माननीय मित्र श्री दांडेकरने स्पष्टीकरण एक को ठीक तरह नहीं समझा है। हो सकता है लेखा वर्ष में बोनस की राशि आधार वर्ष की अपेक्षा अधिक हो परन्तु इसका अनुपात आधार वर्ष की राशि से कम हो सकता है। स्पष्टीकरण एक में इसी चीज़ को लिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो आप इस संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे?

श्री संजीवय्या : जी नहीं।

[श्री संजीवय्या]

अगला संशोधन यह है कि बोनस एक सूत्र के अनुसार दिया जाना चाहिये मान लीजिये, मालिक और कर्मचारी 3 महीने के बोनस के लिये राज़ी हो जाते हैं तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने खंड 34(3) की आलोचना की और श्री अल्वारेस ने उसका अच्छा उत्तर दिया जिससे मैं सहमत हूं। इसलिये मैं अपने संशोधनों पर जोर दे रहा हूं और अन्य किसी संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(1) "पृष्ठ 19, पंक्ति 34 और 35,—"2nd September, 1964" [2 सितम्बर, 1964] स्थान पर "29th May, 1965" [29 मई, 1965] रखा जाये। (3)

(2) पृष्ठ 20, पंक्ति 2,—"in which" [जिसमें] के स्थान पर "in respect of which" [जिसके बारे में] रखा जाये। (4)

(3) पृष्ठ 20,—पंक्ति 12 के पश्चात निम्नलिखित शब्द रखे जायें:—

"Provided that any such agreement whereby the employees relinquish their right to receive the minimum bonus under section 10 shall be null and void in so far as it purports to deprive them of such right."

["बशर्ते कि ऐसा कोई भी समझौता जहां कर्मचारियों को धारा 10 के अधीन न्यूनतम बोनस लेने का अधिकार नहीं रहता अवैध माना जायेगा, जहां तक यह उनको इस अधिकार से वंचित रखता है।"](5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 32, 194 से 197, 199, 224 से 229 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendments Nos.* 32, 194 *to* 197, 199, 224 *to* 229 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 19, पंक्ति 19 और 20,—"of his salary or wage for the accounting year" ["लेखा वर्ष के लिए उसके वेतन तथा मजूरी का"] के स्थान पर—"of the salary or wage earned by him during the accounting year" ["लेखा वर्ष के दौरान उसके द्वारा अर्जित वेतन अथवा मजूरी का"]
शब्द रखे जायें।(211)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अल्वारेस द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 273 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 273 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*Amendment No.* 273 *was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 34, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 34, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 34, as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 35 was added to the Bill.*

खण्ड 36 (विमुक्ति की शक्ति)

डा० रानेन सेन : इस खण्ड में उचित सरकार को कुछ संस्थानों तथा कारखानों के वर्गों को अथवा एक कारखाने तथा संस्थान को भी विमुक्ति देने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। कार्मिक संघों का अनुभव यह रहा है कि ऐसे उपबन्धों का परिणाम श्रमिकों के लिए बड़ी कठिनाईयां उत्पन्न करना होता है। इस विधेयक के पारित होने के बाद भी श्रमिकों के बहुत बड़े वर्ग को इस उपबन्ध द्वारा विधेयक के लाभों से वंचित किया जा सकता है। सम्बन्धित सरकार द्वारा इतनी विस्तृत शक्तियां, जैसी कि खण्ड 36 में व्यवस्था की गई है, प्राप्त करना न्यायसंगत नहीं है।

श्री संजीवय्या : ऐसा उपबन्ध आवश्यक तथा वांछनीय है। यदि सरकार यह अनुभव करती हो कि देश के हित में अथवा देश की अर्थ व्यवस्था के हित में कुछ संस्थानों को छूट दी जानी चाहिये तो ऐसा किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 36 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 36 was added to the Bill.*

खण्ड 37, 38 और 39 विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 37, 38 and 39 were added to the Bill.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 40 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 40 विधयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 40 was added to the Bill.*

प्रथम अनुसूजी

श्री नारायण दांडकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(1) "पृष्ठ 22, पंक्ति 14,—
"Bonus" ["बोनस"] के स्थान पर "Bonus to employees" ["कर्मचारियों को बोनस"] शब्द रखे जायें। (230)

(2) "पृष्ठ 22, पंक्ति 21,—
"Paid" ["प्रदत्त"] के पश्चात् "to employees" ["कर्मचारियों को"] शब्द रखे जायें। (231)

संशोधन संख्या 230 का सम्बन्ध यह स्पष्ट करने से है कि प्रथम अनुसूची में मद 2(क) में "Bonus to employees" ["कर्मचारियों के लिए बोनस"] शब्द रखे जायें न कि केवल "Bonus" ["बोनस"]।

इसी प्रकार संशोधन संख्या 231 पिछले वर्ष के लिये कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस को फिर सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है।

श्री संजीवय्या : मैं दोनों संशोधन स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 230 और 231 सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

(1) "पृष्ठ 22, पंक्ति 14,—
"Bonus" ["बोनस"] के स्थान पर "Bonus to employees" ["कर्मचारियों को बोनस"] शब्द रखे जायें। (230)

(2) "पृष्ठ 22, पंक्ति 21,—
"Paid" ["प्रदत्त"] के पश्चात "to employees" ["कर्मचारियों को"] शब्द रखे जायें। (231)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

प्रथम अनसूची, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दी गई।/*First Schedule, as amended, was added to the Bill.*

द्वितीय अनुसूची

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 200 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

(1) "पृष्ठ 26, पंक्ति 11,—
"Bonus" ["बोनस"] के स्थान पर "Bonus to employees" ["कर्मचारियों को बोनस"] शब्द रखे जायें। (232)

(2) "पृष्ठ 26, पंक्ति 23,—
"Paid" ["प्रदत्त"] के पश्चात् "to emloyees" ["कर्मचारियों को"] शब्द रखे जायें। (233)

संशोधन संख्या 232 तथा 233 वैसे ही है जैसे मैं ने प्रथम अनुसूची में प्रस्तुत किये हैं।

श्री संजीवय्या : मैं उन्हें स्वीकार करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : अब मैं संशोधन संख्या 200 को लेता हूं। यह भी सरल लाभ का प्रश्न है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि हम इस समूची समस्या के बारे में अनावश्यक कठिनाई में नहीं पड़ना चाहते तो "पूंजी व्यय" का कुछ अर्थ सुझाया जाना चाहिये। इस से झगड़ों की सम्भावना बहुत कम हो जायेगी।

श्री संजीवय्या : "पूंजी व्यय" की परिभाषा न तो विधेयक में की गई है और न ही बोनस आयोग ने कोई परिभाषा दी है। हमें इसे उसी प्रकार रखना चाहिये जिस प्रकार कि यह शब्द समझे जाते हैं। इसलिए मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 200 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्य महोदय द्वारा संशोधन 200 स्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*Amendment No. 200 was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 232 और 233 सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

(1) "पृष्ठ 26, पंक्ति 11,—
"Bonus" ["बोनस"] के स्थान पर "Bonus to employees" ["कर्मचारियों को बोनस"] शब्द रखे जायें। (232)

(2) "पृष्ठ 26, पंक्ति 23,—
"Paid" ["प्रदत्त"] के पश्चात् "to employees" ["कर्मचारियों को"] शब्द रखे जायें। (233)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि द्वितीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

द्वितीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक म जोड़ दी गई। / *The Second Schedule, as amended. was added to the Bill.*

तृतीय अनुसूची

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 40 से 47 तथा 50 प्रस्तुत करता हूं।

श्री काशीराम गुप्त : मैं संशोधन संख्या 79 तथा 80 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 201 से 207 तथा 234 से 250 प्रस्तुत करता हूं।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : मेरे संशोधनों का सम्बन्ध मूल नीति से है। इस अनुसूची से पता लगता है कि जो लोग अधिक पूंजी लगाते हैं, उन्हें कम देना पड़ता है और गरीब लोगों को अधिक देना पड़ता है, उदाहरण के लिए, कम पूंजी वाली प्राविधिज्ञों की फर्म को अपनी आय का तीसरा भाग देना पड़ता है। मेरा संशोधन यह है कि जिन लोगों का विनियोजन एक लाख से अधिक है, उन्हें 25 प्रतिशत मिलना चाहिये और जिनका विनियोजन एक लाख से कम है, उन्हें 40 प्रतिशत मिलना चाहियें। यदि ऐसा नहीं होगा तो देश के छोटे उद्योगों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा दिखाई देगा कि इस संशोधन से श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होगा परन्तु ऐसा नहीं है। सभी सम्बन्धित लोगों के हित सुरक्षित किये जाने चाहियें। मैं समझता हूं कि यदि माननीय मंत्री हिसाब लगायें तो वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने संशोधनों पर अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि सामान्य चर्चा के दौरान इस मामले पर विचार हो चुका है। मैं चाहता हूं कि तृतीय सूची के सभी मामलों में प्रदत्त साम्य पूंजी के लिए व्यवस्थित कटौती की दर घटा कर 6 प्रतिशत कर दी जानी चाहिये और सभी मामलों में रक्षित पूंजी पर कटौती की जाने वाली प्रतिशतता 2 प्रतिशत की जानी चाहिये। इस अनुसूची के लिए मत देने का अर्थ यह है कि मंत्री महोदय हमें श्री दांडेकर के विमत्ति टिप्पण के लिए मत देने के लिये कह रहे हैं। क्योंकि उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसका प्रभाव उस फालतू राशि पर पड़ता है जो कि बोनस के लिए उपलब्ध होगी, सरकार ने मनमाने ढंग से बोनस आयोग के प्रतिवेदन में रूपभेद किया है इसलिए हम अपने संशोधन में कटौती की उसी दर का प्रस्ताव कर रहे हैं जो कि पहले के सूत्र में शामिल है। सरकार ने बोनस आयोग के बहुमत को नहीं माना है और नियोजकों के प्रतिनिधि की सिफारिशें स्वीकार की हैं। इसलिए हम सैद्धान्तिक रूप से इस बात पर आग्रह करते हैं कि केवल उतनी कटौती की अनुमति दी जानी चाहिये जितनी कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने पहले सूत्र में, जो कि कई वर्षों तक लागू रहा है, अनुमति दी है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इस विधेयक द्वारा नियोजकों को इस बात का प्रमाण देने के लिए नहीं कहा जाता है कि क्या रक्षित राशि का वास्तव में चालू पूंजी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। यह मनमाने उपबन्ध है और में इसका विरोध करता हूं।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पूंजी प्रधान उद्योगों में दी जाने वाली रियायतों के परिणामस्वरूप कार्मिक संघों को यह सन्देह होने लगा है कि इस फालतू राशि का एक बहुत बड़ा भाग बिल्कुल समाप्त हो जायेगा और इसके परिणामस्वरूप बोनस की अदायगी के लिए कुछ नहीं रह जायेगा।

श्री नारायण दांडेकर : अपना तर्क दुहरा सकते हैं कि जब तक कि लाभांश की संतोषजनक दर सुनिश्चित न की जाये, तब तक उन के लिए पूंजी आकृष्ट करना सम्भव नही होगा परन्तु इस विधेयक का वास्तविक लाभांश दर से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस लिए इस तर्क का कोई आधार नहीं है। यदि बोनस आयोग बहुमत से कुछ प्रतिशतता निश्चित करता है तो सरकार को उसे अस्वीकार नहीं कर देना चाहिये। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं। हम चाहते है कि बोनस के लिये धन में कमी न की जाये। मैं जानता हूं कि कई कारखानेदारों ने 1961 और 1962 से बोनस का भुगतान नहीं किया है। अब 1965 वर्ष चल रहा है। बहुत से बड़े बड़े व्यापारी इस कानून की प्रतीक्षा में हैं। अब उन को स्वतन्त्रता होगी कि वे 4 प्रतिशत से अधिक भुगतान न करें। इससे श्रमिकों के साथ अन्याय होगा। मंत्री महोदय को इस पहलू पर विचार करना होगा। क्या इस बारे में बोनस आयोग ने श्रमिक वर्गों की बात पर भी ध्यान दिया था। क्या सरकार ने इस बात की ओर कभी ध्यान दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में पूंजीपतियों के धन में वृद्धि हुई है और गरीब मज़दूरों तथा कर्मचारियों की हालत में कोई सुधार नही हुई। अब भी ये बड़े लोग लाभ उठाना चाहते हैं और सरकार उन के प्रति सहानुभूति दिखा रही है। यह ठीक है कि हमारे देश में मिश्रित अर्थ व्यवस्था है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि धनी वर्ग श्रमिकों के श्रम से अधिक धनी होता जाये और श्रमिकों को कोई सुविधा उपलब्ध न कराई जाये। इस प्रश्न पर सभी मज़दूर संघों ने मतैक्य दिखाया है। सरकार ने आयोग की सिफारिशों में फेर-बदल किया है। परन्तु खेद की बात है कि सरकार ने थोड़े से पूंजीपतियों को प्रसन्न करने के लिये यह सब कुछ किया है। हमें मज़दूरों की बात की ओर पूरा पूरा ध्यान देना होगा। देश में तभी समाजवाद की स्थापना की जा सकती है।

मैं अनुरोध करता हूं देश के श्रमिक वर्ग से न्याय किया जाये और उनको और सुविधा दी जाये। ये लोग देश की प्रगति का आधार हैं।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे बहुत से संशोधन हैं। मेरा पहला संशोधन संख्या 234 उस पूंजी के बारे में है जिस पर बोनस मिलना होगा और उन कम्पनियों के बारे में कि जिन की शाखायें विदेशों में भी हैं। या एसी कम्पनियां जो विदेशी हैं परन्तु जिन की शाखायें भारत में हैं। इन के बारे में तृतीय अनुसूची में कोई उपबन्ध नहीं है। मेरे संशोधन का आशय है कि ऐसी कम्पनियों के विदेशी शाखाओं के लाभ को बोनस के लिये न रखा जाये।

संशोधन संख्या 204 भी ऐसी ही स्थिति के बारे में है। विदेशी कम्पनियों के बारे में मैंने कह दिया है कि जैसे वह निर्धारित किया जाये इसी प्रकार ऐसी कम्पनियों को जिन की बहुत सी शाखायें हैं, को भी विभिन्न कम्पनियां समझा जाये। यह बात मुझे युक्तिसंगत मालूम होती है।

संशोधन संख्या 235 का उन बैंकिंग कम्पनियों से सम्बन्ध है जिन की शाखायें विदेशों में हैं। इस बारे में मैं चाहता हूं कि उन के लाभ को कम्पनी की पूंजी में भी शामिल न किया जाये। मेरा अनुरोध है कि इस बात पर ध्यान दिया जाये और इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

मेरे संशोधन संख्या 205, 206, 207 और 208 बैंकिंग कम्पनियों, संख्या 201, 202, 203 और 204 सामान्य कम्पनियों, संख्या 236 और 237 कार्पोरेशनों और संख्या 238 सहकारी समितियों के सम्बन्ध में हैं। इन सब का अभिप्राय एक जैसा ही है। कि बोनस निर्धारित करते समय पूंजी में कितना धन रखा जाये। इस बात पर बहुत आलोचना हुई है। इस बारे में बहुमत मेरे विरुद्ध था। परन्तु हमें मानना होगा कि बहुमत की बात सदैव ठीक नहीं होती है।

देश के औद्योगिक विकास के समय सभी हितों का ध्यान रखना होगा। उन में उत्पादक, मज़दूर और उपभोक्ता आते हैं। सरकार भी इसमें रूचि रखती है। वह भी चाहती है कि देश में विकास ठीक प्रकार से हो। यह चाहे सरकारी क्षेत्र का हो या गैर-सरकारी क्षेत्र का हो। मैंने अपने विमति टिप्पण में यही चाहा है कि देश के करों के ढांचे में जो परिवर्तन हुआ उसी के अनुसार पुराने दरों में भी परिवर्तन होना चाहिये। मैंने और कुछ नहीं मांगा।

इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट के दिये जाने के पश्चात् भी परिस्थितियों में तथा ब्याज दर में बहुत परिवर्तन हो गये हैं। बैंक दर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत हो गया है। इसी लिये मैंने कहा है कि हमें देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिये पूंजी लगाने के लिये सुविधाजनक परिस्थितियां बनानी चाहियें। इस बात की व्यवस्था भी की जानी चाहिये कि पूंजी पर लाभ का सम्बन्ध बैंक दर के साथ हो। हमें लाभ के बारे में सोचना होगा कि छोटे व्यापारी के लिये क्या सीमा होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसके लिये हमें 15,000 रुपये के लाभ की न्यूनतम राशि निर्धारित कर देनी चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

यह मेरे माननीय मित्र श्री काशी राम गुप्त द्वारा कही गई बात के अनुसार ही है। इन व्यापारिक संस्थाओं को बड़ी बड़ी कम्पनियों वाली सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं। फिर बड़ी कम्पनी इतनी समर्थ होती है कि वह अपने निदेशकों को वेतन का भुगतान कर सके। परन्तु इन छोटी छोटी संस्थाओं की स्थिति विभिन्न है।

सैनिक कार्यवाही के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : DEFENCE OPERATIONS

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : पाकिस्तानी सेना ने हमारे क्षेत्र पर काश्मीर में आक्रमण किया था। हमारी सेनाने उसे रोकने के लिये पंजाब क्षेत्र में बढ़कर उसे रोक दिया है और कुछ स्थानों पर कब्ज़ा कर लिया है। हमारी वायु सेना ने स्थल सेना का बहुत अच्छा साथ दिया है और उन पाकिस्तानी अड्डों पर आक्रमण किया है जहां से पाकिस्तानी वायु सेना हमारे क्षेत्रों पर आक्रमण किया करती है।

छम्ब-जौरियां क्षेत्र में हमारी सेना ने शत्रु को पीछे हटा दिया है और उसका बहुतसा सामान और गाडियां अपने कब्जे में कर ली है। जम्मू और काश्मीर के अन्य क्षेत्रों में भी हमारी सेना ने बहुत अच्छा कार्य कर दिखाया है। हाजी पीर दर्रे के तीन मील पश्चिम में हमने पाकिस्तान के एक प्रत्याक्रमण को विफल कर के एक पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा कर लिया है। इसके उत्तर में हमारी सेना ने वीरता और साहस दिखाकर तीन और महत्वपूर्ण चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। यहां पर ये पाकिस्तानी जम्मू-काश्मीर में आने वाले घुसपैठियों की सहायता करते थे। भारतीय वायु सेना ने न केवल स्थल सेना की सहायता की है बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना के अड्डों पर भी आक्रमण किये हैं। हमारी वायुसेना ने डेरा बाबा नानक क्षेत्र में तथा सुलेमानकी हैड वर्क्स के क्षेत्र में शत्रु सेना के जमावों पर जोरदार आक्रमण किये और उन्हें भारत पर आक्रमण करने में असमर्थ कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों के साथ लड़ाई हुई है। यह पश्चिम में जामनगर से पूर्व में कलकत्ता के समीप कलाईकुन्डा तक थी इससे पहले पाकिस्तानियों

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

ने जौरियां तथा रणबीरसिंहपुरा के क्षेत्र में असैनिक क्षेत्रों पर बमवर्षा की थी। उन्होंने अमृतसर, और फिरोजपुर के असैनिक क्षेत्रों में बमबारी जारी रखी है। इनमें सेना को कोई हानि नहीं हुई है परन्तु बहुत से नागरिक हताहत हुए तथा नागरिकों की सम्पत्ति को हानि हुई है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पाकिस्तान ने इन आक्रमणों की योजना अप्रैल में बनायी थी।

जमीन की लड़ाई में हमारी सेना ने उन को और अधिक हानि पहुंचाने के अतिरिक्त, तीन टैंक तबाह कर दिये हैं दो टैंकों को उनके चालकों सहित ठीक हालत में अपने कब्जे में कर लिया है। हमारी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिये पाकिस्तानियों ने अपने क्षेत्र में डेरा बाबा नानक पुल भारत की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिये उड़ा दिया। हवाई सेना ने 13 और पाकिस्तानी टैंक बरबाद कर दिये। बाड़मेर-कच्छ क्षेत्र में हमारी सेना आगे बढ़ी है और पाकिस्तान क्षेत्र के पांच मील अन्दर गदरा नगर पर कब्जा कर लिया है। कार्यवाही अभी जारी है। मैं अभी और बातें नहीं बता सकता।

हमारे क्षेत्र में हुए वायु सेनाओं के युद्धों और पाकिस्तानी अड्डों पर आक्रमणों में हमारी वायु सेना ने बहुत शानदार काम कर दिखाया है। उसने 11 अमरीकी एफ-86 सेबर जेट विमान, एक एफ-104-सी विमान नष्ट कर दिये हैं तथा दो विमानों को क्षति पहुंचाई। दो बी० 57 बम-वर्षकों, दो चार-इंजिन वाले अमरीकी परिवहन विमान तथा एक सी०-130 विमान नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी विमान जिन्हें भूमि से गोलाबारी कर के नष्ट कर दिया उनमें एक एफ-86, एक एफ-104सी, एक बी-57 बम वर्षक तथा एक सी०-130 था। हमारी हानि बहुत कम थी। कल हलवाड़ा हवाई अड्डे पर दो बार आक्रमण किया गया परन्तु उससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

पाकिस्तानी विमान ने दिल्ली पर बमबारी करने का यत्न किया। एक सी-130 विमान को गिरा दिया गया और दो का पीछा किया गया और वे भाग गये।

पाकिस्तान ने बहुत से छाता-सैनिक भी उतारे हैं। इसका उद्देश्य हमारे सैनिक संस्थानों को हानि पहुंचाना है। इन में से बहुत से ऐसे छाता सैनिक पकड़े गये हैं। इसमें हमारे लोगों ने सुरक्षा सेना की बहुत सहायता की है।

कल रात पाकिस्तानी नौसेना ने वैमानिक संरक्षण में गुजरात राज्य में द्वारका बन्दरगाह पर गोलाबारी की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे किसी सैनिक संस्थान को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों में तथा केवल सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सेनाओं को पश्चिमी पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर आक्रमण करना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तानियों ने छम्ब क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर के हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। और साथ साथ अमृतसर पर हवाई हमला किया। हमने पश्चिमी पाकिस्तान में आगे बढ़कर अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है छम्ब जौरियां में उनको पीछे हटा दिया गया है। उसे अभी वहां और भी पीछे हटाना है। पाकिस्तान पूर्वी क्षेत्र में भी लड़ाई बढ़ाना चाहता है। हमारा पूर्वी पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु हमने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही कर ली है। यदि पाकिस्तान ने हमें विवश किया तो हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी। हम पाकिस्तान को यह महसूस कराना चाहते हैं कि हम अपने देश की अखण्डता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। जिसका कि काश्मीर एक अटूट अंग है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 9 सितम्बर, 1965/18 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the clock on Thursday the September 9, 1965/Bhadra 18, 1887 (Saka).

GIPN—S4—30 Lok Sabha/65